Monday, 14 May, 1962

Chamber ... 18|X|73
74
20.7.62

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
[तृतीय माला, खण्ड ३—अंक २१ से ३०—१२ से २५ मई, १९६२/२२ वैशाख से ४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]	
अंक २१—शनिवार, १२ मई, १९६२/२२ वैशाख, १८८४ (शक)	
सभा का कार्य	१९९५
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिये जारी किये गये पासों के बारे में . .	१९९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तथा मालदा में हुई घटनायें	१९९८-२००१
अनुदानों की मांगें . .	१९९५-९८, २००१-४६
सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय .	१९९५-९८, २००१-३५
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . .	२०३५-४६
हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२००४६-४९
दैनिक संक्षेपिका	२०५०
अंक २२—सोमवार, १४ मई, १९६२/२४ वैशाख, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ से ६९८, ७०१, ७०२, ७०४ से ७०६, ७०८ से ७११ और ७१३ से ७१६	२०५१-७९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२०७९-८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७००, ७०३, ७०७, ७१२ और ७१७ से ७३६ .	२०८१-९२
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८७ से १२४१, १२४३ और १२४५ से १२८३	२०९२-२१३३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
नागा विद्रोहियों द्वारा पांच सैनिकों का कथित मारा जाना और कई अन्य सैनिकों का घायल किया जाना	२१३३-३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१३४-३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में राज्य सभा से सन्देश . .	२१३५-३६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
(१) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड .	२१३६-३७

(२) राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिये सलाहकार बोर्ड. २१३७-३८

अनुदानों की मांगें . . . २१३८-७६

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय २१३८-७६

आध घंटे की चर्चा के बारे में २१७७

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७८-८४

अंक २३—बुधवार, १६ मई, १९६२/वैशाख २६, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५३ और ७५५ से ७६० २१८५-२२१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३७, ७३८, ७४७, ७५१, ७५४ और ७६१ से ७८८ . . . २२१०-२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८४, १२८५, १२८७ से १३३०, १३३४ से १३३७, १३३९ से १३४३, १३४५ से १३५९, १३६१ और १३६२ २२२५-५३

हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा काम बन्द कर दिये जाने के बारे में वक्तव्य २२५३-५५

समिति के लिये निर्वाचन २२५५

कॉफी बोर्ड २२५५

अनुदानों की मांगें २२५५-९१

खान और ईंधन मंत्रालय २२५५-९१

दैनिक संक्षेपिका . . . २२९२-९७

अंक २४—गुरुवार, १७ मई, १९६२/२७ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९०, ७९१, ७९४, ७९५, ७९७ से ७९९, ८०१ से ८०४, ८०६, ८११, ८१३ और ८१४ २२९९-२३२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३२४-२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८९, ७९३, ७९६, ८०५, ८०७, ८०८, ८१०, ८१२ और ८१५ से ८३५ २३२५-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६३ से १४७२ और १४७४ से १५०२ २३३९-२४०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में हुए विस्फोट २४०५-१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२४१०–११
समितियों के लिये निर्वाचन .	२४१२–१३
(१) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति .	२४१२
(२) आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय .	२४१२–१३
(३) दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् .	२४१३
अनुदानों की मांगें .	२४१३–५१
इस्पात और भारी उद्योग .	२४१३–५१
दैनिक संक्षेपिका	२४५२–६०

अंक २५—शुक्रवार, १८ मई, १९६२/२८ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३५-ए, ८३७ से ८३९, ८४१, ८४२, ८४४, ८४७, ८४८, ८५१ से ८५४, ८५७ से ८६० और ८६३ से ८६६ .	६१–८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३६, ८४३, ८४५, ८४६, ८४९, ८५०, ८५५, ८५६, ८६१, ८६२, ८६७ से ८७२, ८७४ से ८८० और ८८२	२४८६–९५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५०३ से १५१३, १५१५ से १५४९ और १५५२ से १६०१	२४९५–२५३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५३७–३८
एक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण	२५३८–३९
सभा का कार्य .	२५३९
समितियों के लिये निर्वाचन	२५३९–४१
१. राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	२५३९–४०
२. केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड	२५४०
३. भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्	२५४०–४१
अनुदानों की मांगें	२५४१–७५
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२५४१–७५
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	२५७५–८३
एकाधिपत्य की वृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	८३–८९
मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प	२५८९–९०

सरकारी कर्मचारियों के चरित्र और प्राग्वृत्त का सत्यापन के बारे में आधे घंटे की चर्चा २५९०–९३

दैनिक संक्षेपिका २५९४–२६००

अंक २६—सोमवार, २१ मई, १९६२/३१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८५, ८८७ से ८८९, ८९१, ८९३, ८९७, ८९८, ९०० और ९०१ . . . २६०१–३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८६, ८९०, ८९२, ८९४ ८९६, ८९९, ९०२ से ९१३ और ४५२ २६२६–३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . २६३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०२ से १६५९ २६३५–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २६६१

हुगली नदी के पोत चालकों के बारे में वक्तव्य २६६१–६२

समितियों में निर्वाचन . २६६२–६३

नारियल जटा बोर्ड

अनुदानों की मांगें २६६३–२७१२

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय २६६३–८३

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २६८३–२७१२

दैनिक संक्षेपिका . . . २७१३–१७

अंक २७—मंगलवार, २२ मई, १९६२/१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ से ९२२, ९२५ से ९२८, ९३० से ९३२, ९३४ से ९३८ और ९४० से ९४४ २७१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१४, ९२३, ९२४, ९२९, ९३३, ९३९ और ९४५ से ९४७ . . . २७४५–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १७५९ और १७५८ से १७७९ २७४९–२८०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २८०५–०७

१. कुछ चीनियों का भारतीय राज्य क्षेत्र में कथित प्रवेश और उनके द्वारा जोगबानी नगर के फोटो लिये जाना २८०५–०९

२. भारतीय दूतावास को गणराज्य दिवस मनाने के लिये चीन सरकार द्वारा सुविधाओं का न दिया जाना २८०६—०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २८०७—०८

अनुदानों की मांगें . . . २८०८—४५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २८०८—४५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८४६—५२

अंक २८—बुधवार, २३ मई, १९६२/२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९५३, ९५८ से ९६२, और ९६५ से ९६८ २८५३—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९५७, ९६३, ९६४, ९६९ से ९९२ . २८७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८० से १८२६, १८२८ से १८७१, १८७३ से १८८८ . . . २८८८—२९३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

२२ मई, १९६२ को मियालदह में हुई रेल दुर्घटना २९३२—३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २९३४

समिति के लिए निर्वाचन—

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् २९३४—३५

अनुदानों की मांगें . . . . २९३५—८५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . २९३५—४३

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . २९४३—८५

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २९८५—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९८९—९५

अंक २९—गुरुवार, २४ मई, १९६२/३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से १०००, १००२, १००४ से १०१०, १०१२, १०१५, १०१९ और १०२० २९९७—३०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १०११, १०१३, १०१४, १०१६ से १०१८ और १०२१ से १०३७ . . ३०२६—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८८९ से १९३८ . . ३०३६—५६

सदस्य का निलम्बन . . ३०५६—५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

एलिजाबेथविल में हुई रेल दुर्घटना २०५८--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०५६

अनुदानों की मांगें ३०६०--२१०६

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ३०६०--६७

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०६७-३१०६

दैनिक संक्षेपिका ३११०--१३

अंक ३०--शुक्रवार, २५ मई, १९६२/४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

नारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४०, १०४२, १०४३, १०४५, १०४७ से १०५०, १०५२ से १०५६ और १०५८ . . ३११५--३८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . . . ३१३८--४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४१, १०४४, १०४६, १०५१, १०५७ और १०५९ से १०६६ . . . . . ३१४०--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९४९, १९५१ से १९५६, १९५८ से १९८१ और १९८३ से २०२५ . . . . ३१४७--८७

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में ३१८८--८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३१८९--९१

शिवरामपुरम् में रेलगाड़ी की टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३१९१--९२

वित्तीय समितियां (१९६१--६२)

"एक समीक्षा"

सभा का कार्य ३१९२

समितियों के लिए निर्वाचन . . . ३१९२--९३

१. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

२. भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

अनुदानों की मांगें ३१९३--३२२६

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ३१९३--३२१०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२१०--२६

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . . ३२२६–२७

(२) संसद् पुस्तकालय विधेयक **(श्री दी० चं० शर्मा का)** ३२२७

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . ३२२७

(४) खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ का संशोधन) **(श्री स० चं० सामन्त का)** ३२२७–२८

(५) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) **(श्री सिद्धय्या का)** . ३२२८

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **(श्री म० ला० द्विवेदी का)**—वापिस लिया गया ३२२८—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२२८—३४

सरकारी नौकरी (निवास का आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन) **(श्री जं० ब० सिं० बिष्ट का)**—वापिस लिया गया ३२३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२३४—३४

विधान परिषदें (रचना) विधेयक **(श्री श्रीनारायण दास का)** ३२३७—४३

परिचालन करने का प्रस्ताव . . ३२३७—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३२४४—५०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह † चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LSIII—1098 (Ai)LSD—6-8-62—150.

लोक-सभा

सोमवार, १४ मई, १९६२

२४ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण बीमा योजना

†*६९२. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिये एक नयी योजना कार्यान्वित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और अभी वह किन-किन राज्यों में लागू की गई है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रयोगात्मक तौर पर, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इस समय कोई बैंकिंग सुविधा नहीं है, बचत बैंक का काम करने वाले शाखा डाक घरों और सब आफिसों को प्रीमियम की रकम इकट्ठा करने का फ़ैसला किया गया है । राजस्थान में २५ डाक घरों की एक बृहत योजना लागू की गयी है । यह इकट्ठा करने वाली रकम पहले वर्ष के प्रीमियम और बाद के प्रीमियम अथवा अन्य देय राशि तक सीमित होगी जो पहचान प्रमाण पत्र पेश करने पर या निगम से प्राप्त नोटिस पर जमा करायी जा सकेगी । केवल उन्हीं ग्रामीण और शाखा सब आफिसों में प्रीमियम मंजूर किये जायेंगे जो बचत बैंक का काम करते हैं और जिन्हें डाक सर्किल के मुखिया ने निगम के परामर्श से ऐसा अधिकार दिया है । महीने के अन्त में हैड-डाक घर निगम के सम्बन्धित कार्यालय को इकट्ठा की गयी कुल रकम के लिये, इकट्ठा करने का शुल्क काट कर, चैक जारी करेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

850 (Ai) LSD—1.

ग्रामीण व्यापार के लिये पंचायतों को प्रयोग में लाने की योजना राजस्थान में चल रही है । इस योजना को लागू करने के लिये जीवन बीमा निगम अन्य राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है। इस योजना के प्रधीन काम करने के लिये वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर पंचायत के एक प्रतिनिधि को निगम का एजेन्ट नियुक्त किया जायगा । पंचायत को सेवा-एवं संग्रह एजेन्सी दी जायगी। पंचायत सारा प्रीमियम इकट्ठा करेगी और इकट्ठी की गयी रकम निगम को दे देगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह योजना किसी रूप में नगरीय क्षेत्रों में चल रही योजना से भिन्न है, और यदि हां, तो अन्तर क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुख्यतः अन्तर यह है कि नगरीय क्षेत्रों में यह सामान्य तौर पर किये जाता है—एजेन्ट हैं, फील्ड आफिसर हैं, और जीवन बीमा निगम के अन्य कर्मचारी हैं—जब कि इस मामले में यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाक घर और पंचायत करेंगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार ग्रामीणों को बीमा के बारे में जागरूक करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष एजेन्ट या इन्सपैक्टर रखने पर विचार कर रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधि फैलाने का प्रयत्न कर रहा है । फील्ड आफिसर और अन्य एजेन्ट ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं । काम बढ़ रहा है और कर्मचारियों में भी वृद्धि की जावेगी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस ग्रामीण बीमा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं और क्या बीमा कार्य में कुछ ग्रामीण एजेन्टों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जीवन बीमा निगम ने वृहत योजना आरम्भ की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक योजना आरम्भ की गयी है और उसके लिये एजेन्ट नियुक्त किये जायेंगे ।

†**श्री ब० रा० भगत** : पंचायत और शाखा डाक घर एजेन्ट होंगे ।

श्री विभूति मिश्र : यह देखा गया है कि रूरल एरिया में जो फील्ड वर्कर काम करते हैं वह बाजारों को लेते हैं न कि गांवों में जाते हैं । गांवों में जाने के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम सोचा है ।

श्री ब० रा० भगत : गांवों में जाने के लिए यह सब इन्तजाम हो रहा है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल व्यापार की क्या प्रतिशतता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह योजना अभी शुरू ही गयी है और परिणामों का पता लगने में अभी समय लगेगा ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब तक किये गये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार के क्या आंकड़े हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता था कि उनके पास आंकड़े हैं ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि रिस्क तभी मंजूर किया जाता है जब कि रुपया केन्द्रीय कार्यालय में आ जाता है न कि तब जब शाखा कार्यालयों में, यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का व्यापार बढ़ाने के लिये क्या यह सम्भव नहीं है कि जैसे ही ग्रामीण शाखा कार्यालयों में धन जमा किया जाय तब ही से रिस्क मंजूर कर लिया जाये ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : योजना बड़ी साधारण है। इसको इसीलिये सरल बनाया गया है। मेडिकल डाक्टरों और अन्य समेत समूचा दल गांवों में जाता है, वहां व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद किसी और बात की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वह भुगतान करता है, पालिसी जारी कर दी जाती है। अतः इस मामले में किसी कठिनाई का कोई प्रश्न नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने मुझे लिखा है कि माननीय सदस्यों की सहमति लेने के बावजूद भी कि अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिये, उसी संख्या में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी जाती है और हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं।

सुपरसोनिक जैट विमान

+

†*६६३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा तैयार और विकसित किये गये सुपरसोनिक जैट विमान के प्रथम नमूने का आगे कोई और विकास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वह विकास किस प्रकार का है; और

(ग) उसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये पूरी तौर पर कब तक विकसित कर लेने की संभावना है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख) इस सफल विमान का विकास किया जा रहा है।

(ग) विकास के साथ साथ विमान का उत्पादन भी योजनानुसार हो रहा है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इस विमान की रफ्तार में वृद्धि हो सकी है ?

†श्री रघुरामैया : २८ अप्रैल को इस विमान ने साउन्ड बैरियर को पार किया।

†श्री सुबोध हंसदा : मेरा प्रश्न था कि क्या यह विमान की रफ्तार में वृद्धि कर सका है।

†श्री रघुरामैया : इस समय यही अधिकतम रफ्तार है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इस सुपरसोनिक जैट विमान का नमूना बनाने के लिये किसी विदेशी विशेषज्ञ की सहायता ली गयी थी ?

†श्री रघुरामैया : इस पर जर्मन विशेषज्ञों का एक दल रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि इस विमान का विकास होने तक सरकार रूस से जैट विमान खरीदेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : वह बिल्कुल भिन्न बात है ।

†श्री नाथ पाई : इस विमान में रूस से एम० आई० जी० इंजन लेकर लगाये जाने थे परन्तु अब लगता है कि जो फ्रेम बंगलौर में बनाये गये हैं वह बहुत हल्के हैं और परिणाम-स्वरूप यह सुझाव दिया जा रहा है कि हमें रूस से कुछ विमान खरीदने चाहियें ? अतः यह प्रश्न मूल प्रश्न में से उठता है ।

†श्री रघुरामैया : जैसा आप ने कहा हम एच० एफ० २४ के विकास के बारे में कार्य कर रहे हैं । भारत सरकार जो अन्य विमान लेगी या खरीदना चाहेगी, एक पृथक् प्रश्न है ।

†श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि इन विमानों में, जिनका हम बंगलौर में विकास कर रहे हैं, रूसी एम० आई० जी० इंजन लगाये जाने हैं परन्तु अब ऐसा लगता है कि एम० आई० जी० इंजन इन विमानों के फ्रेमों के लिये बहुत भारी हैं ।

†श्री रघुरामैया : इन विमानों में आरफ़ियस इंजन लगाये जाने हैं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि अपने विमानों में आरफ़ियस इंजन लगाने के बाद यह पता लगा कि एच० एफ० २४ नियमित रूप से सुपरसोनिक रफ्तार नहीं पकड़ सकते और यह सब-सोनिक सिद्ध हुआ है ?

†श्री रघुरामैया : मैं बता चुका हूं कि इसका विकास किया जा रहा है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई तथ्य है कि भारतीय नमूने के इस सुपरसोनिक जैट विमान का अगले दो या तीन वर्षों में पूरा उत्पादन नहीं होगा और, यदि हां, तो अपेक्षित किस्म के विमानों से हमारी वायु सेना को लैस करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

†श्री रघुरामैया : सरकार इस में लगने वाले समय के प्रति जागरूक है और वह जो कदम उठायेंगे, वह समय समय पर उत्पन्न परिस्थिति पर निर्भर होंगे ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है । जब तक हमारे कारखाने में पूरा उत्पादन नहीं हो जाता, सरकार ने हमारे वायु बल को आवश्यक किस्म के विमान देने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

†श्री रघुरामैया : यह प्रश्न एक विशेष प्रकार के विमान के बारे में है । यदि प्रश्न यह होता कि भारत सरकार अन्य कौन से विमान बनायेगी, वह बिल्कुल भिन्न विषय होता और बड़ा व्यापक भी ।

†श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य प्रश्न के हेतु । प्रश्न सुपरसोनिक जेट के बारे में है और मंत्री महोदय मंजूर करते हैं कि इसको विकसित किया जा रहा है । मेरा प्रश्न यह था कि जब तक इसका पूरा उत्पादन नहीं होता, सरकार हमारी वायु सेना को आवश्यक किस्म के विमान देने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अन्य व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। उनका प्रश्न है कि जब तक इसका विकास हो, क्या कोई अन्य व्यवस्था की जा रही है? मंत्री महोदय का कहना है, और मैं उनसे सहमत भी हूं, कि यह प्रश्न, जहां तक इस कारखाने और इस विशेष नमूने का सम्बन्ध है, अब तक किये गये विकास के बारे में है। अगला प्रश्न।

†श्री हरि विष्णु कामत : यह असम्बद्ध नहीं है। यह सम्बन्धित प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि यह भिन्न प्रश्न है। मुझे खेद है। अगला प्रश्न।

†श्री हरि विष्णु कामत : हम आपके हाथों बंध हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यही तो कठिनाई है।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों की सेवा का स्थायीकरण

†*६९४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक गैर-औद्योगिक और औद्योगिक कर्मचारियों में से ८० प्रतिशत की सेवा को स्थायी बनाने के आदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). प्रतिरक्षा संस्थानों द्वारा असैनिक गैर-औद्योगिक और औद्योगिक कर्मचारियों के बारे में ८० प्रतिशत स्थायीकरण के लिये आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन मामलों में निर्णय सम्बन्धित वित्त और लेखा परीक्षा अधिकारियों के परामर्श से किया जाना है।

इन आदेशों को पूर्ण रूप से शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ८० प्रतिशत औद्योगिक और गैर-औद्योगिक असैनिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने के आदेशों को वैमानिकों के स्थान पर वायुबल में असैनिक कर्मचारियों के मामले में भी लागू करने के लिये निर्णय कर सकी हैं?

†श्री रघुरामैया : वर्तमान आदेश वर्ष १९५६ के बाद बनाये गये यूनिटों और संस्थापनों, जैसे हैडक्वार्टर्स मेन्टेनेन्स कमान्ड, भारतीय वायुबल और ई० एम० ई० फील्ड यूनिटों के कोर्पस के हाल ही में पुनर्गठन के कारण हुए विस्तार और विशिष्ट परियोजनाओं के लिये मंजूर किये गये पदों पर लागू नहीं होते।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या ये आदेश उन सभी संस्थानों में, जो वर्ष १९५६ से पूर्व अस्तित्व में थीं, लागू किये जा रहे हैं?

†श्री रघुरामैया : ये ए० ओ० सी० में आयुध डिपुओं, ई० एम० ई० कार्पो में ई० एम० ई० कर्मशालाओं, आयुध कारखानों, टी० डी० ई०, एम० ई० एस० में इंजीनियर्स स्टोर्स डिपो और

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियर वर्क्स, जलसेना में आई० एन० डाकयार्ड, वायु बल में बी० आर० डी० और अन्य ऐसे औद्योगिक संस्थानों, जिनमें औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों असैनिक कर्मचारी काफी मात्रा में हैं, लागू होते हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या भिन्न श्रेणियों के लिये इन आदेशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

†श्री रघुरामैया : समय-सीमा निर्धारित करना बड़ा कठिन होगा क्योंकि लेखापरीक्षा से परामर्श लेना है, वित्तीय सहमति प्राप्त करनी है सेवा की अवधि के बारे में सत्यापन किया जाना है । इस सब कार्य में समय लगेगा । परन्तु हम इस मामले में शीघ्रता करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

अखिल भारतीय सेवायें

+

†*६९५. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री बासप्पा :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री याज्ञिक :
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् भारतीय इंजीनियर सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा—की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं । यह राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुनाथ सिंह : स्टेट सरकारों से जो इस विषय में बातचीत हो रही है, उसमें क्या यह तय हो गया है कि ये सर्विसिस आई० ए० एस० के ढंग की होंगी या इनका और कोई रूप होगा ?

†श्री दातार : संविधान के अन्तर्गत राज्य सभा द्वारा धारा ३१२ के अधीन एक संकल्प पास किया जाना है । वह पिछले वर्ष बाद में किया गया था फिर योजना का प्रारूप सभी राज्य सरकारों को भेजा जाना है; संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा और फिर विधान बनाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने इस सुझाव का विरोध किया है और इसी कारण से देरी हो रही है ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं ।

†**श्री वारियर** : क्या ये पदाली बनाने के विरुद्ध किसी राज्य सरकार अथवा इनमें से किसी सेक्शन की संस्थाओं ने कोई गंभीर आपत्ति उठाई है ?

†**श्री दातार** : जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, यह मामला तब लिया गया था जब मुख्य मंत्री ये सेवायें बनाने के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये थे । उसके बाद प्रारूप योजना के विस्तृत नियम राज्य सरकारों को भेज दिये गये थे और वे उन पर विचार कर रही हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वासुदेवन नायर ।

†**श्री वारियर** : प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर मैं उनको अन्य अवसर दूंगा । मैंने श्री वासुदेवन नायर का नाम पुकारा है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : अधिकाधिक अखिल भारतीय सेवायें बनाते समय क्या भारत सरकार ने राज्यों के अधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न और संविधान के विरुद्ध कार्य करने के प्रश्न पर भी विचार किया है ?

†**श्री दातार** : यह राज्यों के अधिकार छीनने का प्रश्न नहीं है । वास्तव में इस प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों द्वारा विचार किया गया था और सिद्धान्त रूप से वे सहमत हो गये थे । अब यह इन तीन मदों के अन्तर्गत सेवाओं में सुधार के लिये है ।

†**श्री वारियर** : क्या इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स अथवा अन्य सेक्शनों की ऐसी ही संस्थाओं ने इनके बनाये जाने का विरोध किया है ।

†**श्री दातार** : इस बारे में मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है ।

†**श्री हनुमन्तैया** : ये अखिल भारत सेवायें बनाने में, क्या पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधान देने की गारन्टी देने के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे ।

†**श्री दातार** : उसकी व्यवस्था की जायेगी क्योंकि कुछ सीधे भर्ती की जायेगी और सीधे भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों के लिये १२॥ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ५ प्रतिशत का अनुपात निर्धारित है ।

†**श्री हेडा** : क्या किसी राज्य सरकार ने इस योजना का विरोध किया है और यदि हां, तो राज्य सरकार का क्या नाम है ?

†**श्री दातार** : मैं बता चुका हूं कि हम राज्य सरकारों के विस्तृत विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । परन्तु सिद्धान्त रूप से इसको स्वीकार किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हनुमन्तैया : मंत्री महोदय ने मेरा प्रश्न छोड़ दिया है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के बारे में बताया। जैसा मुझे दक्षिण भारतीय राज्यों से पता चला है यह पिछड़े वर्ग हैं और मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं।

†श्री दातार : भारत सरकार के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों का कोई प्रतिनिधा नहीं है।

खेल-कूद संबंधी जांच समिति

+

†*६९६. {श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल की असफलता तथा अन्य परिस्थितियों की जांच कर के रिपोर्ट देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है; और

(ग) देर से देर कब तक उसकी रिपोर्ट मिल जाने की आशा की जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों, विशेषतया रोम में हुए पिछले ओलम्पिक खेलों में भारत के खेल के स्तर की समीक्षा और उसके विषय में रिपोर्ट देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी।

(ख) समिति ने कलकत्ता और दिल्ली में बहुत से व्यक्तियों से भेंट की है। समिति और अधिक प्रमाण प्राप्त करने के लिये शायद कुछ अन्य स्थानों पर भी जाएगी।

(ग) आशा है कि समिति अगस्त, १९६२ के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि इस समिति को स्थापित हुए काफी समय बीत चुका है ? यदि हां, तो फिर इसकी रिपोर्ट में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यह सत्य है कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने में देर हुई है। मालूम होता है कि इसके काम में कुछ कठिनाई हुई है। इसके अध्यक्ष इस सदन के सदस्य श्री जयपाल सिंह हैं। वह कुछ कामों में व्यस्त रहे और मैंने खुद कई बार उनसे दरखास्त की लेकिन उन्होंने मजबूरी जाहिर की। मालूम होता है कि अब उन्होंने मेरी दरखास्त को सुना है और अगस्त तक रिपोर्ट देने का वायदा किया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, दूसरे ओलम्पिक खेल कुछ ही वर्षों के अन्दर होने वाले हैं और उनके लिये अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अतः क्या इस समिति को आदेश दिया जाएगा, या—आप मुझे क्षमा करें—श्री जयपाल सिंह जी को चेतावनी दी जाएगी कि वह जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि हम तैयारी कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : अब चेतावनी की जरूरत नहीं। उन्होंने खुद मान लिया है।

†श्री बेरो : मुझे बताया गया है कि देरी इस कारण हो रही है कि कुछ गवाह समिति के सामने नहीं आ रहे हैं। क्या यह समिति जांच आयोग अधिनियम के उपबन्धों का सहारा नहीं ले सकती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं नहीं समझता कि वही एक कारण है । वह कारण भी हो सकता है परन्तु मुख्य कारण यह है कि समिति ने अपना कार्य गंभीरता से नहीं संभाला । परन्तु अब मुझे आशा है कि उन्होंने कार्य गंभीरता से संभाल लिया है । इन्होंने कलकत्ता और दिल्ली के कुछ लोगों का इन्टरव्यू लिया है । मुझे आशा है कि अगस्त के अन्त तक रिपोर्ट मिल जायेगी ।

श्री जयपाल सिंह उठे —

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ?

†श्री जयपाल सिंह : मंत्री महोदय ने समिति के बारे में जो गलत धारणा बनायी है, मैं उसे दूर करना चाहता हूं । रोम ओलम्पिक खेल दो वर्ष पूर्व समाप्त हुए थे । हम अपना कार्य आरम्भ भी नहीं कर सके थे क्योंकि शिष्टमण्डल के प्रधान का प्रतिवेदन और लेखा उपलब्ध नहीं थे । मंत्री महोदय को वह स्वयं एक वर्ष से भी अधिक बाद मिले । तब तक हम अपना कार्य आरम्भ नहीं कर सके । इसी दौरान निर्वाचन आ गये ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने श्री अश्विनी कुमार और महाराजा पटियाला से पूछताछ की ? यदि नहीं, तो क्या उनसे पूछताछ की जायेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो समिति पर है कि वह किस से पूछताछ करे । मुझे विश्वास है कि यदि महाराजा पटियाला को बुलाया गया तो वे जरूर आयेंगे । वह खेल-कूद परिषद् के प्रधान हैं ।

†श्री हेम बरुआ : असफलता के कारणों की जांच करने के अतिरिक्त क्या यह समिति रोम ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल के आचरण पर भी विचार करेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इसके निदेश-पद बड़े विस्तृत हैं । वह उन सभी बातों पर विचार कर सकते हैं जिनसे हमारे खेल पर प्रभाव पड़ा ।

†श्री फतेहसिंहराव गायकवाड : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को पता है कि समिति के समक्ष मेरा भी साक्ष्य लिया गया था । क्या मंत्री महोदय को पता है कि मुझे ९.३० बजे आने को कहा गया था और समिति के सदस्यों को १०.३० बजे आने को कहा गया था ?

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन

\+

†*६९७. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के बाद से अब तक देश में राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कार्यवाही की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिशें इसकी ओर से जारी किये गये विवरण में शामिल हैं और वे विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में हैं।

सम्मेलन ने १०–१२ अगस्त, १९६१ को भाषा और भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक में किये गये निर्णयों को स्वीकार किया। इन निर्णयों के बारे में राज्य सरकारों को बता दिया गया। हमें कई राज्यों से रिपोर्टें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मामले पर विचार किया जा रहा है। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त भी इन मामलों पर विचार कर रहे हैं। और भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के कार्य के सम्पर्क में रहने के लिये गृह मंत्री की अध्यक्षता में ज़ोनल परिषदों के उपाध्यक्षों की एक समिति बनाई गई है। इस समिति की पहली बैठक १० नवम्बर, १९६१ को हुई थी। समिति ने अन्य बातों के साथ साथ निर्णय किया कि समय समय पर राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में उपायों को क्रियान्वित करने में प्रगति को देखने के लिये प्रत्येक ज़ोनल परिषद् द्वारा एक स्थायी समिति नियुक्त की जाये। समिति ने आगे सिफारिश की है कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की सहायता से मुख्य मंत्री राष्ट्रीय एकता (भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण समेत) सम्बन्धी कार्य के समन्वय का उत्तरदायित्व संभालें और जिला-स्तर पर यह जिम्मेदारी कलेक्टर अथवा डिस्ट्रिक्ट आफिसर को सौंपी जाय।

आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो के जरिये व्यवस्था की है। उनका विचार, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार, एक पाठ्य पुस्तक मंत्रणा बोर्ड नियुक्त करने का है।

राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में सभी मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये और उस पर सिफारिश करने के लिये एक राष्ट्रीय एकता परिषद स्थापित की गयी है।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता के लिये साम्प्रदायिक और अन्य ग्राम्य दल बड़े खतरे हैं और यदि हां, तो इस खतरे को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की जावेगी ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, वह ठीक है कि देश की एकता में साम्प्रदायिक संघ और ऐसे ही अन्य निकाय एक खतरा हैं। जहां तक की जा रही कार्यवाही का सम्बन्ध है, हमारे पास आवश्यक अधिकार हैं और अवसर आने पर हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करते रहे हैं।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : इनमें से किसी दल के विरुद्ध सरकार ने आज तक क्या कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यदि माननीय सदस्य ऐसे दलों को अवैध घोषित करने का सुझाव दे रहे हैं.... (**श्री विद्याचरण शुक्ल** : नहीं) . . . हमने ऐसे किसी दल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है परन्तु हमने व्यक्तियों और उनके दलों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

†**श्री दो० चं० शर्मा :** विवरण में यह कहा गया है कि एक राष्ट्रीय एकता परिषद् स्थापित की जावेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह स्थायी हो गयी है, इसकी कितनी बैठकें हुयी हैं और इसने क्या सिफारिशें की हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह स्थापित हो गयी है। अभी तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। इसकी २ जून को बैठक होगी।

†**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या युवा व्यक्तियों में धर्मनिरपेक्षवाद की भावना भरने के लिय शिक्षा के स्तर में कोई प्रयास किया गया है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** सम्मेलन ने आदर्श पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का सुझाव दिया था और कुछ अन्य प्रस्ताव किये थे। उसने उचित पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने पर विशेष बल दिया। यह मामला शिक्षा मंत्रालय को निर्देशित कर दिया गया है और इस बारे में शिक्षा मंत्रालय ने कुछ कार्यवाही की भी है।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : क्या गवर्नमेंट एन्टी-नैशनल प्रचार को रोकने के लिए कोई मुनासिब कानून बनाने का इरादा रखती है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने अभी पिछली लोक सभा के तेरहवें सेशन में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल पेश किया था, जिसको हाउस ने मन्जूर कर लिया था। अब यह स्टेट गवर्नमेंट्स पर बहुत कुछ मुन्हसिर करता है कि वे उसके मुताबिक कार्यवाही करें।

†**श्री नाथ पाई :** जैसा कि निर्वाचन के परिणामों से पता चलता है, क्या यह सच नहीं है कि देश की एकता और अखंडता के विरोधी तत्व अधिक सुदृढ़ हो गये हैं और यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्वाचनों के बाद राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी, नहीं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है—यह सम्मेलन नहीं है परन्तु राष्ट्रीय एकता परिषद्, एक छोटी निकाय है। इनमें से कुछ मामलों पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जायेगा। पिछले निर्वाचनों के परिणाम साम्यवादी अथवा अन्य व्यक्तियों आदि के बारे में परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जायेगा।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** क्या सरकार को इस सिद्धान्त का पता है कि भारत की एकता अखंडता और विषमता के प्रबोधन पर आधारित है और क्या सरकार का भारत के भविष्य में किसी ठोस कार्यवाही करने का विचार है?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बड़ा सामान्य प्रश्न है।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि राष्ट्रीय एकता के लिए ललित कलाएं और विशेषकर नाटक बहुत उपयोगी हो सकते हैं? इसलिए

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या इस सम्बन्ध में कोई खास प्रयत्न किये जा रहे हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा और दूसरी भाषा से तीसरी भाषा में इस तरह का साहित्य उपलब्ध किया जाय और इस प्रकार की ललित कलाओं और नाटकों आदि का प्रदर्शन हो सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

†**श्री त्यागी** : जहां तक मुझे याद है, इस एकता सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि भारत के नागरिकों से राष्ट्रीय एकता की शपथ लेने का एक बड़ा आन्दोलन चलाया जाये और जिला स्तर या अन्य स्तर पर एकता के लिये कोई संगठन स्थापित किया जाये। क्या सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उससे ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं जो व प्राप्त करना चाहते हैं।

†**श्री त्यागी** : वह सिफ़ारिश की गयी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह क्रियान्वित की गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हर प्रश्न से पूर्व एक लम्बा वक्तव्य दे दिया जाता है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : संभवतः श्री त्यागी इस सम्मेलन में विचार किये गये शांति प्रयास की ओर निदश कर रहे हैं जिसके बारे में सम्मेलन के बाद जारी किये गये वक्तव्य में निदेश दिया गया था। यह सच है कि इस पर विचार किया गया था। यह भी सच है कि इस बारे में हमने अधिक कुछ नहीं किया है। तथापि स्वयं वक्तव्य ही जनता तक यह कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिये एक अपील था।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने स्वयं यह त्रि–भाषा फार्मूला निकाला, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य ने अब तक उस फार्मूले को क्रियान्वित किया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता हूं कि लगभग सभी राज्य सरकारें उसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही हैं और कुछ तो उससे भी आगे बढ़ गयी हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : विवरण में बताया गया है कि समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय एकता के कार्य की देखभाल करने के लिये प्रत्येक ज़ोन में एक स्थायी समिति नियुक्त की जाये। क्या विभिन्न ज़ोनों में ऐसी कोई समिति नियुक्त की गयी है और उनकी कितनी बैठकें हुई हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हाल ही में, लगभग ४ या ५ महीने पूर्व यह निर्णय किया गया था और हमने राज्य सरकारों को लिख दिया है। मुझे नहीं पता है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने स्थायी समितियां बनाई हैं। परन्तु वे बनायेंगी। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री श्रीनारायण दास।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं अपने पहले प्रश्न के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मंत्री महोदय का उत्तर व्यापक नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है। मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। श्री श्रीनारायण दास।

विज्ञान मन्दिर

†*६९८. श्री श्रीनारायण दास : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान मन्दिरों को राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने की शर्तों का ब्योरा तैयार किया जा चुका है; और

(ख) राज्यों को अभी तक कितने विज्ञान मन्दिरों का हस्तांतरण किया जा चुका है?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अमरीका में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

†*७०१. श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के बारे में हाल के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना पर उसका असर पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में और किस सीमा तक?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). अमरीका की इस्पात मिलों ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की जो घोषणा की थी वह रद्द कर दी गई है और इसलिये यहां जो प्रश्न उठाया गया है वह उत्पन्न नहीं होता।

†श्री हरि विष्णु कामत : जहां तक तीसरी योजना के कार्यान्वय का सम्बन्ध है, भारत इस्पात और अन्य आवश्यक चीजों के लिये अमरीका पर किस हद तक निर्भर है?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं निश्चित आंकड़े तो नहीं दे सकता। हम इस्पात की कुछ किस्मों का आयात करते हैं। इसके अलावा हम मशीनों का भी आयात करते हैं। यदि इस्पात का मूल्य बढ़ता है तो मशीनों की कीमतें भी बढ़ती हैं। इसलिये यदि इस्पात का मूल्य बढ़ता है तो उसका हम पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा।

†श्री नाथ पाई : अमरीका में इस्पात उद्योग पर एकाधिकार है। उन्होंने इस्पात का मूल्य बढ़ा दिया किन्तु राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया और मूल्य घटा दिये गये। क्या भारत सरकार यह पता लगाने का प्रयत्न करेगी कि मूल्यों को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे सामने सदा आती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : भारत में इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण है इसलिये उनके बारे में कोई खास शिकायत नहीं है। इसलिये मेरा ख्याल है कि हमें भारत में मूल्यों के नियंत्रण के लिये अमरीका जैसे उपायों को काम में लाने की आवश्यकता नहीं है ।

स्नातकोत्तर इंजीनियरी शिक्षा तथा अनुसंधान

†*७०२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर इंजीनियरी शिक्षा तथा अनुसन्धान का विकास करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) देश की टेक्निकल संस्थाओं के मुख्याध्यापकों और टेक्निकल शिक्षा के राज्य निदेशकों के दो दिन के सम्मेलन ने, जो हाल में दिल्ली में हुआ था, क्या सिफारिशें कीं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसन्धान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन लोक-सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है। समिति की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उनके कार्यान्वय के लिये एक बोर्ड गठित कर दिया गया है ।

(ख) कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गईं किन्तु प्रतिवेदन के कार्यान्वय की विधि तथा अन्य सम्बधित पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ था ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मंत्रालय ने तीसरी योजना में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वर्तमान आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी हां ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मंत्रालय ने जो मूल्यांकन किया है उससे इंजीनियरों का जो अभाव प्रकाश में आया है उसे पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : फिलहाल तो कोई अभाव नहीं है । हमने वर्तमान आवश्यकता पूरी कर ली है । हमारी जिन योजनाओं का कार्यान्वय हो रहा है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति १९६६ में कर ली जायेगी ।

†**डा० फ० ल० राव** : क्या इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर अनुसन्धान के बारे में विभिन्न विषयों के प्रोफेसरों के बीच चर्चाओं का आयोजन किया गया था क्योंकि यह अनुसन्धान प्राचार्यों के बजाय प्रोफेसरों पर ज्यादा निर्भर करता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यहां जो चर्चा हुई है उनमें लगभग सौ व्यक्तियों ने भाग लिया और उनमें से अधिकांश व्यक्ति इंजीनियरिंग कालेजों व उच्च टेक्नालाजी संस्थाओं के प्रधान और राज्यों के शिक्षा निदेशक थे । उन्होंने विचार-विनिमय किया और हम उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर ध्यान देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकता मेट्रोपालिटन प्लानिंग आर्गानाइजेशन

+

†*७०४. { **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार और कुछ विदेशी संगठनों की सहायता से कलकत्ता मेट्रोपालिटन प्लानिंग आर्गानाइजेशन (कलकत्ता राजधानी आयोजन संगठन) बनाया है ;

(ख) योजना का विस्तृत ब्योरा तैयार करने और उसे लागू करने के लिए किन-किन प्राधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है ;

(ग) क्या इसके लिए कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई है ; और

(घ) इसका प्राक्कलित व्यय कितना है और वास्तविक योजना क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता मेट्रोपालिटन प्लानिंग आर्गानाइजेशन बनाया है ।

(ख) फोर्ड प्रतिष्ठान के परामर्शदाताओं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था तथा अन्य संविहित और असंविहित निकायों से परामर्श किया जा रहा है । चूंकि अभी योजना तैयार नहीं है इसलिये उसे लागू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यातायात, सामाजिक आर्थिक दशाओं निवास और भूमि के उपयोग सम्बन्धी समस्याओं की जांच के लिये अध्ययन-दल गठित कर दिये गये हैं ।

(घ) योजना और उसके प्राक्कलित व्यय का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या इस मेट्रोपालिटन प्लानिंग आर्गानाइजेशन पर पश्चिम बंगाल की विधान-सभा का कुछ नियंत्रण रहेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह संगठन योजना बनाने के लिये गठित किया जा रहा है और विधान-सभा का योजना और सर्वेक्षण के आयोजन पर नियंत्रण रहेगा ।

†**श्री हेन बरुआ :** क्या इस योजना के कार्यान्वय के लिये कोई विदेशी सहायता मिली है क्योंकि ऐसा पता चला था कि अमरीका ने इस कार्य के लिये आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** फोर्ड फाउन्डेशन (प्रतिष्ठान) आर्थिक सहायता देने वाला है और अपने परामर्शदाताओं की सेवायें भी उपलब्ध करेगा । राष्ट्र संघ की विशेष निधि ने भी वृहत्तर कलकत्ता के जल संभरण तथा मल-वहन सम्बन्धी समस्याओं के सर्वेक्षण हेतु सहायता देने का आश्वासन दिया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** केन्द्रीय सरकार कितना व्यय वहन करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को बनाने तथा मेट्रोपालिटन प्लानिंग आर्गानाइजेशन का वित्त-प्रबन्ध करने के लिये तीसरी योजना में एक करोड़ रुपये रखे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के कार्यान्वय के लिये तीसरी योजना में १० करोड़ रुपये रखे हैं किन्तु फिलहाल कार्यान्वय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि योजना ही बनी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार भी तीसरी योजना में इस कार्य के लिये १० करोड़ रुपये का उपबन्ध करने वाली है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** योजना बनाने में केन्द्रीय सरकार किस हद तक सम्बद्ध है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैंने यह जानकारी मूल प्रश्न के उत्तर में दे दी है। केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था

†*७०५. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय व्यय सम्बन्धी कुछ सुधार किये जाने के बाद भी, पिछले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली बहुत सी योजनाओं के लिए धन फरवरी और मार्च, १९६२ में दिया गया ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार आय-व्ययक में स्वीकृत धन राशि को व्यपगत न होने देने की दृष्टि से आखिरी वक्त में जल्दी में व्यय किये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) योजनाओं के व्यय के लिये धन सामान्यतया काफी समय पहले दे दिया जाता है। किन्तु, ऐसे मामलों में जहां योजना के ब्यौरे वर्ष के उत्तरार्द्ध में तैयार किये जाते हैं, व्यय के लिये देर से वित्त व्यवस्था अपरिहार्य हो जाती है। ऐसे मामलों को उतना ही धन दिया जाता है जिसके वर्ष के शेष भाग में खर्च होने की संभावना हो।

(ख) वर्ष के अन्तिम महीनों में जल्दी में व्यय को रोकने के लिये नियम बने हुए हैं। व्यय करने वाले विभागों को इस बात के प्रति आश्वस्त कर दिया गया है कि जिन मामलों में वे स्वीकृत परियोजनाओं के दिये गये धन को वर्ष के दौरान खर्च न कर पाये हों और यदि धन को खर्च न करने के लिये उचित कारण हों तो वित्त मंत्रालय उससे अगले वर्ष में पुनः धन देने पर पुनर्विचार करेगा बशर्ते कि पहले जिस कार्य के लिये धन दिया गया था वह जारी रहे।

†**श्रीमती रेणुका राय :** मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जिस व्यवस्था का निर्देश किया है उसके बावजूद स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष में अन्तिम दो महीनों में धन खर्च किया जाता है और वास्तव में यह धन खर्च नहीं किया जाता किन्तु उसके प्रमाण-पत्र दे दिये जाते हैं। होता यह है कि ठेकेदार को धन पहले दे दिया जाता है और काम बाद में होता है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं किन्तु हमें उनकी संख्या ज्ञात नहीं है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब तक अपरिहार्य कारण न हों तब तक वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो महीनों में कोई धन न दिया जाये। बजट बनाने तथा वित्तीय नियंत्रण की संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत हमने यह उपबन्ध भी कर दिया है कि छोटे-मोटे कार्यों और छोटे अस्थायी

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिष्ठानों को छोड़ कर किसी अन्य कार्य के लिये इकट्ठा धन नहीं दिया जा सकता नई योजनाओं के ब्यौरा देने पर तथा वित्त मंत्रालय द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के बाद ही उन योजनाओं के लिये बजट में उपलब्ध किया जा सकता है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या मंत्री महोदय का तात्पर्य यह है कि हाल में बनाये गये नियमों के फलस्वरूप वर्ष के अन्तिम दो महीनों में धन खर्च करने की बुराई का पूर्ण निवारण हो गया है या कि वह अब भी विद्यमान है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं इसका उत्तर दे चुकी हूं । ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आम तौर पर ऐसा न हो ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** चूंकि हम पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि एक दो विशिष्ट मामलों में नहीं वरन् सामान्यतया धन को वर्ष के अन्त में व्यपगत न होने दिया जाये ताकि निरर्थक व्यय न होने पाये ?

† **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि निरर्थक व्यय कम से कम हो । आखिरी वक्त में धन खर्च न किया जाये इसके लिये नियम बना दिये गये हैं ।

†**श्री हनुमन्तैया :** क्या सरकार को ज्ञात है कि इस विलम्ब के लिये नियम इतने उत्तरदायी नहीं हैं जितना कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न अधिकरणों के बीच बार-बार होने वाला पत्र-व्यवहार जिसमें काफी समय लगता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैंने पहले ही बता दिया है कि मंत्रालयों को परिपत्र भेजकर इस बात के प्रति आश्वस्त कर दिया गया है कि जहां वर्ष के दौरान अनुदान खर्च न किया गया हो या खर्च होने की संभावना न हो वहां हम उसी धन को आगामी वर्ष के लिये दे सकते हैं बशर्ते कि कार्य का उद्देश्य लगभग वही हो । हमें आशा है कि यह कदम उठाने के बाद जल्द बाज़ी से धन खर्च करने की प्रवृत्ति काफी कम हो जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने कहा कि राज्यों और केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार में काफी समय लगता है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** उसे भी अब कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

तीसरा मशीनी औजार कारखाना

†*७०६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी क्षेत्र में तीसरा मशीनी औज़ार कारखाना खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) योजना को लागू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (ग). बंगलौर स्थित मशीनी औज़ार कारखाने का विस्तार करने के अतिरिक्त हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पिंजोर में एक यूनिट स्थापित करने का इरादा रखता है । इसके अतिरिक्त वह एक और यूनिट की स्थापना की सम्भावना पर विचार कर रहा है । इस संबंध में प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या आसाम सरकार ने आसाम में ऐसे कारखाने की स्थापना के बारे में कोई पत्र भेजा था ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** सच तो यह है कि हमें सभी राज्य सरकारों ने लिखा है कि तीसरा मशीनी औज़ार कारखाना उनके राज्य में स्थापित किया जाये ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार इस कारखाने की स्थापना के लिये आसाम में किसी स्थान का चयन करने के लिये तैयार है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** जैसा कि मैं ने बताया, प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** आश्वासन कैसे दिया जा सकता है ?

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या मंत्रालय के पास कोई जानकारी है कि दूसरा यूनिट चालू होने पर उसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** मुझे खेद है कि उत्पादन आदि का ब्यौरा मेरे पास नहीं नहीं है । किन्तु कारखाने की लागत पूंजी ७.५ करोड़ रुपये होगी ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या सरकार इस मामले में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के प्रादेशिक वितरण पर विचार करती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** जी, हां । इस बात पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

†**श्री वारियर :** क्या तीसरे मशीनी औज़ार के लिये, जो भारत में किसी स्थान में स्थापित किया जायेगा, कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** अब तक तो नहीं की गयी है ।

कपड़ा मिलों की मशीनों का निर्माण

†*७०८. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कपड़ा मिलों की मशीनों के निर्माण की योजना में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) आजकल कितने मूल्य का कपड़ा तैयार करने की मशीने भारत में आयात की जा रही हैं ; और

(घ) क्या इस संबंध में देश को स्वावलम्बी बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (घ). देश में कपड़ा मिलों की मशीनो के निर्माण में काफी प्रगति हुई है । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि देश में अब लगभग २५–२६ करोड़ रुपये के मशीनें पुर्जे तथा और चीजें बनती हैं। अप्रैल, से सितम्बर, १९६१ तक की छमाही में लगभग १४ करोड़ रुपये की मशीनों का आयात किया गया था । देश आयात पर कम निर्भर रहे इसके लिये प्रस्ताव है कि देशी निर्माता अपनी क्षमता बढ़ायें और कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित करें। और आवश्यक हो तो नये यूनिट स्थापित किये जायें । मुझे उम्मीद है कि इस के परिणाम स्वरूप यह उद्योग अगले तीन-चार वर्षों में देश की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सारी सफलता सरकारी क्षेत्र की है या उसमें गैर-सरकारी क्षेत्र भी शामिल है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह सफलता केवल गैर-सरकारी क्षेत्र की है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार ने एक भूतपूर्व उद्योग मंत्री के इस सुझाव पर विचार किया है कि निर्माताओं का एक समूह बनाया जाये और क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मुझे इसकी अलग सूचना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ और यूनिट स्थापित करने पड़े । तीसरी योजना में कितने यूनिट स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : नये यूनिटों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । इस में ४६ फर्म लगी हुई हैं और संभव है कि इन्हीं का विस्तार करके आवश्यकता की पूर्ति की जा सके किन्तु हो सकता है कि कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिये हमें नये यूनिट स्थापित करने पड़े ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि अखिल भारतीय निर्माता संघ ने यह काम शुरू कर दिया है और वह काम चल रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कौन सा काम ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : कपड़ा मिलों की मशीनों का निर्माण ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जैसा कि मैं बता चुका हूं कपड़ा मिलों की मशीनरी का निर्माण ४६ फर्मों द्वारा किया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि निर्माता संघ उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठा रहा है तो संभव है कि ऐसा किया जा रहा हो ।

†**श्री वेंकटासुब्बया** : कपड़ा मिलों की मशीनें बनाने वाले यूनिटों को अपना विस्तार करने या नये यूनिट स्थापित करने के लिये आर्थिक प्रेरणा के तौर पर कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां जरूरत होती है वहां आर्थिक सहायता भी दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इस बात को देखते हुए कि हमें इन मशीनों के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, क्या सरकार ऐसी मशीनों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने का सोच रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** हम हरेक मशीनरी का निर्माण सरकारी क्षेत्र में नहीं करते। जो मशीने गैर-सरकारी क्षेत्र में बन रही हों उनका सरकारी क्षेत्र में निर्माण आवश्यक नहीं है । सरकारी क्षेत्र में हमें अन्य उत्पादन करना होता है ।

†**श्री हेडा :** मशीनो के निर्माण का कार्यक्रम अपर्याप्त है इसके अतिरिक्त क्या यह सच है कि ये यूनिट अच्छी मशीनें नहीं बनाते जिस के कारण कपड़ा उद्योग मशीनों का आयात करने के पक्ष में है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ विशिष्ट प्रकार को मशीनों के आयात की मांग की जाती है किन्तु हमारी मशीनो की किस्म में भी अब सुधार हो रहा है ।

†**श्री नी श्रीकान्तन् नायर :** इस बात को देखते हुए कि कपड़ा उद्योग सम्बन्धी टेक्ना लाजी उन्नत हुई है और अमेरिका में उसका बड़ी तेजी से विकास हुआ है क्या हम पुराने ढंग की मशीनरी ही बना रहे हैं जो हमें ग्रेट ब्रिटेन से प्राप्त होती थी या कि शेष मांग को पूरा करने के लिये नये ढंग की मशीनरी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** हमें भारत में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है और उसे ध्यान में रखते हुए हमें जिस मशीनरी की ज़रूरत होती है वह हम देश में बना रहे हैं।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** भारत के कपड़ा की उद्योग को कुल आवश्यकता कितनी है और वर्तमान कारखाने उसे किस हद तक पूरा करते हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** अनुमान है कि तीसरी योजना के दौरान प्रतिवर्ष २२ करोड़ रुपये की मशीनरी आवश्यक होगी और अब तक लगभग २० करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये जा चुके हैं। इसलिये मशीनरी की मांग और पूर्ति में विशेष अन्तर नहीं है।

जलयानों के डीजल इंजनों का निर्माण

\+

*७०९. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जहाजों के "मैरीन डीजल इंजन" भारत में बनाये जायें ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(घ) क्या इस काम के लिए किसी विदेशी कम्पनी का सहयोग प्राप्त किया जाना है ;

(ङ) यदि हां, तो यह सहयोग किस प्रकार का तथा किन शर्तों पर प्राप्त किया जाना है ;

(च) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंमालय इस काम के लिये अपनी सेवायें प्रस्तुत करने के लिये तैयार है ;

(छ) क्या सम्बन्धित मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था ; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ज). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ज). मैरीन डीजल इंजनों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों से सरकार के विचाराधीन है । हाल में मंत्रि-मण्डल ने इस बात को मुख्य रूप में मान लिया है कि डीजिल इंजनों के निर्माणार्थ एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक विदेशी फर्म का सहयोग प्राप्त करने के बारे में बात की जाए।

यह अनुमान है कि परियोजना की लागत ४ करोड़ रुपये के लगभग होगी। "कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जाये" इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

यह विषय इस्पात और उद्योग मंत्रालय के सीमाक्षेत्र में है। यही मंत्रालय परियोजना का क्रियान्वयन एवं विधायन करेगा। यह आशा की जाती है कि प्रस्थापित करखाना परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) की नौवहन और जलयानों की आवश्यकताओं तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के नौसेना और स्थावर किस्म के जहाजों के लिए डीजिल इंजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। क्रियान्विति के ठीक ठीक तरीके और एजेंसी तथा स्थान के बारे में फैसले तक्नीकी समिति द्वारा जांच के पश्चात् किये जायेंगे ।

यह भी अभिप्राय है कि मैरीन डीजल इंजनों के पुर्जे बनाने के लिये सरकारी व निजी क्षेत्र में उपलब्ध ढलाई और गढ़ाई की सुविधावों का प्रयोग किया जाये जिससे वे पुर्जे मैरीन डीजल इंजन कारखाने में न बनाने पड़ें।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से ज्ञात होता है कि कारखाने का स्थान अभी चुना नहीं गया है। इस कारखाने की स्थापना कहां की जाये इस बात का निर्णय करते समय सरकार किन बातों पर विचार करेगी :

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** हम उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखेंगे और उन्हें ध्यान में रखते हुए स्थान का चुनाव करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा**: विवरण में कहा गया है कि सरकार इस परियोजना के कार्यान्वय के लिये एक तकनीकी समिति नियुक्त करेगी। क्या यह समिति नियुक्त कर दी गई है और क्या उसने अपना काम शुरु कर दिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : माननीय सदस्य का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी भी समझ में नहीं आया। माननीय सदस्य और स्पष्ट बोलें तो अच्छा होगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण में एक तकनीकी समिति का उल्लेख है। क्या वह नियुक्त की गई है और क्या उसने अपना काम शुरु कर दिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्**,: जी, नहीं। यह समिति अभी नियुक्त नहीं की गई है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इसके लिये कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी, नहीं।

†**श्री लीलाधर कटकी** : क्या विदेशी फर्म से बातचीत आदि शुरू कर दी गई है और यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह फर्म जर्मन की है जिसका नाम "मान" है।

कोलार की खानों से निकाले जाने वाले सोने का मूल्य

†*७१०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार की सोने की खानों से निकाले गये सोने का मूल्य क्या है ; और

(ख) कोलार की सोने की खानों से प्राप्त सोने के मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित कीमदत में कितना अन्तर है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १९६०-६१ में खान से सोना निकालने की औसत लागत प्रति ग्राम १०.३२ रुपये थी।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण अधिग्रहण की औसत लागत तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि दर के बीच अन्तर १९६०-६१ में छः रुपये प्रति ग्राम था।

ओलम्पिक टार्च (मशाल) का भारत में होकर जाना

†*७११. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४ में टोकियो में होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिये ओलम्पिक टार्च (मशाल) भारत हो कर जायेगी ;

(ख) क्या भारत में हो कर जाने का मार्ग निश्चित हो गया है ; और

(ग) इस ऐतिहासिक समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिये क्या अन्य प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली** : (क) जी, हां ।

(ख) मशाल को बरास्ता दिल्ली और कलकत्ता विमान द्वारा लेने का अस्थायी तौर पर विचार किया गया है ।

(ग) भारतीय ओलम्पिक संस्था, जो इस व्यवस्था के लिये उत्तरदायी है, मार्ग और तिथियों के अन्तिम रुप में फैसला हो जाने के शीघ्र पश्चात् उपयुक्त कार्य-क्रम बनाने की योजना बनाएगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस निर्णय का क्या कारण है कि मार्ग के एक भाग पर मशाल विमान द्वारा ले जाई जाएगी, सड़क के रास्ते नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मा० सदस्य को पता है कि ये प्रबन्ध जापान की ओलम्पिक समिति द्वारा किये जा रहे हैं और उन्होंने इस समूचे मामले के बारे में फैसला किया है। मुझे मालूम नहीं कि जापान की ओलम्पिक समिति के सामने क्या कारण थे। किन्तु वे ही इन सब प्रबन्धों के लिये उत्तरदायी हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस मामले में भारतीय ओलम्पिक संस्था कारण जानने का कोई प्रयत्न कर रही है। क्या ओलम्पिक खेलों के किसी पिछले अवसर पर क्या संसार के किसी भी भाग में मशाल विमान द्वारा ले जाई गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक हमें पता है, हमने उनको सब संभव सुविधाएं प्रदान करना स्वीकार कर लिया था, यदि वे मशाल को सड़क के रास्ते से ले जाने का फैसला करते। किन्तु मुझे ठीक से वे कारण मालूम नहीं हैं जो आखिरकार जापान की इस ओलम्पिक समिति के सामने थे । जैसा कि मैंने बताया है निर्णय करना उनका काम है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्य ने पूछा है कि जब साधारणतया मशाल कों भूमि के रास्ते ले जाया जाता है किन्तु अब इस को विमान द्वारा ले जाने का अपवाद क्यों किया जाता है। मा० मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि हमने प्रत्येक सुविधा पेश की थी, किन्तु वह नहीं कह सकते कि उन्होंने इसे सड़क के रास्ते से ले जाना क्यों स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या हमारी ओलम्पिक संस्था उनसे बात करके कारण का पता लगाने का विचार करती है। मंत्री जी ने तो कह दिया है कि उन को नहीं पता ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मा० सदस्य को पता है कि भारतीय ओलम्पिक संस्था एक स्वायत्तशासी संस्था है और सरकार इस मामले में चित्र में नहीं आती । मैं केवल मा० सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है और इस पर विचार किया जा सकता है । हम उनसे पूछ सकते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : (क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन से पता किया है कि क्या एक जलती मशाल को विमान में ले जाना सुरक्षित रहेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जो उत्तरदायी हैं वे अवश्य ऐसा करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'सेन्ट्रल प्राविन्स मैंगनीज ओर'

+

†*७१३ { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश स्वामित्व वाली 'सेंट्रल प्राविन्स मेंगनीज ओर" नामक फर्म को लेने और इसको केन्द्रीय, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उपकर्म के रूप में चलाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री सिन्हा)** : (क) और (ख). जैसा कि सभा को, अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१६ के उत्तर में ४ सितम्बर, १९६१ को बताया जा चुका है, उस कंपनी ने संबद्ध उच्च न्यायालयों में रिट की याचिकाएं दी थीं और ३१ मई, १९६१ को, उनको उनके पट्टों के अग्रतर नवीकरण प्रदान किये जाने से सरकार की इन्कार के विरुद्ध इंजक्शन ले लिया था। ये रिटयाचिकाएं अभी लम्बित हैं । परन्तु हाल ही में पारस्परिक सहमति से सुनवाई का लंबा स्थगन प्राप्त कर लिया गया है । कारण यह है कि कंपनी की प्रार्थना पर न्यायालय के बाहर बातचीत आरंभ की गई है ताकि कोई हल ढूंढा जाए । यह बातचीत अब अन्तिम प्रक्रम पर है, और यदि बातचीत सफल रहती है, तो मुकद्दमें बाजी रुक जाएगी और स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित एक नई कंपनी द्वारा खानें चलाई जाएंगी, जिसमें केन्द्रीय, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सरकारें अपने बीच में अधिकतर अंश रखेंगी और मध्य प्रान्त मेंगानीज अयस्क कम्पनी के पास कम अंश होंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या कंपनी के खनन पट्टे का विस्तार किया गया है और यदि हां, तो कितने वर्षों के लिये तथा किन शर्तों पर ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : वास्तव में पट्टों का विस्तार नहीं किया गया है । जब तक नया करार लागू नहीं होता, विस्तार नहीं हो सकता । कंपनी का कब्जा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किये गये रोकने के आदेश के अधीन जारी है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के राज्यों में इन खानों से मैंगनीज के उत्पादन पर विचार किया है और क्या इन सरकारों की मात्रा तथा हिस्से को इस आधार पर निश्चय किया जायेगा अथवा अन्य किसी आधार पर ?

†**श्री हजरनवीस** : हर बात पर ध्यान दिया जाएगा और सरकार इस बात के लिये प्रयत्न करेगी कि उन को सर्वोच्च संभव शर्तें प्राप्त हों ।

'एसोसिएशन आफ इंजीनियर्स'

†*७१४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एसोसिएशन आफ इंजीनियर्स' जो कि इंजीनियरों का सबसे पुराना संघ (गिल्ड) है, पंजीबद्ध नहीं किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसको मान्यता प्रदान न किये जाने के परिणामस्वरूप इस संस्था द्वारा आयोजित डिप्लोमा की परीक्षा में बहुत कम विद्यार्थी बैठते हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) संथा संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध है ।

(ख) संथा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभी तक कोई परीक्षा नहीं ली गई ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सही है कि यह उस समय में स्थापित की गई भारतीय वैज्ञानिकों और इंजनियरों की सब से पुरानी संस्था है, जब अंग्रेज लोग यहां थे और क्या इस बात का कि कोई विद्यार्थी उन की परीक्षा में नहीं बैठता, कारण यह है कि इसे भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हो सकता है यह एक कारण हो, किन्तु हम तथ्यों से चलते हैं कि क्या परीक्षाएं हुई थीं । जब हमने उन से पूछा, उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं यह समझूं कि मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई संस्था परीक्षा लेती है या नहीं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मान्यता दो विभिन्न उद्देश्यों के लिये होती हैं किसी विशिष्ट क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले निकायों से सलाह के लिये मान्यता जिस के लिये किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती । जब कोई संस्था चाहती है कि उसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को रोजगार प्राप्ति के लिये मान्यता दी जाए तो हमें अवश्य यह जानना चाहिये कि परीक्षा का स्तर कैसा है, पाठ्यक्रम क्या है, कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं आदि, और उन की छानबीन करनी होती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मा० मंत्री के पास मान्यता के बारे में इस संथा की ओर से कोई अर्जी आई है, और उस के अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस ने अपने डिप्लोमाओं की मान्यता के लिये १९६० में अर्जी दी । मैंने बता दिया है कि वह अर्जी क्यों—मैं यह तो नहीं कहता कि अस्वीकार कर दी गई है—अभी तक स्वीकार नहीं की गई है ।

मिश्र को भारतीय पुरातत्वीय शिष्ट मण्डल

†***७१५. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अधीन मिश्र को गये भारतीय पुरातत्वीय शिष्टमंडल ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है ;

(ख) क्या शिष्टमण्डल ने अपनी उपपत्तियों के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है : और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख) जी हां ।

(ग) नुबिया में ३००० वर्ष ईसा पूर्व तथा २००० वर्ष ईसा पूर्व के दो स्थानों की खुदाई की गई थी। आफथेह के समीप एक स्थान पर लगभग १५०० वर्ग मीटर क्षेत्र की खुदाई की गई थी, जिससे बहुत से मध्य तथा पश्चात पत्थर युग के औजार मिल, टामस के समीप दूसरे स्थान में एक शमशान भूमि थी, जिसमें से ११९ कबरें खोदी गईं ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** 'टाइम्स आफ इंडिया' के काहिरा स्थित संवाददाता ने सूचना दी है कि भारतीय मिशन ने पुराने नुबियाओं के बहुत से बड़े पत्थरों सम्बन्धी स्थानों को खोदा. जिनका रूप पुराने द्रावड़ों के कबरस्तान से अद्भुत रूप से मिलता है, जो समूचे पश्चिम दक्षिण भारत में पाये जात हैं। क्या मिशन के प्रतिवेदन के पुराने नुबियाओं और भारत के द्रावड़ों के बीच संभाव्य सम्बन्ध के बारे में कुछ प्रकाश डाला गया है ?

†**डा० म० मो० दास :** इस प्रश्न का इतनी जल्दी उत्तर नहीं दिया जा सकता । खोदी गई सामग्री का परीक्षण एवं अध्ययन किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सही नहीं है कि मध्य भारत तथा मिश्र के क्षेत्रों के बीच भूभौतिकी संबंध है और क्या इन निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि होती है ? साथ ही क्या इन निष्कर्षों से इन दोनों क्षेत्रों के बीच पुरातत्वीय सम्बन्ध की पुष्टि होती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस समय से सब अनुमान के विषय हैं ।

†**श्री मे० के० कुमारन :** मिशन के प्रमुख श्री लाल के कथनानुसार द्रावड और नुबिया स्थान परिवर्तन के एक ही स्थान से संम्भवतः दक्षिण अरब या दक्षिण ईरान से आये । क्या सरकार के सामने दक्षिण अरब और दक्षिण ईरान में खुदाइयां करने का प्रस्ताव है ? **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार ने यह अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है कि भूतकाल को खोदन से वर्तमान को किस सीमा तक सहायता मिलती है और क्या इस पर किया जाने वाला खर्च इसके फलों से अधिक तो नहीं होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इनका अपार्थिव मूल्य होता है जिसे पौण्डों शिलिंगों, और पैसों में नहीं आंका जा सकता ।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी

+

*७१६. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी को अपेक्षित प्रगति देने के लिये सरकार ने कोई समिति बनाने का निश्चय किया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक बन जायेगी और इसका क्या कार्य रहेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी सिखाई गई थी, वे उसे व्यवहार में न लाने के कारण भूलते जा रहे हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी को प्रगति देने की दिशा में कोई विशेष निर्णय किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के काम काज अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्यक्रम की प्रगति का समय-समय पर पुनरावलोकन करने के लिये एक विभागीय समिति बनाई गई है ।

(ग) से (ङ): मार्च, १९६१ से अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रयोग का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है । उन हिदायतों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है, जो इस बारे में जारी की गई है । **[पुस्तकालय रखी में गई, देखिये संख्या एल-टी-१११/६२]** ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार की तरफ से जो किताबें या रिपोर्टें मिलती हैं उन में अक्षर तो हिन्दी में रहते हैं और अंक अंग्रेजी में रहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस को कब तक खत्म करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी नहीं, उसको खत्म करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : जब सरकार कहती है कि वह हिन्दी की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी स्टेट्स से पत्राचार हिन्दी में होता है और कितनी स्टेट्स से अभी तक अंग्रेजी में पत्राचार हो रहा है और क्या इसका कोई लेखा है ?

श्री त्यागी : सदाचार **(हंसी)** :

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ज्यादातर पत्र व्यवहार--पत्राचार, अब इतनी हिन्दी तो मैं जानता नहीं लेकिन पत्र व्यवहार . . . **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : अब पत्राचार अगर यहीं शुरू हो गया तो कैसे सुनाई देगा । अगर आप खामोश हों तो सुनाई देगा । हां जी।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को तो शायद जानकारी होगी या होनी चाहिए कि उन प्रदेशों से, उन सूबों से जहां से हमारे पास अंग्रेजी में अभी तक पत्र आते हैं इसलिए जबाब भी उन के अंग्रेजी में ही जाते हैं।

डा० गोविन्द दास : भाषा आयोग और उस आयोग पर विचार करने के लिए जो संसदीय भाषा समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा था क्या वे सब सिफारिशें कार्यरूप में परिणित कर दी गई हैं और अगर नहीं की गई हैं तो क्यों नहीं की गई हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उस पर जो प्रेसीडेंट आर्डर निकला है उसे माननीय सदस्य ने देखा होगा और जिन बातों की ओर प्रेसीडेंट आर्डर ने ध्यान दिलाया है कि कार्यवाही की जाये, हम उनके अनुसार धीरे धीरे काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धान्ती

डा० गोबिन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ...

अध्यक्ष महोदय : मैं उधर चला गया हूं । बाद में आपकी तरफ आऊंगा ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : गृह-मंत्री महोदय से मैं यह जानने की इच्छा रखता हूं कि केन्द्रीय सरकार के समस्त कार्यालयों में हिन्दी को प्रगति देने के विषय में क्या हमारे प्रधान मंत्री महोदय का सहयोग और सहानुभूति उन को प्राप्त है ? **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : स्वामी रामेश्वरानन्द ।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी के विकास के लिये जितनी रुकावट पैदा की जा रही है है, उसको देख कर मुझे तो स्वयं लज्जा आती है। जब हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, ... **(अन्तर्बाधायें)** माननीय सदस्य न बोलें । अगर उन्होंने बोलना है, तो जब वे बोलेंगे उस समय हम भी इसी तरह बोला करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी से मुझे विनती करनी है कि वह सवाल करें।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं सवाल ही कर रहा हूं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस धीमी गति से हिन्दी को चलाया जा रहा है, तो वह किस तरह से और कितने दिनों तक राष्ट्र-भाषा बन सकेगी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को यह भी अनुभव करना चाहिये कि अगर वह किसी भाषा के विषय में इतनी जल्दी करें कि आदमी उसे सीख भी न पाए, तो वैसे भाषा का प्रसार नहीं हो सकता है । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस को गम्भीरतापूर्वक देखेंगे, तो वह अन्दाजा लगा सकेंगे, कि इस बीच में हिन्दी का प्रचार और प्रसार पहले की अपेक्षा काफ़ी हुआ है ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि भाषा आयोग और संसदीय हिन्दी समिति की रिपोर्ट के ऊपर हमारे राष्ट्रपति जी का आर्डर निकला है । क्या

उस आदेश के अनुसार सारी कार्यवाही हो गई है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं हुई है और कब तक उस के होने की सम्भावना है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम उसी आदेश के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं और करने की कोशिश लगातार जारी है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा प्रश्न तो इतना है कि .....

†**श्री हनुमन्तैया** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मंत्री महोदय अपने उत्तर अंग्रेजी में भी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने एक दफा पहले कहा है कि अगर हम इस तरह की ज़िद पर रहेंगे और जो कुछ कहा जाता है, उस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा बहुत वक्त लगेगा । अगर हर एक सवाल पर, जो माननीय सदस्य हिन्दी नहीं समझ सकते हैं, वह कहें कि मुझे अंग्रेज़ी में समझाया जाये और जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं, वह कहें कि मुझे हिन्दी में समझाया जाये, तो इस में दुगुना वक्त खर्च होगा । इसलिए मेम्बर साहब यह कोशिश करें कि अपने पास बैठे हुए किसी मेम्बर को इस बारे में पूछ लें, ताकि हम ज्यादा प्रगति कर सकें । मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में मुझे माननीय सदस्यों का मिलर्वतन और को-आपरेशन हासिल होगा और इस तरह से काम ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा ।

स्वामी रामेश्वरानन्द ।

†**श्री हेम बरूआ** : मैं औचित्य प्रश्न पूछता हूं कि अभी तक अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से किसी सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई । क्या इस का यह मतलब है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को ही इस मामले में दिलचस्पी है और अन्य लोगों को नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह मुझे कहने देते तो मैं किसी को बुलाता, किन्तु अब तो प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८** { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :
को कोया :

क्या **खात और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया के तेल विशेषज्ञों को कुछ मुआवजा दिया गया था, जो खम्भात में काम कर रहे थे और जो एक दुर्घटना का शिकार हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : दो रूमानी शिल्पिकों का, जो खम्भात में १-२-६० को कूंआ संख्या ३ में एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गये, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा रुमानिया के 'इंडस्ट्रियल ऐक्सपोर्ट,' के बीच संविदा के अधीन, बीमा किया हुआ था और उन के उत्तराधिकारियों को रुमानिया की बीमा कंपनी के द्वारा मुआविजा दिया जाएगा ।

(ख) रुमानिया की बीमा कंपनी द्वारा दिये गये मुआवजे की राशि का पता नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह: स्थानीय अखबारों में यह बात प्रकाशित हुई है कि जो रुमानियन एक्सपर्ट थे, उन को दो लाख रुपये कम्पेंसेशन दिया गया और वहीं काम करने वाले हिन्दुस्तानी लोगों को सिर्फ़ तीन हज़ार रुपए दिये गए । क्या यह बात ठीक है ?

श्री के० दे० मालवीय : जो खबरें किसी ग़ैर-ज़िम्मेदार अखबार में निकला करती हैं, उन पर तो मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता और उनको पढ़ा भी नहीं करता । अगर कहीं कोई ऐसी खबर निकली है कि दो लाख रुपए कम्पेन्सेशन किसी रुमानियन को आयल एंड नैटरल गैस कमीशन ने दिया, तो वह खबर बिल्कुल निराधार और ग़लत है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही स्थान पर काम करने वाले मानियन लोगों को, चाहे इन्शोरेंस से और चाहे कहीं और से, दो लाख पए प्राप्त हुए और हिन्दुस्तानियों को तीन हज़ार रुपए प्राप्त हुए, दोनों में जो यह अन्तर है, क्या यह ठीक है ?

श्री के० दे० मालवीय : मुझे तो मालूम नहीं कि जो रुमानियन यहां काम करते थे, उनको रुमानियन गवनमेंट से क्या दिया गया है । लेकिन उन के साथ उनकी कम्पनी से, आयल एंड नैटरल गैस कमीशन का एक करारनामा था कि जब तक वे यहां रहेंगे, जो इन्शोरेंस उन्होंने वहां कराया है, उसका प्रीमियम हम उनको अदा करेंगे । उस हिसाब से ढाई सौ रुपया महीने की दर से हम उनको दिया करते थे । उस एक्सिडेंट के बाद, उनका देहान्त हो जाने के बाद, मुझे मालूम नहीं कि मानियन कम्पनी ने उनको क्या कम्पेन्सेशन दिया । जहां तक हिन्दुस्तानी काम करने वालों का ताल्लुक है, उनको यहां के लेबर लाज़ के अनुसार कम्पेन्सेशन मिला, जोकि ग़ालिबन तीन और चार हज़ार के बीच में था ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सही है खम्भात मे काम करने वाले मृत विदेशी लोगों के शव सरकारी खर्चे पर उनके अपने देश में भेजे गये थे और सरकार ने इस पर क्या खर्च किया ? जो भारतीय वहां मरे उनके शवों का क्या हुआ ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : रुमानिया के लोगों के शव विमान द्वारा हमारे हिसाब से रुमानिया भेजे गये--हो सकता है मेरी बात में कुछ शुद्धि करनी पड़े और उनको हमारे खर्च पर ही तेल क्षेत्रों से उस स्थान तक ले जाया गया जहां से उन्हें रुमानिया के विमानों में रखा जाना था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेल भंडार संस्थापन

†*६९९. **श्री बासप्पा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्याप्त संख्या में तेल भंडार संस्थापनों का निर्माण कर रही है ;

(ख) अभी इस समय कितने तेल के भंडार की क्षमता की जरूरत है ; और

(ग) इसके क्या कार्यक्रम हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल तर पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) इंडियन आयल कम्पनी तेल भांडार संस्थापनों का बड़े बन्दरगाहों पर तथा देश के अन्दर कुछ चुने हुए स्थानों पर निर्माण कर रही है और इन स्थानों से आयात किए गए तथा देसी उत्पादों का भांडार बनाया जायेगा । संस्थापनाओं की क्षमता के बारे में यह बताया जाता है कि कम्पनी का यह प्रयत्न है कि उत्पादों की उपलब्धता बिक्री संगठन का विकास तथा समान्वित भांडार क्षमता का आयोजन करे। ज्यूं ज्यूं उत्पादों की प्राप्तता तथा बिक्री क्षमता बढ़ेगी त्यूं त्यूं भांडार क्षमता भी समय समय पर बढ़ेगी ।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कम्पनी ने बम्बई (एन्टौप हिल तथा वादला), कांडला, कोचीन, विशाखापत्तनम, सिलिगुरी तथा कलकत्ता (बजबज) में छः मुख्य स्थापनायें बनाई हैं। कम्पनी ने लगभग ५००० की क्षमता वाले १६ आन्तरिक डिपों को चालू कर दिया है । पच्चीस और अन्तरिक डिपों तथा छः बड़ी प्रस्थापनायें निर्माणाधीन है । कम्पनी मार्च १९६३ तक लगभग ३२५,००० टन के ा ता बनाने का आयोजन कर रही है । इन आंकड़ो के बारे में निर्णय कर लिया गया है और कम्पनी के विपणन संगठन के विकास आयात की क्षमता तथा स्वयं विक्रय के लिए आन्तरिक शोधनशालाओं से उत्पादन लेकर उसको अपने संगठनों द्वारा विक्रय की क्षमता के आधार पर ही यह निर्णय किया गया है ।

हिन्दी का प्रचार

*७००. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ५ वर्षों में अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में किन-किन गैर-सरकारी संस्थाओं ने हिन्दी के प्रचार का काय किया ; और

(ख) इन संस्थाओं को सरकार ने क्या वित्तीय सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रख दिया गया देखिय संख्या एल० टी० ११०/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र में विश्वविद्यालय क अध्यापक

†*७०३. **श्री यलमदा रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने विश्वविद्यालयों और सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों को वे वेतन-क्रम लागू कर दिये हैं जिनकी सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में की थी ;

(ख) यदि हां, तो कब से लागू किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कालेजों के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन क्रम लागू कर दिये हैं। राज्य के तीन विश्वबिद्यालयों और ३१ गैर-सरकारी किन्तु संबद्ध कालेजों ने अपने निजी साधनों में से, अपने अध्यापकों के लिये ये वेतन-क्रम जारी किये हैं ।

(ख) १ मार्च १९६१ से ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

निवेंली, मद्रास में उर्वरक कारखाना

†*७०७. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में निवेली में उवरक कारखाना स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब चालू होने की संभावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). विदेशी संभरणकर्ता से लगभग ७६ संयंत्र और मशीनें प्राप्त हुई है। भूमिगत पाइप लगाने का काम पूरा होने वाला है। लगभग ३० प्रतिशत सिविल काम अब तक पूरे किये गये हैं ।

निगम के काबू से बाहर बातों के कारण संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब हुआ है इन बातों का संबंध संयंत्र की कुछ चीजों को बनाने के लिये अपेक्षित गुप्त-प्रकार का इस्पात प्राप्त करने की कठिनाइयों इमारती सामान की कमी और स्थापित किये जाने वाले भारी कम्प्रेशरों की नींवों के लिये डिजाइन प्राप्त करने में प्रारम्भिक कठिनाई से है ।

यह मानकर कि आयात किया जाने वाला इस्पात अनुसूची के अनुसार अगस्त १९६२ तक देशी तौर पर बनाने के लिये उपलब्ध कर दिया जाता है, यह आशा की जाती है कि संयंत्र स्थापित करने का काम १९६३ के प्रारम्भ में शुरू किया जा सकता है, आयोग वाला उत्पादन मार्च १९६४ तक आरम्भ हो जाएगा तथा पूर्ण उत्पादन दिसम्बर १९६४ तक हो जाने की आशा की जाती है ।

शिवपुर वानस्पतिक उद्यान

†*७१२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवपुर वानस्पतिक उद्यान का रख रखाव और प्रबन्ध पश्चिम बंगाल सरकार से भारत सरकार को हस्तान्तरित किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह हस्तान्तरण कब होगा ;

(ग) वर्तमान कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या रहेंगी ; और

(घ) क्या वे सब सेवा में रहने दिये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां

(ख) से (घ). मामला विचाराधीन है ।

प्रतिरक्षा चिकित्सा कर्मचारी

†*७१७. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिरक्षा चिकित्सा कर्मचारियों के बारे में सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं के निदेशक की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अनुमान है कि यह प्रश्न चिकित्सा सेवाओं (सेना) के निदेशक के अधीन असैनिक चिकित्सा कर्मचारियों के बारे में निदेशक की सिफारिशों के सम्बन्ध में है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किया गया निर्णय वेतन-क्रमों में संशोधन के बारे में है और इस प्रकार है :

स्वच्छता सहायकों के वेतन क्रम में वेतन आयोग की सिफारिश के आकार पर रुपये १५०—६—१८५—८—२२५—कुशलता अवरोध—१०—२७६—१५/२—३०० से रुपये २१० १०—२९०—१५—३२० मु० अ० १५—३८० में संशोधन किया गया था और इसी प्रकार स्वच्छता निरीक्षकों के वेतन में पहले के निम्न तीन वेतन क्रमों के स्थान पर रुपये १५०—५—१७५—६—२०५ कु० अ० ७—२४० का संशोधित वेतन क्रम कर दिया गया :

(क) १००—५—१२५—६—१५५ रुपये ।

(ख) १००—५—१२५—६—१५५ कु० अ० ६—१८५

(ग) १५०—७—१८५—८—२२५ रुपये ।

२. चिकित्सा सेवा (सेना) के निदेशक की कुछ अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भ्रष्टाचार

†*७१८. श्री दी० चं० शर्मा :
डा० ल० म० सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के मामलों पर कारगर रूप में और तेजी से कार्यवाही करने के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता का विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केन्द्र ने इस प्रस्ताव पर राज्यों के विचार मांगे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनसे प्राप्त उत्तरों का क्या स्वरूप है ; और

(घ) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) इस सम्बन्धी प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि अधिकांश राज्य सरकारें प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में हैं । कुछ राज्य सरकारो के मत अभी प्राप्त नहीं हुआ ।

(घ) १. भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम का संशोधन--

(१) अधिनियम की धारा ५(१) (क और ख) के अधीन अपराधों के मुकद्दमे के लिये अधिनियम की धारा ४(१) में वर्णित अनुमान का विस्तार करना ।

(२) अधिनियम की धारा ५(१) से "अपना काम करते हुए" शब्दों को हटाना ।

(३) विशेष पुलिस संस्थान के इंसपैक्टरों को सक्षम दण्डाधीशों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपराधों की जांच करने के लिये सक्षम बनाना ।

(४) आय के ज्ञात साधनों की तुलना में अधिक आस्तियां रखना एक पक्का अपराध बनाना ।

(५) भ्रष्ट उपायों द्वारा प्राप्त आस्तियों की कुर्की हो सकना ।

२. उस विलम्ब को दूर करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की संगत धाराओं का संशोधन, जो जब अन्तर विचार-विनिमय आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण की अर्जी दी जाती है, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का हक रखने वाले न्यायालयों द्वारा कार्रवाई को रोक देने के कारण हो जाती है, और वह विलम्ब जो अपराधी की अनुपस्थिति में साक्ष्य लेने को रोकने के कारण हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

*७१९. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन विश्वविद्यालयों ने तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम अभी तक लागू नहीं किया है; और

(ख) ऐसा करने के लिये उनके मार्ग में क्या रुकावटें हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) बम्बई विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के चार राज्य विश्वविद्यालय अर्थात् आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ ।

(ख) बम्बई विश्वविद्यालय ने इस योजना को शैक्षणिक सिद्धान्तवश आरम्भ करने की अनिच्छा प्रकट की है । उत्तर प्रदेश के चार राज्य विश्वविद्यालय प्रशासकीय तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस योजना को आरम्भ नहीं कर सके हैं ।

औद्योगीकरण का आदिम जातीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

†*७२०. **श्री ह० च० सौय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के समवर्ती क्षेत्रो वाले औद्योगिक प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास होने से वहां की आदिम जातीय अर्थव्यवस्था और उनके जीवन और संस्कृति को बड़ा धक्का लगा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस औद्योगीकरण के प्रभाव के परिणामों का अध्ययन करने के लिये ढेबर आयोग ने एक व्यापक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने पर जोर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग ने, औद्योगिक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों के शीघ्र गति से परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो आदिम जातियों के परम्परागत रहे हैं और यह सुझाव दिया है कि आदिम जाति के लोगों को अपने आप को नये हालात के अनुसार ढालने में उन की सहायता करने के उपाय करने की दृष्टि से, आदिम जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर औद्योगीकरण के प्रभाव के सम्बन्ध में अनुसन्धानिक अध्ययन किया जाना चाहिये ।

(ग) आयोग की सिफारिशों की जांच राज्य सरकारों के परामर्श से की जा रही है तथा कार्रवाई करने की दृष्टि से समस्या की अच्छी तरह जांच करने के मार्गोपायों पर विचार किया जा रहा है ।

अन्दमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय

†*७२१. **श्री अ० सिं० सहगल:** क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब जबकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित करने के लिये अपना पुनर्गठन किया है, क्या सरकार अन्दमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्रीय बोर्ड से सम्बद्ध करने के लिये तत्काल कदम उठायेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). केन्द्रीय बोर्ड के साथ अन्दमान और निकोबार के उच्च माध्यमिक स्कूलों को जोड़ने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

लोक-सभा के लिये सदस्यों के नाम-निर्देशन में विलम्ब

†*७२२. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री स्वैल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड, नेफा, दादरा और नगर हवेली और गोआ, दमन और दीव से लोक-सभा के लिये सदस्यों के नामनिर्देशित किये जाने में अनुचित और असामान्य विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के सदस्य १६ अप्रैल, १९६२ को जिस दिन शपथ ग्रहण की जानी थी, १७ अप्रैल, १९६२ को, जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था और १८ अप्रैल, १९६२ को, जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण दिया जाना था, उपस्थित न रह सके, क्योंकि उनके नामनिर्देशन में विलम्ब हुआ ;

(ग) क्या दादरा और नगर हवेली और गोआ, दमन और दीव के सदस्य २१ अप्रैल, १९६२ तक सदन में उपस्थित नहीं हो सके; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) से (घ). कुछ थोड़ी देर हुई है। ३ अप्रैल, १९६२ को तीसरी लोकसभा औपचारिक रूप से कायम की जाने के तुरन्त बाद लोक-सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन के लिये कार्यवाही की गयी। नागालैण्ड, उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण, दादरा और नगर हवेली से सदस्यों के नाम निर्देशन सम्बन्धी अधिसूचनाएं १६ और १७ अप्रैल को जारी की गयी थीं और तदनुसार सदस्यों को सूचित कर दिया गया था। गोआ, दमन और दीव से सदस्यों का नामनिर्देशन अभी तक नहीं किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विनियोजन

†*७२३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री ओझा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने कलकत्ता में घोषणा की है कि निगम सरकार से प्रत्याभूति के बिना सीधे ही गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). कलकत्ते में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज असोसियेशन लिमिटेड के साथ बातचीत के दौरान यह बताया कि निगम सरकार से किसी प्रत्याभूति के बिना सीधे ही गैर-

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगा सकेगा। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को अपने करार के अन्तर्नियमों के अधीन स्वतः है ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है और चूंकि इस करार में कोई न बात नहीं है, इस लिए सरकार की राय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत-भूटान सड़कें

*७२४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहिले भारत को भूटान से जोड़ने के लिये कुछ मोटर-सड़कों के निर्माण की योजनायें स्वीकृत की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें बताया गया हो कि उनमें से प्रत्येक सड़क के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और अब तक हुए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सब मोटर-सड़क का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). इस समय इससे अधिक सूचना देना लोकहित में नहीं है।

कोयला खानें

†*७२५. **श्री बासप्पा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राज्य कोयला खानों की सभी आस्तियां और दायित्व राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हस्तान्तरित करने के विलेख का निष्पादन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब किया गया; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब क्यों है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के०दे० मालवीय)** :(क) से (ग). भूतपूर्व राज्यों की कोयला खानों का प्रबन्ध और स्वामित्व १-१०-१९५६ से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। लेकिन हस्तान्तरण का औपचारिक विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है। इस में देर इस कारण हुई कि भूतपूर्व राज्यों की कोयला खानों के परिसम्पद् और देनदारियों सम्बन्धी बहुत पुराने आंकड़ों की जांच और छानबीन करने में कठिनाई महसूस हुई। पहली कठिनाई तो उन मदों के सम्बन्ध में है जिनकी और आगे जांच करना जरूरी नहीं मालूम होता। यदि इन मदों को अलग करने में कोई कठिनाई नहीं हुई तो विलेख का यह भाग शीघ्र ही कार्यान्वित किया जा सकता है। हस्तान्तरण विलेख के दूसरे भाग में शेष मदों को शामिल करने के लिए उनकी छानबीन जारी रहेगी। सारे मामले में शीघ्रता करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में कोयला खानों का विकास

†*७२६. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री २७ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के अपनी कोयला खानों का विकास करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वार्ता किस प्रक्रम पर है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार अभी विचार कर रही है ।

इस्पात संयंत्र के लिये कच्चा माल

†*७२७. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों की कच्चे माल की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). इनका लगातार अध्ययन किया जा रहा है ।

रूरकेला उर्वरक संयंत्र

†*७२८. **श्री अ० सि० सहगल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला उर्वरक संयंत्र के लिये ७५ प्रतिशत उपकरण देश में प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब इस पर कुल कितना व्यय किया जायेगा;

(ग) क्या इस का व्यय पहले अनुमानों से अधिक होगा; और

(घ) यह कब तक उत्पादन आरम्भ कर देगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) संयंत्र और बस्ती सहित सहायक वस्तुओं के लिए २३ करोड़ रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सितम्बर, १९६२ ।

हीरों की कटाई

†*७२९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० का हीरा काटने और पालिश करने के उद्योग में लोगों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अन्तिम रूप में तैयार हो गया है;

(ग) इन लोगों को कहां प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(घ) उनको कितने समय तक प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

'वास्तविक उपभोक्ता' तथा 'छोटे पैमाने के उद्योगों' के लिये आयात लाइसेंस

†*७३०. **श्री बाल्मीकी:**
श्री सत्यनारायण :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर १९६१ से मार्च १९६२ तक की अवधि के आयात लाइसेंसों के लिये 'वास्तविक उपभोक्ता' और 'छोटे पैमाने' वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से मामले ऐसे हैं जो दो महीनों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पैराशूट

†*७३१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ किस्मों के पैराशूट, जो आयुध पैराशूट फैक्ट्री, कानपुर में बनाये जा सकते थे, अब ठेकेदारों के द्वारा बनाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्थानीय प्रबंधक इसका निर्माण करने में असमर्थ हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ताजमहल में बिजली लगाना

†*७३२. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में ताजमहल में बिजली लगाने के प्रस्ताव का अन्तिम रूप में फैसला कर लिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) ताजमहल में बिजली लगाने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में सोना

†*७३३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कोया :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने केरल में वाई-नाड स्वर्ण पट्टी क्षेत्र का बड़े पैमाने का मानचित्रण आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य की क्या प्रगति है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हज़रनवीस) :** (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात संयंत्र

†*७३४. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्र में विस्तार कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात फैक्टरियों में भी इसी प्रकार का विस्तार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है; और

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के संयंत्रों में विदेशी सहयोग किस रूप में उपलब्ध है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) **भिलाई :** भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सोवियत संगठन ने प्रस्तुत की थी उसे भारत सरकार ने नवम्बर, १९६१ में मंजूर कर लिया

†मूल अंग्रेजी में

था । साज-सामान आदि की सप्लाई के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सोवियत संगठन के बीच एक ठेके पर फरवरी, १९६२ को हस्ताक्षर किये गये थे । अनुमान है कि सिविल इंजीनिअरिंग वर्क्स के लिए ठेके शीघ्र ही दिये जायेंगे ।

रूरकेला: संयंत्र के लिए और विस्तार के साज-सामान के लिए, तीन मदों को छोड़कर, टेण्डर मांगे जा चुके हैं । कारखाने की जमीन पर प्रारम्भिक निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका है ।

दुर्गापुर: संयंत्र और विस्तार के साज-सामान के लिए टेण्डर मंगाने की व्यवस्था की जा रही है । कारखाने की जमीन पर प्रारम्भिक निर्माणकार्य भी शुरू किया जा चुका है ।

मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना : पहले दूसरी योजना में सोचा गया विस्तार कार्यक्रम तीसरी योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है । संयंत्र और साज-सामान के लिए आयात लाइसेंस जारी किया जा चुका है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भिलाई और रूरकेला के मामले में, संयंत्र और विस्तार के साज- सामान के आयात क्रमश: रूस और जर्मनी से प्राप्त होने वाले विदेशी ऋणों के अन्तर्गत संभवत: होगा । दुर्गापुर के मामले में वह संभवत: ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत होगा ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल में प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि

†*७३५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल में लगभग २००० प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण अवधि एक महीना बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अवधि बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हड़ताल समाप्त करते समय इस बारे में कोई समझौता नहीं हुआ था; और

(घ) इस विषय में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । प्रत्येक मामले में प्रशिक्षण अवधि का बढ़ाया जाना इस बात पर निर्भर होता है कि अनियमित अनुपस्थिति के कारण वास्तव में कितना समय नष्ट हुआ ।

(ख) सम्पूर्ण प्रशिक्षण शिक्षाक्रम पूरा करना होता है ताकि प्रशिक्षणार्थियों को कारखाने में काम पर रख लेने से पहले वे आवश्यक स्तर और कारीगरी प्राप्त कर लें । अनुपस्थिति के कारण जो समय नष्ट हुआ हो उसे पूरा करना ही पड़ाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'वास्तविक उपभोक्ता वर्ग' के अधीन लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र

†*७३६. **श्री बाल्मीकी :**
श्री सत्यनारायण :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों में "वास्तविक उपभोक्ताओं" से संबंधित आयात लाइसेंसों के लिये जम्मू और काश्मीर तथा दिल्ली के राज्य उद्योग निदेशकों द्वारा पुरस्कृत कितने कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने अनिर्णीत पड़ हैं ;

(ख) इन राज्यों में चालू अवधि—अप्रैल १९६२—सितम्बर—१९६२ में छोट पैमाने के उद्योगों में "वास्तविक उपभोक्ता" लाइसेंस वाली वस्तुओं के आयात के लिये क्या उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के लिये किन वस्तुओं का लाइसेंस लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा दिया जाना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्म्)** : (क) अक्तूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की लाइसेन्स अवधि के लिये दिल्ली के उद्योग निदेशक से ३६७ समर्थित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन में से २३० आवेदन पत्रों पर लाइसेंस दिये जा चुके हैं और १३७ मामले लाइसेन्स देने वाले अधिकारी के पास अभी पड़े हुए हैं। जम्मू और काश्मीर राज्य के उद्योग निदेशक से उसी लाइसेन्स अवधि के लिये २२ समर्थित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में से १४ आवेदन पत्रों पर लाइसेंस दिये जा चुके हैं और ८ आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है। ये आवेदन-पत्र लाइसेन्स देने वाले अधिकारी के पास पड़े हुए हैं और आवेदकों या समर्थन करने वाले अधिकारियों से उन के संबंध में स्पष्टीकरण अभी प्राप्त होना है ।

(ख) अप्रैल—सितम्बर, १९६२ की लाइसेन्स अवधि के लिये राज्यों के लिये अधिकतम सीमायें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(ग) लोहा और इस्पात नियंत्रक जिन वस्तुओं के लिये लाइसेंस दे सकता है उन की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०**]

फिल्म अभिनेता

११८७. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनेक फिल्मी सितारे निर्माताओं से "ब्लैक मनी" लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे व्यक्तियों पर कर लगाने की कार्यवाही करने के लिये बम्बई और कलकत्ता में विशेष आय-कर मण्डल (स्पेशल इनकमटैक्स सर्किल्स) स्थापित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुदान

†११८८. **श्री सिद्दय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्वयंसेवी संगठनों को १९६०–६१ और १९६१–६२ में मैसूर राज्य के पुस्तकालयों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन में से प्रत्येक को कितनी रकम मंजूर की गयी है; और

(ग) किन शर्तों के अधीन वह रकम मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) :

संगठन का नाम	मंजूर की गयी रकम	
	१९६०–६१ रुपये	१९६१–६२ रुपये
१. मैसूर राज्य वयस्क शिक्षा परिषद्, मैसूर	४०,०००	..
२. कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा, धारवाड़	३,४२०	३,४२०
३. योगिक एण्ड कल्चर इंस्टीट्यूट, चित्रदुर्ग .	१९५	
४. एस० बी० वी० पी० संस्कृत एलेमेन्टरी स्कूल, पादु-बिदरी, दक्षिण कनारा . .	१,८००	
५. संस्कृत पाठशाला, न्यायाती, जिला शिभोगा .	५००	
६. संस्कृत पाठशाला, तालुक हालुगुर मलवल्ली, जिला मंज्या	२,०००	..
७. रूरल इंस्टीट्यूट हनुमानमत्ती, जिला धारवाड़		३,५८०
८. एस० एस० के० वी० एम० हाई स्कूल शांन्तिग्राम, जिला हसन . . .		१,२८५
९. सिलवर जुबिली संस्कृत पाठरशाला, मैसूर		१,८००
१०. श्री सिद्दगंगा गुरुकुल, टुमकुर .		६,०००

(ग) संगठनों के लिये यह आवश्यक है कि वे स्वीकृत आधार पर परियोजनाओं के स्वीकृत अनुमानित खर्च में अपने हिस्से का खर्च करें और इन अनुदानों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षित लेख रखें और मंत्रालय को पेश करें ।

नवसाक्षरों के लिए और समाज-शिक्षा संबंधी साहित्य

†११८९. **श्री सिद्दय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज शिक्षा संबंधी साहित्य और नवसाक्षरों के लिये साहित्य के क्षेत्र में मैसूर राज्य के किन किन स्वयंसेवी संगठनों को १९६०–६१ और १९६१–६२ में सहायता दी गयी;

(ख) उन में से प्रत्यक को किस प्रकार की सहायता दी गयी; और

(ग) क्या प्रगति हुई है ?

---

†तन अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) किसी को नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

समाज-शिक्षा साहित्य

†११९०. **श्री सिद्दय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में समाज शिक्षा साहित्य तथा नवसाक्षरों के लिये साहित्य के क्षेत्र में मैसूर राज्य के प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रेताओं को क्या सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : नवसाक्षरों के लिये पुस्तकों/पांडुलिपियों की पुरस्कार प्रतियोगिता की योजना के अधीन कन्नड़ भाषा में 'उपनिशत्तिन सन्ता कथगलु' नामक पुस्तक की जिस पर पुरस्कार दिया गया है, १५०० प्रतियां खरीद ली गयीं और इस पुस्तक के प्रकाशकों को ५२५ रुपया दिया गया ।

अन्तर्विश्वविद्यालय सांस्कृतिक सम्मेलन

†११९१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्विश्वविद्यालय सांस्कृतिक सम्मेलनों के लिये कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सम्मेलनों का सविस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों में आपस में अध्यापकों के आदान प्रदान की कोई प्रथा है;

(घ) यदि हां, तो वे किन दशाओं में काम करते हैं; और

(ङ) क्या उस से होने वाले लाभ का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां । अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह प्रतिवर्ष इस मंत्रालय द्वारा आयोजित किये जाते हैं जिन में भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र समुदाय सांस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं ?

(ख) विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुए छात्र एक शिबिर में सात से लेकर दस दिन तक एक साथ रहते हैं । और नृत्य, नाटक, शास्त्रीय, मौखिक तथा वाद्य संगीत, समूहगीत आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं । वे चर्चा और वाद-विवादों में भी भाग लेते हैं । छात्रों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी भी शिविर-स्थल पर आयोजित की जाती है । गत वर्ष के सम्मेलन में ३५ से अधिक विश्वविद्यालयों से लगभग ८०० छात्रों ने भाग लिया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कोयले का उत्पादन और परिवहन

११९२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन और परिवहन के विषय पर चर्चा करने के लिये रेलवे मंत्रालय, खान और ईंधन मंत्रालय तथा इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की संयुक्त बैठकें करने की कोई नियमित प्रक्रिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की और रेलों की अत्यावश्यक मांगें पूरी करने के मामले में प्राथमिकता किस प्रकार निर्धारित की जाती है।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय** : (क) संबंधित मंत्रालयों के साथ मिल जुल कर परामर्श करना सरकारी कामकाज की एक साधारण बात है।

(ख) ईंधन कार्यक्षमता समिति की सिफारिशों के आधार पर किसी उपभोक्ता के लिये निर्धारित की गयी प्राथमिकता के अनुसार ही उस उपभोक्ता को कोयला दिया जाता है और इसलिये इस संबंध में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बीच कोई भेदभाव करने का प्रश्न नहीं है।

नरसिंगपुर और होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) का खनिज सर्वेक्षण

†११६३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंगपुर और होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) जिलों का गहरा खनिज सर्वेक्षण शुरू किया गया है और वह पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उस के क्या परिणाम हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). पहले खनिज निक्षेपों के भूतत्वीय मानचित्र तैयार करने और खोजबीन का काम शुरू किया गया था और वह अब भी जारी है। होशंगाबाद और नरसिंगपुर जिलों में ६००० वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में १:६३,३६० के पैमाने से भूतत्वीय मानचित्र तैयार किये गये हैं।

(ग) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने होशंगाबाद और नरसिंगपुर जिलों में खनिज पदार्थों की जो खोजबीन की गयी है उस के परिणाम नीचे दिये गये हैं :—

होशंगाबाद : १ : ६३,३६०--७,७४४ वर्ग किलोमीटर के पैमाने से कुल क्षेत्रफल के भूतत्वीय मानचित्र तैयार किये गये।

मिट्टी : खास कर जूना पानी और थूयापानी में मकराई प्रदेश में मिट्टी, मिट्टी उद्योग के लिए अनुपयुक्त है। बागरा में सफेद मिट्टी की परत से मिट्टी निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है।

कोयला : लोकरतलाई में मोरन नदी पर ४ फीट (१ मीटर) मोटी कोयले की परत का उल्लेख किया गया है। यह आर्थिक लाभ की नहीं है।

कच्चा लोहा : कजहेरी, निमखेरा और सोनमलाई में कच्चा लोहा, खासकर हेमाटाइट उपलब्ध है लेकिन वह बहुत सीमित मात्रा में हैं।

कच्चा मैंगनीज : सोनमलाई में कच्चा मैंगनीज उपलब्ध ह। यह घटिया किस्म की धातु ह और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है।

नरसिंगपुर : १ : ६३,३६०--१४५० वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के भूतत्वीय मानचित्र तैयार किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिट्टी : सदुरी और हसनपुर के बीच सफेद मिट्टी का उपयोग ईंटें बनाने के लिए किया जा सकता है । बाकोरी में मिट्टी का तेल बर्तन आदि बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है ।

कोयला : गोटिटोरिया क्षेत्र में चार परतों का पता लगा है जिनकी मोटाई १.५ से ८.८ मीटर तक है। १९०४ से १९०७ तक लगभग १० लाख टन कोयला निकाला गया और मोहपानी से लगभग ४५०,००० टन। काम अभी आगे जारी है।

सोना : बरुनखान कलान से नर्मदा नदी के रेत के परीक्षण से सोने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता ।

कच्चा लोहा : उमरपानी में कच्चे लोहे में कड़ा और मिट्टी वाल हेमाटाइट है ।

संगमरमर : बछई और सेहोरा में डोलोमिटिक संगमरमर की एक तंग पट्टी है ।

मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†११९४. **श्री उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां देने के लिए १९६१–६२ और १९६२–६३ में अलग अलग, उड़ीसा के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी थी और कितनी रकम दी गयी ; और

(ख) १९६१–६२ में वास्तव में कितनी रकम काम में लाई गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

(१)	**१९६१–६२**	**रुपये**
	अनुसूचित जातियां	१,४३,३००
	अनुसूचित आदिम जातियां	१,२६,०००
(२)	**१९६२–६३**	
	अभी तक कोई रकम मंजूर नहीं की गयी है ।	

(ख)		रुपये
	अनुसूचित जातियां	१,४०,६९४
	अनुसूचित आदिम जातियां	१,२७,४४४

उड़ीसा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†११९५. **श्री उलाका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्यों के क्षेत्रों के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए कोई योजनाएं बनाई गयी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना पर संभवतः कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

उड़ीसा को कोयला

†**११९६. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के औद्योगिक विकास के लिए "हार्ड कोक" (पक्का कोयला) की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि कोटा की मात्रा बढ़ाई जाये क्योंकि यह मात्रा अपर्याप्त रही है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) उड़ीसा राज्य के लिए हार्ड कोक का कोटा १४ वैगन मासिक है जिनमें से १० वैगन उपोत्पाद किस्म के हैं ४ वैगन छत्ता किस्म के हैं ।

(ख) और (ग). उपोत्पाद किस्म के पक्के कोयले का कोटा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का अभ्यावेदन आया था । परन्तु इस किस्म के कोयले की उपलब्धि कम होने के कारण ऐसा करना संभव न था । फिर भी, उड़ीसा सहित सभी राज्यों की बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत्ता किस्म के कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है । अधिकतर उद्योगों को उपोत्पाद किस्म के कोयले की आवश्यकता नहीं होती । उनकी आवश्यकता की पूर्ति छत्ता किस्म के कोयले से करने का विचार है ।

राज्यों को सीमेंट का आवण्टन

†**११९७. श्री पु० र० पटेल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सीमेंट का कोटा जन-संख्या या आवश्यकता के आधार पर दिया जाता है;

(ख) वर्ष १९५५ के बाद राज्यों को, राज्यवार, कितना कोटा दिया गया ; और

(ग) उन वर्षों में राज्यों को कितना सीमेंट दिया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) राज्यों को दिये गये कोटों सम्बन्धी जानकारी वर्ष १९५७ से उपलब्ध है और संलग्न विवरण में उद्धृत है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों को नालीदार लोहे की चादरों का आवंटन

†११९८. **श्री मु० र० पटेल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को नालीदार चादरों का कोटा जन संख्या के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर दिया जाता है;

(ख) राज्यों को वर्ष १९५५ से १९६१ तक वर्ष वार नालीदार चादरों का कितना कोटा दिया गया ; और

(ग) वर्ष १९५५ से १९६१ तक वर्षवार राज्यों को कितनी मात्रा दी गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) विभिन्न राज्यों को गल्वानाइज्ड नालीदार चादरें मांग के आधार पर आवंटित की जाती हैं ।

(ख) तथा (ग) विभिन्न राज्यों को गल्वानाइज्ड नालीदार चादरों का आवंटन और संभरण दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३३]**

गुजरात में कुओं से तेल

†११९९. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कुओं से कितना महीने वार कितना तेल गुजरात से बाहर तेल शोधक कारखानों को भेजा गया ; और

(ख) उन कुओं का क्या विवरण है जिनका तेल बाहर भेजा गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) गुजरात के कुओं से गुजरात के बाहर तेल शोधक कारखानों को महीनावार भेजे गये तेल का ब्योरा निम्न है :—

महीना	टन
सितम्बर, १९६१	२,९८०
अक्टूबर, १९६१	१,७२०
नवम्बर, १९६१	२,६८०
दिसम्बर, १९६१	२,७२०
जनवरी, १९६२	२,७४०
फरवरी, १९६२	८,७८५
मार्च, १९६२	१९,३२०
अप्रैल, १९६२	१७,९१४
योग	५८,८५९

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तेल परीक्षा के आधार पर निकाला जा रहा है जिसके कारण विभिन्न कुओं का प्रयोग उनके तेल की किस्म की जांच करने के लिए किया जा रहा है । फिर भी तेल कुंआ संख्या १,४,५, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, २३, २६, ३३, ३४, ३४क, ३६, ४५, ४७, ५६ और ५९ से निकाला गया ।

निकोबार द्वीप समूह से गोंद और सुपारी का निर्यात

†१२००. **श्रीमती सावित्री निगम**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में निकोबार द्वीप समूह से क्रमानुसार कितना गोंद और सुपारी का निर्यात हुआ ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष इन निर्यातों पर कितना स्वामित्व कर लगाया गया तथा प्राप्त किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

सेरठा और कालोल क्षेत्र

†१२०१. **श्री पु० र० पटेल** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेरठा (गुजरात राज्य) तथा कालोल तालुक (गुजरात) के अन्य गांवों में जमीनों के मालिकों को, जिनकी जमीनें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ले ली हैं, प्रतिकर दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ली गई जमीनों का प्रतिकर आयोग द्वारा सीधा जमीन-मालिकों को नहीं दिया जाता राज्य सरकार के राजस्व प्राधिकारी ऐसा प्रतिकर देते हैं । आयोग ने राज्य के राजस्व प्राधिकारियों को, जो प्रतिकर देने के लिये जिम्मेदारी है, पर्याप्त यात्रा में धन पहिले ही दे दिया है ।

अन्दमान व निकोबार सलाहकार समिति

†१२०२. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गृह-कार्य मंत्री की अन्दमान व निकोवार सलाहकार समिति वर्ष १९६२-६३ के लिये पुनः बनाई गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो समिति बनाने में देर होने के क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†१२०३. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया ;
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मनीपुर में पूर्वी पाकिस्तान से कितने व्यक्ति अवैध रूप से दाखिल हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मनीपुर संबंधी जानकारी निम्न है :—

	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
पश्चिम बंगाल	२,३३५	३,३३५	४,३४८
त्रिपुरा	१,५५८	१,६८५	१,५१६
मनीपुर	२	३	९

असम से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

बुनियादी शिक्षा

†१२०४. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को कोई जानकारी है कि राज्यों तथा संघ प्राशासित राज्य क्षेत्रों में, १९६२ तक कितने प्रतिशत प्राइमरी स्कूल बुनियादी ढंग के बनाय गये और कितन प्रतिशत और बनाये जायेंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने अनुदेश दिये हैं कि यह कार्य १९६२–६३ तक पूरा हो जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) हां, श्रीमान।

(ग) साधारण तया सभी राज्यों/संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों ने प्रोग्राम स्वीकार कर लिया है ।

हिन्दी का विकास

†१२०५. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिये स्वयं सेवी हिन्दी संगठनों की कार्यवाही के समन्वय, देख-भाल और मार्ग दर्शन के हेतु कलकत्ता तथा मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो हिन्दी का प्रचार करने में उन्हें क्या विशेष कठिनाइयां होती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रश्न लिया जा चुका है। आशा है कि ये कार्यालय शीघ्र ही अपना कार्य आरम्भ कर देगें ।

हिन्दी में नियमावलियां

१२०६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हिन्दी निदेशालय के पास कितने मेनुअल, विभागीय कोड आदि हिन्दी में अनुवाद के लिये प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितनों का अनुवाद पूरा करके संबंधित कार्यालयों को वापिस भेज दिया गया है ; और

(ग) शेष कार्य में देर लगने का क्या कारण है और उसको शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). हिन्दी में अनुवाद के लिये अभी तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास ४२५ मैनुअल और विभागीय कोड आदि प्राप्त हो चुके हैं। २२१ मैनुअल, कोड आदि का अनुवाद पूरा हो चुका है तथा ७१ को सम्बन्धित मंत्रालयों, विभागों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिये वापिस भेज दिया गया है। शेष १५० के अनुवादों की जांच की जा रही है । यह कार्य निरंतर चलने वाला है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

१२०७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ नये विभाग खोले जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितने अन्य नये विभाग खोले गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नये विभाग खोलने की योजना के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध मैडिकल कालेज की स्थापना की योजना भी विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो कब उसे कार्यरूप में परिणत किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ विषयों को एक विभाग में पुनर्गठित करके आधुनिक भारतीय भाषाएं नामक केवल एक विभाग प्रारम्भ किया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में उत्तर

१२०८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या नेशनल फायर सर्विस कालेज नागपुर, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालेज आबू, केन्द्रीय रक्षित पुलिस और विशेष पुलिस स्थापना (सैंट्रल रिजर्व पुलिस एण्ड स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमैंट) के इंस्पैक्टर जनरलों के कार्यालयों में प्राप्त पत्रों का उत्तर अभी भी अंग्रेजी में दिय जाते हैं; और

(ख) क्या ऐसी व्यवस्था की गई है अथवा की जान वाली है जिसके द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिये जायें ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). ३१ दिसम्बर १९६१ तक के अर्धवार्षिक आंकड़ों से पता चलता है कि नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर में हिन्दी पत्रों के सभी उत्तर हिन्दी में जारी हुए। अन्य तीन दफ्तरों में कुछ हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में भी दिया गया। तमाम हिन्दी पत्रों का यथासम्भव हिन्दी में उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में उचित कदम उठाये गये हैं ।

भट्टी के तेल का आयात

†१२०९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री व० क० रामस्वामी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कम्पनी ने हाल में विदेशों से उच्चतम किस्म के भट्टी के तेल का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से और कब आयात किया है; और

(ग) उसका मूल्य और भाड़ा कितना है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (ग). एक रूसी निर्यात संगठन (**Sojuzefte export**) के साथ इण्डियन आयल कम्पनी के ११-९-१९६१ को हुए करार की शर्तों के अन्तर्गत १६-३-६२ को कोचीन में ११,००० मीट्रिक टन भट्टी-तेल आया। यह तेल बढ़िया किस्म का है क्योंकि इस तेल की धार (पोर प्वाइंट) और चिपचिपाहट भारतीय निश्चित विवरण से अच्छे हैं।

मूल्य तथा भाड़ा संबंधी जानकारी व्यापार रहस्य माना जाता है। दोनों उत्पाद तथा समुद्री भाड़ा के लिये भुगतान भारतीय रुपयों में किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल

१२१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ के दौरान कितने सांस्कृतिक शिष्टमण्डल विदेश भेजे गये, और

(ख) उन पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) चौंतीस ।

(ख) ३,४९,१६२ रुपये ।

केरल में साहित्यिक गोष्ठी[1]

†१२११. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में कोई साहित्यिक गोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से एक रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है । अपेक्षित जानकारी यथासमय पटल पर रख दी जावेगी ।

मनीपुर प्रशासन के कर्मचारी

†१२१२. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये हिन्दी टाइप और हिन्दी शार्टहैंड प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) यदि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, तो वह कब तक की जानी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). अभी मनीपुर प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग बहुत सीमित स्तर पर ही होता है । आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध किया जायेगा ।

कोयला वितरण

†१२१३. { **श्री बासप्पा :**
श्री मुरारका :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और उद्योगवार कोयला का वितरण क्या है ; और

(ख) कोयला नियन्त्रक कार्यालय और रेलवेज में देश में कोयला के वितरण के मामले में अधिक सहयोग होने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Literary Workshops.

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कोयला का कोटा देने के लिये उद्योगों को दो वर्गों में बांटा गया है अर्थात् केन्द्रीय सरकारी उद्योग और राज्य सरकारी उद्योग केन्द्रीय सरकारी उद्योगों के लिये कोयले का कोटा राज्यवार निर्धारित नहीं किया जाता। दो विवरण जिनमें (१) केन्द्र द्वारा आरम्भ किये गये उद्योगों के लिये वैगनों के रूप में कोयला का संशोधित मासिक कोटा और (२) राज्यों द्वारा खोले गये उद्योगों के लिये वैगनों के रूप में कोयला का संशोधित मासिक कोटा दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) कोयला की ढुलाई रेल से होती है। यह कार्य कोयला नियन्त्रक द्वारा जारी किया जाने वाला मासिक प्रोग्राम के अनुसार होता है। वर्तमान प्रक्रिया में कोयला नियन्त्रक और रेलों के बीच आवश्यक सहयोग की व्यवस्था है।

भूतपूर्व कर्मचारियों को दी गई जमीनें

१२१४. श्री बाल्मीकी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को खेती तथा आवास के लिये १९६१-६२ में कितनी जमीनें दी गयीं;

(ख) ये जमीनें किस-किस स्थान पर दी गई; और

(ग) उन्हें इसके लिये कितना धन देना पड़ा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में अफजलगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों के उपनिवेश में ६२० एकड़ भूमि खेती बाड़ी के लिये, और मकान बनाने के लिये प्रतिरक्षा उपनिवेश किलोकरी, नई दिल्ली में एक प्लाट।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों से, उनको दी गई खेती बाड़ी के लिये भूमि के लिये, कोई कीमत नहीं ली गई।

मकान बनाने के लिये प्लाट के लिए, जो ९९ वर्ष के पट्टे पर दिया गया है, क्षेत्र का किराया और प्रीमियम निम्न दरों पर लिया जा रहा है।

पहले २० वर्षों के लिए क्षेत्र का किराया	प्रीमियम
६८ रुपये ३७ नये पैसे प्रतिवर्ष, इक्कीसवें वर्ष पुनरीक्षण अधीन।	७५ पये प्रतिवर्ष, १५ किस्तों में, पट्टे का छठा वर्ष आरम्भ होने से लेकर।

हरिजनों को दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि का दिया जाना

†**१२१५. श्री बाल्मीकी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० से अप्रैल १९६२ तक दिल्ली प्रशासन ने मकान बनाने के लिये कितने हरिजनों को भूमि दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भंगियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १६५६ ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विमान प्रतिरक्षा रैडार

†**१२१६. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु बल ने एक विमान प्रतिरक्षा रैडार बनाया है ;

(ख) क्या पूना में फ्लाइट लेफ्टीनेंट बी० एस० सोंधी और उनके साथियों द्वारा बनाये गये रैडार की पूर्ण जांच हो गई है; और

(ग) विमान प्रतिरक्षा रैडार के बनने से प्रतिरक्षा मन्त्रालय को देश में बने रैडारों पर निर्भर होने में सहायता मिली है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) पूरे रैडार का या उसके किसी भाग का विकास होता रहा है ।

(ख) और (ग). और कोई जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

'बीवर राइडिंग टाइनी ट्रेक्टर'

†**१२१७. श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में 'बीवर राइडिंग टाइनी ट्रैक्टर' के निर्माण के लिये दिल्ली की एक फर्म को लाइसेन्स दिया है ;

(ख) यह फर्म छोटे ट्रैक्टर का उत्पादन कब आरम्भ करेगी; और

(ग) अनुमानतः कितने मूल्य पर छोटा ट्रैक्टर भारतीय किसानों को मिल सकेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इस्पात तथा भारी उद्योगों की स्थापना

†**१२१८. श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात और भारी उद्योगों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६१ में और इस वर्ष अब तक ऐसे कितने उद्योगों की अनुमति दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये किस किस राज्य में होंगे और क्या उद्योग होंगे; और

(घ) वर्ष १९६१ से मार्च, १९६२ तक मध्य प्रदेश में ऐसे कितने उद्योगों की अनुमति दी गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

अंकलेश्वर का तेल

†१२१९. **श्री मुरारका** : क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर में अब तक कितना तेल निकाला गया है ;

(ख) इसकी कितनी मात्रा साफ कर ली गई है ;

(ग) क्या उत्पाद निकाले गये हैं ; और

(घ) साफ करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधन शालाओं को कितना धन दिया गया ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अप्रैल, १९६२ के अन्त तक बम्बई की दो शोधनशालाओं में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से लगभग ५८,८५९ टन कच्चा तेल भेजा गया था।

(ख) और (ग). कच्चा तेल बम्बई की गैर सरकारी दोनों शोधनशालाओं को बेच दिया जाता है जिसकी सफाई वह अपनी सुविधानुसार करती हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भोजूडीह कोयला धोने का कारखाना

†१२२०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के ३०० लाख पौंड के ऋण में से भोजूडीह कोयला धोने के कारखाने में को आवंटित ०.९२ करोड़ रुपये में से कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ख) कितने प्रतिशत काम खत्म हो गया है और कितना काम अभी बाकी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) अब तक अड़सठ हजार आठ सौ तथा तीस पौंड खर्च हो चुके हैं।

(ख) विस्तार कार्यक्रम में क्लीन कोलबनकर का कोल ट्रिपलर की नींव की खुदाई और सामान उतारने की व्यवस्था की गई है।

झरिया कोयला क्षेत्र

†१२२१. **श्री मुरारका** : क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३०० लाख पौंड के ब्रिटेन के ऋण में से झरिया कोयला क्षेत्र को 'डी' क्षेत्र में रज्जूपथ के लिए आवंटित १.४४ करोड़ रुपये में से कितनी रकम खर्च की गई है; और

(ख) कितने प्रतिशत काम खत्म हो गया है और कितना काम अभी बाकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ब्रिटेन के ठेकेदार को दिया गया आर्डर १.४४ करोड़ पये का ही है। वस्तुतः भुगतान १४,३७,१५४ पये का किया गया है। ठेका पूरे होने के विभिन्न क्रमों पर किस्तों में शेष रकम का भुगतान होगा।

(ख) स्थापना स्थान पर ठेकेदार का शिविर बन चुका है। यह ठेके के कुल मूल्य का २½ प्रतिशत है इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में कम्पनी की वर्कशाप में स्थापना का डिजायन बन चुका है।

वेतनक्रम

†१२२२. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलीटरी अस्पताल, तथा राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, दिल्ली कैंट में कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित वेतनक्रमों में निश्चित नहीं हुए हैं तथा बकाया नहीं दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) इन दोनों स्थापनाओं के ४२९ कर्मचारियों में से ४१६ कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित वेतन क्रम में निश्चित किये जा चुके हैं तथा बकाया दिये जा चुके हैं। १३ कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित वेतन क्रमों में निश्चित करने बाकी हैं।

(ख) कुछ निलम्बित मामलों में वेतन पुनरीक्षित नहीं किये जा सके क्योंकि या तो इन पदों को पुनरीक्षित वेतन क्रम देनेका प्रश्न विचाराधीन था अथवा व्यक्ति विशेषों के मामलों पर प्रशासनिक अथवा लेखा परीक्षा अधिकारी विचार कर रहे थे।

(ग) आशा है कि लम्बित मामले शीघ्र तय हो जायेंगे।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी

†१२२३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली कैंट के १९६० की हड़ताल में पदच्युत कर्मचारियों को सरकारी अंश समेत भविष्य निधि दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप के सेवा से निकाले गये तीन कर्मचारियों में से दो को सरकारी अंश के बिना अपना भविष्य निधि अंश दे दिया गया है। इन में से बाद में एक को पुनः नियुक्त कर लिया गया है और उसकी भविष्य निधि के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब वह पुनः नौकर हो जायेगा और अभ्यावेदन देगा। तीसरे कर्मचारी को पुनः नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा था और अब अस्वीकार हो जाने के बाद शीघ्र ही सरकारी अंश के बिना उनको अपना धन मिल जायेगा।

(ख) भविष्य निधि नियमों के अनुसार ऐसे मामले में सरकारी अंश नहीं दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

झरिया कोयला खान

†१२२४. **श्री पु० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमिगत आग और भूमि के धंस जाने से संचार व्यवस्था तथा पानी की पाइप लाइन पर असर पड़ जाने के कारण झरिया कोयला खानों की खतरनाक स्थिति जानकारी है ;

(ख) क्या १९५९ में इस सम्बन्ध में नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सरकार ने जांच कर ली है;

(ग) क्या यह सच है कि समिति ने प्रभावी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के निष्कासन और प्रतिकर भुगतान तथा कोयला खानों में नये मकानों के निर्माण पर नियंत्रण के बारे में नया विधान लागू करने का सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो विधान कब बनना आरम्भ होगा तथा किस स्तर पर बनाया जायेगा ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) झरिया कोयला खानों में आग के कारण स्थिति की जानकारी सरकार को है। यह अधिकांश आग २० से ३० वर्ष पुरानी है तथा इन खानों में जो १५ आगों का पता है उन में से ९ पर नियंत्रण, बांध बना कर, खाइयां खोद कर, न जलने वाले पदार्थों को आग के क्षेत्र में डाल कर, रेत डाल कर तथा खानों में पानी भर कर, किया गया है। यह काम कोयला बोर्ड या तो विभागीय तौर पर करता है अथवा प्रभावी कोयला खानों द्वारा करता है। शेष ६ आगो पर नियंत्रण के लिए संरक्षणात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

(ख) भारत सरकार ने झरिया कोयला खानों की स्थिति की जांच करने तथा स्थिति पर प्रतिवेदन देने के लिए समिति नहीं नियुक्त की है। परन्तु यह पता लगा है कि बिहार सरकार ने समिति नियुक्त की थी। बताया जाता है कि राज्य सरकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ). समिति ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं। परन्तु समिति की सिफारिशें की क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

कोयले के लक्ष्य

†१२२५. **श्री पु० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ६०० लाख टन के कोयले के उत्पादन के लक्ष्य तीसरी योजना का एक वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं;

(ख) उत्पादन की कमी किस कारण रही है;

(ग) उत्पादन की कमी को तथा पूर्व-निर्धारित लक्ष्य को सरकार का विचार किस प्रकार पूरा करने का है; और

(घ) क्या परिवहन की कमी के कारण नान-कोकिंग कोयले के बढ़े हुए उत्पादन के कारण कुछ काट छांट करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) और (ख). लक्ष्य में कोई कमी नहीं है। योजना की अन्तिम चौथाई में ६०० लाख टन का उत्पादन करने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य से हम आगे बढ़ चुके हैं। परन्तु कुल उत्पादन लगभग ५५० लाख टन था।

(ग) द्वितीय योजना के गत वर्ष में लक्ष्य ५५० लाख था इस तथ्य का ध्यान रख कर तीसरी योजना में ९७० लाख टन का उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

(घ) द्वितीय श्रेणी के कोयले के अतिरिक्त उत्पादन करने की गैर सरकारी क्षेत्र की बात उत्पादन के न्योरे बनाने के लिए स्वीकार कर ली गई है।

कोयले का उत्पादन

†१२२६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में वास्तविक लक्ष्य १३५ लाख टन पूरे करने में असफल रहा है;

(ख) पहले अनुभव के आधार पर क्या निश्चयात्मक कार्य उसने किये हैं जिससे उसका दावा कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम १९५५–५६ में ३०५ लाख टन कोयले का उत्पादन करेगा पूरा होने का औचित्य है; और

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम गैरसरकारी क्षेत्र में प्राप्त, उत्पादन क्षमता में सुधार करने में समर्थ हुआ है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) योजना के अन्तिम वर्ष की अन्तिम चौथाई में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा १३५ लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा भी यह लक्ष्य पूरा ही नहीं हुआ अपितु बढ़ गया।

(ख) पहले अनुभव सफलता के हैं तथा सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। ११० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य के परियोजना प्रतिवेदन बना लिये गये हैं और इन सभी परियोजनाओं के काम अनुसूची के अनुसार हो रहे हैं। अन्य परियोजनाओं के आरम्भिक कार्य भी आरम्भ कर दिये गये हैं।

(ग) कोयला उद्योग में प्रति व्यक्ति ०.५ से ०.६ टन कोयला निकलता है। राष्ट्रीय कोयला विकास कोयला खानों में यह आंकड़े १.० टन हैं।

क्षेत्रीय परिषदों का विघटन

†१२२७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता के चाहने के बावजूद भी क्षेत्रीय परिषदों का विघटन करने में देर हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश और मनीपुर की क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों की कार्यावधि २ अगस्त, १९६२ तक है और त्रिपुरा

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्रीय परिषद् के सदस्यों की कार्यावधि ३१ जुलाई, १९६२ तक है। विधान के अन्तर्गत कार्यावधि कम नहीं की जा सकती।

भूतत्वीय दलों का प्रविस्तारण[1]

†१२२८. **श्री यल्लमंदा रेड्डी** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२–६३ में देश भर में भूतत्वीय दलों, भूकम्पीय पार्टियों, ग्रेविटी मेगनेटिक और इलैक्ट्रोलागिंग यूनिटों का प्रविस्तारण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने दलों और यूनिटों का काम समाप्त किया जायेगा; और

(ग) किन राज्यों में ऐसा किया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण तथा भारतीय खान विभाग ४५६ भूतत्वीय क्षेत्रीय दलों, १५ ग्रेविटी मेगनेटिक पार्टियों, २४ भूकम्पीय पार्टियों और २३ इलेक्ट्रालागिंग यूनिटों का प्रविस्तारण करेंगे।

(ग) भूतत्वीय क्षेत्रीय कार्य सारे राज्यों, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान द्वीप समूह में होगा।

भूकम्पीय तथा ग्रेविटी मेगनेटिक पार्टियां पहाड़ों की तराइयों और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, राजस्थान, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश के मैदानों में कार्य करेंगी। उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त, दो ग्रेविटी मेगनेटिक पार्टियां उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में भी कार्य करेंगी। इलैक्ट्रोलागिंग यूनिट गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्य करेंगे।

सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

†१२२९. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के फलस्वरूप राजकोष का व्यय कितना बढ़ जायेगा; और

(ख) इस वृद्धि से कुल कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) असैनिक कर्मचारियों के लिए (जिनमें रेलवे कर्मचारी और वे असैनिक कर्मचारी जिन्हें प्रतिरक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान होता है) लगभग १३ करोड़ रु०।

(ख) लगभग २० लाख को।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deployment.

सेन्ट्रल प्राविन्सेस मैंगनीज और कम्पनी

†१२३०. **श्री दाजी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल प्राविन्सेस मेंगनीज और कम्पनी के पास कितने और किस क्षेत्र के पट्टे हैं;

(ख) इन पट्टों की क्या शर्तें हैं; और

(ग) विभिन्न पट्टे कब समाप्त हुए ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ग) सेन्ट्रल प्राविन्सेस मेंगनीज और का बालापुर का पट्टा छोड़ कर सब पट्टे १९४९ से पहिले के हैं। खनन पट्टा नियंत्रक ने उन सब में परिवर्तन किया था जिससे उनकी शर्तें खान तथा खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने खनिज पदार्थ रियायत नियमो के अनुसार हो गईं। बालापुर का पट्टा १-४-१९५१ को दिया गया था और अधिनियम तथा नियमों के अनुकूल था ।

त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्ति

†१२३१. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों से उनके पुराने ऋणों के लिये अलग अलग रहननामे लिये जा रहे हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने ऐसे रहननामों पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ग) क्या इन रहननामों पर हस्ताक्षर करने में विस्थापित व्यक्तियों को कोई हिचकिचाहट है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) ४०० (लगभग) ;

(ग) और (घ). वे स्वयं ही जानते हैं कि कुछ विस्थापित व्यक्तियों को रहननामों पर हस्ताक्षर करने में क्या हिचकिचाहट है ।

त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्र

१२३२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्रों में कितनी सहकारी समितियां घाटे पर चल रही हैं ;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों ने इस हानि के कारणों की जांच करने की मांग की थी ; और

(ग) इस मामले में त्रिपुरा प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) ५९ में से ४२ सहकारी समितियां घाटे पर चल रही हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रशासन ने प्रत्येक सहकारी समिति की स्थिति की जांच करने और उसकी स्थिति सुधारने के मार्गोपाय सुझाने के लिए एक सरकारी समिति बनाई थी । अव्यवहार्य योजनाओं को छोड़ने और व्यवहार्य योजनाओं का पुनः सुगठित करने का विचार है ।

त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् का लेखा

†१२३३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के लेखे का क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अनुसार लेखा परीक्षण हो गया है ;

(ख) क्या परिषद् के समक्ष उसकी अवधि के पांच पिछले वर्षों में कोई रिपोर्ट रखी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में झुमिया परिवारों का पुनर्वास

†१२३४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राश्मा-सरमा (त्रिपुरा) में ऐसे कितने झुमिया परिवार हैं जो पुनर्वास के प्रतीक्षक हैं ;

(ख) उक्त क्षेत्र के कितने झुमिया परिवारों को अब तक झुमिया अनुदान दिया गया है ; और

(ग) शेष झुमिया परिवारों का शीघ्र पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १२७६ परिवार ।

(ख) ४५६ परिवार ।

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में बाकी १२७६ झुमिया परिवारों के पुनर्वास की प्रशासन की योजना शामिल है ।

त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन

१२३५. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के विद्यार्थियों को दी गई बुनियादी शिक्षा का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या शीघ्र ही कोई मूल्यांकन करने के लिए कार्यवाही की जाएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में आदिम जाति खंड

१२३६. श्री बड़े : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आदिम जाति खंड कहां-कहां खोले जायेंगे ;

(ख) केन्द्रीय शासन ने सन् १९६१–६२ में आदिम जाति खण्ड (राष्ट्रीय विस्तार खण्ड) निर्माण करने के लिये मध्य प्रदेश शासन को कितना धन दिया ; और

(ग) यदि धन दिया गया तो क्या उसका प्रयोग मध्य प्रदेश शासन ने किया और यदि हां, तो कहां-कहां और कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है । सूचना प्राप्त होते ही एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

सीमान्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण

†**१२३७. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बर्मा, भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमान्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए एक अलग निदेशालय बनाने का निश्चय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए और कितने कर्मचारियों की भर्ती होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :

(क) से (घ). यह जानकारी देना लोक हित मे नहीं है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†**१२३८. श्री दाजी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक कार्य-भारित रूप में कार्य करने वाले कितने कर्मचारियों को उक्त भिलाई इस्पात कारखाना के कार्य-विभाग (आपरेशन साइड) में स्थानान्तरण कर दिया गया है ; और

(ख) ऐसे कितने मामलों में वेतन निर्धारित हो गया है और कितने व्यक्तियों का आपरेशनल कार्य के वेतन अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) १५३२ ।

(ख) सभी के वेतन निर्धारित हो गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य विधान परिषद् का निर्वाचन

†१२३९. {**श्री मनोहर :**
श्री राजाराम :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान परिषद् के निर्वाचन के अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को अपना मताधिकार प्रयोग करने से क्यों अलग रखा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में मद्रास राज्य सरकार या अध्यापक संगठन से कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिउबेन्द्र मिश्र) :** (क) संविधान के अनुच्छेद १७१ (३) (ग) के उपबन्धों को ध्यान में रख कर राज्यों की विधान परिषदों के अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को मत नहीं देने दिया जाता ।

(ख) सरकार को रामनाथपुरम जिला अध्यापक गिल्ड से एक संकल्प मिला है जो गिल्ड की अर्ध वार्षिक कान्फ्रेंस में स्वीकार किया गया था । कान्फ्रेंस ३१ मार्च, १९६२ को हुई थी और संकल्प में निवेदन किया गया है कि "विधान परिषद् के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रारम्भिक स्कूलों के समस्त अध्यापकों को मत देने योग्य बनाने के उद्देश्य से" और बातों के साथ साथ नियमों तथा संविधान में संशोधन किया जाये ।

(ग) सरकार का मत है कि विधान परिषद् के लिये निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को देने में कोई औचित्य नहीं है ।

सहकारी भवन निर्माण समितियां

†१२४०. **श्री याज्ञिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निश्चय किया है कि गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सहकारी भवन निर्माण समितियों को जो ऋण तथा आर्थिक सहायता दी जा रही थी; वे बन्द कर दी जायें;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को ऋण और आर्थिक सहायता कब दी जायेगी; और

(ग) अपने ही मकान बनाने के लिये इन पिछड़े वर्गों की सहायता करने के लिये क्या सरकार का विचार कोई अन्य कार्यवाही करने का है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है । जानकारी उपलब्ध होते ही एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

विशेष बहु-प्रयोजनीय खण्ड

१२४१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने विशेष बहुप्रयोजनीय खंड खोले गये हैं;

(ख) कितने खंड आदिम जाति क्षेत्रों में हैं, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों में कितने विशेष बहु-प्रयोजनीय खण्ड खोले जायेंगे ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी राज्य-सरकारों संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी उपलब्ध होने पर एक विवरण पटल पर रख दिया जायेगा ।

अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी का अध्ययन

†१२४३. **श्री अ० चि० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहिन्दी भाषी ऐसे कौन कौन राज्य हैं जिन्हों ने हाई स्कूल कक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य या एच्छिक विषय के रूप में लागू कर दी है; और

(ख) किन राज्यों ने हिन्दी को हाई स्कूल कक्षाओं में अनिवार्य या एच्छिक विषय के रूप में लागू नहीं किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**

मैसूर में इंजीनियरी कालेज

†१२४५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार कितने इंजीनियरी कालेजों को पूरी या आंशिक सहायता देती है;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में मैसूर में कोई इंजीनियरी कालेज खोला जायेगा; और

(ग) नये इंजीनियरी कालेज खोलने की क्या नीति है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) दस ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा :

इस उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो उपबन्ध हैं उस के अनुसार ।

गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा :

संबंधित गैर-सरकारी ऐजेंसियों को ५० प्रतिशत अनावर्तक व्यय देना चाहिये । केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार बाकी व्यय का बराबर बराबर भाग देंगी। जहां तक आवर्तक व्यय का सम्बन्ध है, गैर-सरकारी ऐजेंसी और राज्य सरकार को पांच वर्ष तक ७५ प्रतिशत व्यय देना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये और केन्द्रीय सरकार को २५ प्रतिशत पांच वर्ष बाद, केन्द्रीय सरकार का अंश या तो स्वयं राज्य सरकार ले ले और या गैर-सरकारी एजेंसी के साथ मिल कर ले लें।

कालीकट में लोह अयस्क

†१२४६. **श्री कोया :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को विदित है केरल राज्य में कालीकट के पास नान-मिन्दा में लोह अयस्क के साथ पत्थर पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का प्रयोग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) निम्न किस्म का अयस्क होने और तोड़ कर तथा इलैक्ट्रामैगनेटिक पृथक्करण द्वारा लाभ उठाने की आवश्यकता तथा इस क्षेत्र में कोयला का अभाव होने के कारण इन निक्षेपों का वाणिज्यिक प्रयोग लाभप्रद नहीं है।

चितली कबर, दिल्ली में बम विस्फोट

१२४७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की जामा मस्जिद के समीप चितली कबर कबर में जो भयंकर बम विस्फोट हुआ था; उस का पता लगा कर अपराधियों को दंड दिलाने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** मामले की अभी जांच हो रही है।

दिल्ली में यातायात संबंधी कठिनाइयां

†१२४८. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय को दिल्ली के कुछ प्रमुख मार्गों में, विशेषकर नये बाजार और जी० बी० रोड में जहां परिवहन समवायों ने इसे को वास्तव में माल चढ़ाने और माल उतारने का वार्ड बना लिया है, भारी यातायात संबंधी रुकावट का पता है;

(ख) क्या यह सच है कि भीड़ को कम करने के लिये बहुतसी योजनायें बार बार बनाई गई थीं और उन को अच्छी तरह से चलाने से पहले ही उन को समाप्त कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे; और

(घ) क्य उस भीड़ को स्थायी रूप से हटाने के लिये कोई सक्रिय उपाय करने का विचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) सरकार को मालूम है कि दिल्ली में मोटर गाड़ियों का यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है और कुछ स्थानों पर जिन में नया बाजार तथा जी० बी० रोड शामिल हैं, भीड़ रहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं। व्यस्त सड़कों पर भीड़ को कम करने के लिये समय समय पर अनेक उपाय किये गये हैं, अर्थात् भीड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त यातायात कर्मचारी तैनात करना, कुछ किस्मों की मोटर गाड़ियों के यातायात तथा यू मोड़ों पर प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना, एकतरफा यातायात लागू करना, कुछ क्षेत्रों को "गाड़ी खड़ी करने का स्थान नहीं" घोषित करना, चलते फिरते न्यायालय तैनात करना, पांच बड़ी सड़कों को चौड़ा करना, कुछ जंक्शन स्थानों पर बिजली की अतिरिक्त सिगनल देने की व्यवस्था करना, यातायात पुलिस के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, आदि।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) (१) टाउन प्लानिंग संगठन ने नया बाजार आदि के वर्तमान स्थानों से परिवहन कम्पनियों को ईदगाह सड़क के पास दूसरे स्थान पर बदलने की एक योजना बनाई है। फिर भी रिंग रोड पर बेकार ट्रक खड़े करने के लिये स्थान की व्यवस्था करने के लिये एक दूसरा स्थान चुना गया है। दोनों योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर कार्यान्विति के लिये शामिल की गई हैं।

(२) रेलवे प्राधिकारियों ने भीड़ कम करने के लिये वर्तमान जमना पुल के ऊपर एक कई लीवरों वाला पुल बनाना स्वीकार कर लिया है। मिन्टो रोड पर भीड़ को कम करने की दृष्टि से मिन्टो रोड पुल के पास नई और पुरानी दिल्ली के बीच एक और दूसरी मिलाने वाली सड़क का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

फ्लोराइट के निक्षेप[1]

†१२४६. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा जिले में छोटा उदयपुर से लगभग दस मील दूर अम्बा डूंगर में फ्लोराइड के कुछ बड़े निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किये गये गुण प्रकार तथा मात्रा संबंधी विश्लेषण के क्या परिणाम निकले हैं ?

†खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां।

(ख) भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा फ्लोराइट खनिज वाले क्षेत्रों वाले १.१४ वर्ग किलो मीटर वर्ग क्षेत्र का १:३००० के पैमाने पर विस्तृत बड़े पैमाने का मानचित्रण आरम्भ किया गया था। खनिजकरण की विभिन्न मात्राओं के खंडों का सीमांकन किया गया था। खुदाई द्वारा विस्तृत खोज करने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) प्रारम्भिक विश्लेषणात्मक सांख्यिकी से पता चलता है कि फ्लूरसपर चट्टानों में औसतन २० से २५ प्रतिशत तक फ्लोराइट है। लगभग १० लाख टन फ्लूरस पार्क-चट्टानें होने की आशा की जाती है।

---

[1]Fluorite Deposits.

†मूल अंग्रेजी में

कोयला

†१२५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९६२ के पहले तीन महीनों में कितना कोयला निकाला गया ;

(ख) क्या तमाम निकाला गया कोयला संभरण के लिये उठाया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न स्थानों पर इस समय कितना स्टाक जमा पड़ा है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १५० लाख टन ।

(ख) १९६२ के पहले तीन महीनों में निकाले गये कोयले की कुल मात्रा के निपटान का ब्यौरा इस प्रकार है :

	लाख टन
रेल द्वारा तथा रेल के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भेजा गया . .	१२९.७०
कोयला खान की खपत तथा कोक बनाने के लिये प्रयुक्त किया गया .	१६.२०
स्टाक में जमा	०४.१०
कुल	१५०.००

(ग) **कोयला क्षेत्र**

	३१ मार्च, १९६२ को स्टाक (दस लाख टनों में)
आसाम	०.०२९
आंध्र	०.०१९
पश्चिम बंगाल और बिहार . .	३.४२८
मध्य प्रदेश	०.२०९
महाराष्ट्र .	०.००४
उड़ीसा . . .	०.०१२
राजस्थान . .	०.००२
योग . . .	३.७०३

३१-१२-६१ को खानों के द्वार पर ३२·८९ लाख टन कोयले का स्टाक था ।

†मूल अंग्रेजी में

पेंशन के मामले

†१२५१. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के पेंशन के कितने मामले अन्तिम निपटारे के लिये लम्बित पड़े हैं ;

(ख) कितने मामले एक वर्ष से पुराने हैं, और

(ग) उन के अन्तिम रूप से निपटारे में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) और (ख). ३१ मार्च, १९६२ को अन्तिम रूप से निपटारे के लिये सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के पेन्शनों के मामलों की संख्या २६७९ थी। इन में से एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों की संख्या ४४७ थी।

(ग) ३१ मार्च, १९६२ को बकाया २६७९ मामलों में से लगभग १२०० मामले २ महीने से कम पुराने थे और या तो रिकार्ड आफिसों द्वारा उन की जांच पड़ताल तथा पूर्णता की जा रही थी अथवा वे पेन्शन मंजूर करने वाले अधिकारियों को पेश किये जा रहे थे। शेष मामले जो दो महीनों से अधिक पुराने थे, या तो प्रतिरक्षा लेखा (पेन्शन) नियंत्रक द्वारा अन्तिम फैसले के लिये बकाया थे, या अन्य प्रकीर्ण कारणों से पहली सेवा को गिनने के बारे में सेवा में रुकावटों की मुआफी के बारे में, या पहले सेवा के सत्यापन के लिये, घर बैठे हुए हटाये गये रक्षित सनिकों के मामले में असैनिक अधिकारियों द्वारा सेवा के कागजात का मुकम्मल किया जाना, नियमों में उदारता, या व्यक्ति के सेवा काल के कुछ विशेष पहलुओं के नियमितीकरण के लिये सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता ।

हैदराबाद में भूमि विज्ञान तथा भूभौतिकी केन्द्र[1]

†१२५२. **श्री बसुमतारी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार हैदराबाद में भूमि विज्ञानों और भूभौतिकी संबंधी अनुसन्धान करने के लिये एक केन्द्र स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भूभौतिकी बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञों की समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन पेश किर दिया है; और

(ग) इस समिति के सदस्य कौन हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) जी, हां । भूभौतिकी अनुसन्धान की एक संस्था हैदराबाद में स्थापित की जा रही है।

(ख) विशषज्ञों की समिति इस संस्था की आयोजना तथा स्थापना के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को मंत्रणा देने वाली एक स्थायी योजना समिति है और इसे कोई प्रतिवेदन नहीं देना है ।

(ग) योजना समिति के सदस्य ये हैं :—

१. महा निदेशक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान — सभापति

---

[1] Earth Sciences and Geophysics Centre

†मूल अंग्रेजी में

२. डा० डी० एस० रेड्डी,
उपकुलपति,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद — सदस्य

३. डा० के० आर० रामनाथन्,
निदेशक,
भौतिकी अनुसन्धान प्रयोगशाला, अहमदाबाद — "

४. डा० एस० भगवन्तम,
निदेशक,
भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर — "

५. महानिदेशक,
भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण, कलकत्ता — "

६. डा० ए० एन० टंडन,
निदेशक (भूकम्मीय),
भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग, नई दिल्ली — "

७. श्री एल० वेंकटा कृष्णा अय्यर
विशेष मुख्य इंजीनियर, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद — "

८. प्रो० जय कृष्ण
रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की — "

९. श्री बी० एस० नेगी,
निदेशक,
भूभौतिकीय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून — "

१०. निदेशक,
केन्द्रीय, भूभौतिकीय बोर्ड, हैदराबाद — "

११. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली — "

बरेली के समीप हवाई अड्डा

†१२५३. **श्री ब्रज राज सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बरेली (उत्तर प्रदेश) के समीप या वहां पर एक नया हवाई अड्डा बनाने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बरेली में पहले से हवाई अड्डा विद्यमान होते हुए नया हवाई अड्डा बनाना जरूरी समझा गया है; और

(ग) क्या नये हवाई अड्डे के लिये अपेक्षित भूमि सैकड़ों किसानों को भूमिहीन और घरहीन बनाये बिना मिल जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). बरेली में या उस के समीप एक नया हवाई अड्डा बनानेका इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान हवाई अड्डा जो प्रारम्भ में भारतीय विमान

†मूल अंग्रेजी में

बल के लिये बनाया जायगा, अपेक्षित विस्तार तथा सुधार के पश्चात् पुनः भारतीय विमान बल के उपयोग के लिये कब्जे में ले लिया जायगा ।

(ग) विस्तार और सुधार के लिये अपेक्षित निम्नतम अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जा रही है । उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार ३४६ व्यक्ति भूमिहीन हो जायेंगे किन्तु घरहीन कोई नहीं होगा ।

सैनिक स्कूल

†१२५४. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल द्वारा वार्षिक शुल्क के द्वारा प्राप्त की जाने वाली १९०० रुपये की राशि में सज्जा करना शुल्क और जमानत की राशि शामिल है;

(ख) क्या कम आय वर्गों के लोगों के स्तर के लिये ठीक रखने के हेतु कुल राशि को कम करने की कोई प्रस्थापना है;

(ग) सैनिक स्कूलों के प्रशासनिक पदों पर सेवा के किन दर्जों के अफसर नियुक्त किये जायेंगे; और

(घ) प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल, हैडमास्टर और रजिस्ट्रार के वेतन और भत्तों का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) शुल्क कम करने का कोई विचार नहीं है । कम आय वर्गों के जो बच्चे योग्यता के आधार पर पास होते हैं, उनको राज्य सरकारों की ओर से पूरे या आंशिक रूप में तथा बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनेक छात्रवृत्तियां हैं, जिन्हें भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे या सेवाओं वाले लोगों के बच्चे प्राप्त कर सकते हैं ।

(ग) सैनिक स्कलों में नियुक्त सेवा अफसर इन दर्जों के होते हैं :—

लेफ्टीनेंट कर्नल	प्रिंसिपल
मेजर या कप्तान (या अन्य दो सेवाओं का समान दर्जों का अफसर)	उन में से एक अफसर को हैडमास्टर और दूसरे को रजिस्ट्रार बनाया जाता है ।

(घ) इन अफसरों के वेतन और भत्ते सशस्त्र सेवाओं में उनके अपने दर्जे के अनुसार होते हैं और प्रतिरक्षा बजट में दिये जाते हैं ।

दिल्ली में कालेज और उच्च माध्यमिक स्कूल

†१२५५. { **श्री अब्दुल गनी गोनी :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री भगवत झा आजाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी कालिज और उच्चमाध्यमिक स्कूल कितने हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी कालेजों और उच्च माध्यम स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ग) विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों से मासिक शुल्क कितना लिया जाता है;

(घ) क्या सरकार दिल्ली में नि:शुल्क शिक्षा देना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख से ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) २ व्यवसायिक कालेज और १९१ उच्च माध्यमिक स्कूल, जिन में स्थानीय निकायों द्वारा व्यवस्थित तथा चलाये जाने वाले ११ स्कूल शामिल हैं ।

(ख) कला तथा विज्ञान के स्नातक कालेजों की संख्या, जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से संघटक या संबद्ध कालेजों के तौर पर मान्यता प्राप्त है, उनकी संख्या २१ है । उनके अतिरिक्त ८ व्यवसायिक कालेज और चार अनुसन्धान संस्थायें हैं । १०९ मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी उच्च-माध्यमिक स्कूल हैं ।

(ग) लिये जाने वाले शुल्क की अनुसूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(घ) शिक्षा दिल्ली में ८ वीं श्रेणी तक नि:शुल्क है । इस समय नि:शुल्क शिक्षा को आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली/नई दिल्ली में फौजदारी के मामले

†**१२५६. श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१-६२ में अब तक दिल्ली और नई दिल्ली के विविध थानों में कितने फौजदारी मुकद्दमे दर्ज किये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में चालान किया गया; और

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को दण्ड मिला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३९]**

दिल्ली में भूमि

†**१२५७. श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि अधिग्रहण करने के उद्देश्य के लिये स्थापित की गई समिति द्वारा आंका गया मूल्य विस्थापित दावेदारों को देने का विचार है जिन की भूमियां अधिग्रहण की गई हैं । और क्या वर्तमान दरों के अनुसार; और

(ख) यदि नहीं, तो मुआवजे का आधार क्या होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण करने के लिये कोई समिति नहीं बनाई गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विस्थापित तथा अन्य दावेदारों को, जिन की भूमि 'दिल्ली में भूमि अधिग्रहण, विकास और वितरण सम्बन्धी योजना' के अधीन अधिग्रहीत की जायेगी, जिसका ब्योरा २३ मार्च, १९६१ को श्री प्र० गं० देव द्वारा नियम १९७ के अधीन दी गई सूचना के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ की धारा २३ और २४ के अनुसार होगा।

भारत सर्वेक्षण विभाग के नक्शे--हिन्दी में

१२५८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वे आफ इंडिया ने पिछले ६ महीनों में कितने नकशे हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में छापे हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में और कौन-कौन से नकशे हिन्दी में छापने का विचार है;

(ग) क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी कुछ नकशे छापे गये हैं, यदि हां, तो कौन कौन सी भाषा में छापे गये हैं; और

(घ) नैशनल एटलस आर्गेनाइज़शन द्वारा गत ६ मास में कितने नकशे हिन्दी में छापे गये और चालू वित्तीय वर्ष में भी क्या कुछ और छापने का विचार है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) १ हिन्दी में और १०६ अंग्रेजी में।

(ख) भारतवर्ष का रेलवे मानचित्र, १९६२ का संस्करण।

(ग) नहीं।

(घ) कोई भी नहीं।

इस समय नेशनल एटलस आरगेनाइज़ेशन अंग्रेजी में एटलस का मुख्य संस्करण निकालने के काम में लगा हुआ है। हिन्दी का संस्करण १९५७ में निकाला जा चुका है।

लोकप्रिय वैज्ञानिक पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद

१२५९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की योजना के अनुसार हिन्दी में लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य की कितनी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में और कौन-कौन सी पुस्तकें इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित करने का विचार है; और

(ग) सरकार ने विज्ञान को हिन्दी के माध्यम से लोकप्रिय बनाने की दिशा में क्या कुछ और भी किया है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) "वण्डर वर्ल्ड आफ साइंस" नामक किताब के भाग एक और भाग दो का हिन्दी रूपान्तर एक प्राइवेट फर्म ने सरकारी आर्थिक सहायता से प्रकाशित किया है।

(ख) इस सीरीज़ के भाग तीन को १९६२–६३ के दौरान प्रकाशित करने की योजना है।

(ग) जी हां। हिन्दी के कुछ लोकप्रिय वैज्ञानिक पत्रों को आर्थिक मदद दे कर।

नियमों और नियम पुस्तकों का अनुवाद

१२६०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा जो नियम एवं नियम पुस्तिकायें आदि काम में लाई जाती हैं, उनका हिन्दी अनुवाद कराने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) दिल्ली व हिमाचल प्रदेश प्रशासनों से कहा गया है कि वे तमाम नियमों तथा मैनुअलों का हिन्दी अनुवाद करायें या उनको इस मंत्रालय को भेज दें जिससे उनका हिन्दी अनुवाद यहां के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, तथा विधि मंत्रालय द्वारा कराया जा सके। हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अभी तक आठ नियम व मैनुअल भेजे हैं जिनको अनुवाद के लिए विधि मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(ख) अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह काम कब तक पूरा होगा। कोशिश की जा रही है कि जहां तक सम्भव हो प्रायः सभी महत्वपूर्ण मैनुअलों का १९६३ तक हिन्दी अनुवाद तैयार करा लिया जाय।

सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने का रोस्टर

१२६१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय तथा कार्यालय हैं, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये रोस्टर तैयार नहीं किया है; और

(ख) उनके तैयार न करने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). पूरी सूचना इकट्ठी हो जाने पर विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

आयुध प्रतिष्ठानों के असैनिक राजपत्रित अफसरों का स्थायीकरण

†**१२६९. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व असैनिक राजपत्रित अफ़सरों को, जो अब आयुध प्रतिष्ठानों में आयुध अफसरों के रूप में काम कर रहे हैं, स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) क्या उन में से कुछ अफसरों ने १० या १५ वर्षों से अधिक समय से इस रूप में काम किया है; और

(ग) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) बहुतेरे आयुध अफसर (असैनिकों) को प्राधिकृत स्थायी पदों पर स्थायी किया जा चुका है। शेष स्थायी रिक्त स्थानों पर,

†मूल अंग्रेजी में

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही स्थायीकरण किये जाने की आशा है, जिसका प्रधान संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य है ।

(ख) जी हां ।

(ग) आयुध अफसरों (असैनिक) की कुल संख्या प्राधिकृत स्थायी पदों से अधिक है । इसलिये स्थायीकरण तब किया जा सकता है जब स्थायी रिक्त स्थान उपलब्ध हों ।

मद्रास में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

†१२६३. **श्री उमानाथ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के सभी कालेजों में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम कार्यान्वित किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं तो कौन कौन से कालेज बच गये हैं और उसका कारण क्या है; और

(ग) मद्रास राज्य में पूरी तौर से यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नांगल बांध पर हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्टरी

†१२६४. **श्री बलजीत सिंह :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल बांध पर हैवी इलेक्ट्रिकल फैक्टरी कायम करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निश्चय किया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). हेवी इलेक्ट्रिकल कारखाना बनाने के लिए टेक्निकल कमेटी ने विभिन्न राज्यों में जिन अनेक स्थानों के बारे में विचार किया था उनमें से पंजाब राज्य में स्थित नंगल भी एक स्थान था । उस समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने सरकारी क्षेत्र के नये इलेक्ट्रिकल कारखानों के लिए निम्नलिखित स्थान २० सितम्बर, १९६१ को एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा घोषित किये :—

(१) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रानीपुर नामक जगह पर नया इलेक्ट्रिकल कारखाना (रूसी ऋण से)

(२) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास रामचन्द्रपुरम् में नया इलेक्ट्रिकल कारखाना (चेकोस्लावाकिया के ऋण से)

(३) मद्रास राज्य में तिरुची के पास हाई प्रेशर बॉयलर (चेकोस्लावाकिया के ऋण से) ।

बैंक आफ चाइना के कर्मचारी

†१२६५. **श्री पु० र० पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ चाइना के कुछ कर्मचारी विद्रोहपूर्ण कार्यों के अपराधी पाये गये थे; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) विदेशियों का अधिनियम (फॉरेनर्स एक्ट), १८४६ के उपबन्धों के अधीन उन पर कार्रवाई की गयी और उनमें से ७ व्यक्ति भारत से चले गये हैं ।

पंजाब में हरिजन कल्याण के लिए अनुदान

†**१२६६. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में हरिजन कल्याण के लिए अनुदान बढ़ाने की प्रार्थना भारत सरकार से की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

†**१२६७. श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ से १९६१ तक की अवधि में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने निम्नलिखित प्रयोजनों पर कितना धन खर्च किया :–

(१) अरबी और फारसी बोलने वाले क्षेत्रों के देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए ;

(२) अफ्रीका में अरबी से भिन्न भाषा बोलने वाले देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए ;

(३) लैटिन अमेरिका (ब्राजील सहित) देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए ;

(४) उत्तर अमेरिका, यूरोप और आस्ट्रेलिया के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए

(५) दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (१) ३,०४,१५५ रुपये ।

(२) ३,२६,१९७ रुपये ।

(३) १,७५,३३३ रुपये ।

(४) ३,७६,२३१ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय लोक प्रशासन संस्था, नयी दिल्ली

†१२६८. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोक प्रशासन संस्था, नयी दिल्ली को भारत सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) उस संस्था में अभी फिलहाल कितने अनुसन्धान कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ग) इन में से कितने प्रकाशन उन कर्मचारियों के अनुसन्धान के परिणामस्वरूप हुए हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) ७२.०४ लाख रुपया ।

(ख) इस संस्था के नियमित कर्मचारियों के रूप में अभी जो अनुसन्धान कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

सहायक मुख्य अनुसन्धान पदाधिकारी	१
अनुसन्धान पदाधिकारी .	१
सहायक अनुसन्धान पदाधिकारी	३
अनुसन्धान सहायक	४
कुल	९

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए इन्वेस्टिगेटरों और असिस्टेंटों को तदर्थ आधार पर भरती किया जाता है । स्कूल के अध्यापक कर्मचारी भी अनुसन्धान काम में लगे हुए हैं ।

(ग) इस शाखा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, लेख आदि की सूची अनुबन्ध में दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

तिरुची में खनिज

†१२६९. **श्री उमानाथ :** क्या **खान और इंधन** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुची जिले के किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा खनिज पाया गया ;

(ख) इन खनिजों की अनुमानित मात्रा क्या है ; और

(ग) ये खनिज निकालने और उनका उपयोग करने के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

तिरुची (मद्रास) में कच्चे लोहे की खानें

†१२७०. **श्री उमानाथ :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुची जिले के पुदुक्कोटे डिविजन में कच्चे लोहे की खानें पायी गयी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में कुल अनुमानित मात्रा कितनी है ;

(ग) उसमें लोहा कितना प्रतिशत है ;

(घ) क्या उसे निकालने और उसका उपयोग करने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि मल्लमपट्टी में खानों में ७ मीटरों की गहराई पर ५०,००० टन (५०,८०० टोनस) खनिज रक्षित है ।

(ग) लोहे का परिमाण २५ से ४० प्रतिशत तक है ।

(घ) जी नहीं । उस खनिज की किस्म और मात्रा इतनी नहीं है कि राज्य उसको निकाले ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कन्ननूर छावनी में आवास योजना

†१२७१. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्ननूर छावनी में कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की कोई योजना चालू करने की बात है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टरों के लिए मंजूरी दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). सरकार अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि छावनी बोर्ड की ऐसी कोई योजना है या नहीं लेकिन वह पूछताछ करेगी ।

त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूल

†१२७२. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४५, १९४९ और १९६१ तक त्रिपुरा में कुल कितने प्राइमरी स्कूल थे ; और

(ख) १९४५, १९४९ और १९६१ तक त्रिपुरा में कुल कितने हाई इंगलिश स्कूल्स थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

	प्राइमरी स्कूलों की संख्या	हाई स्कूलों की संख्या
वर्ष १९४५ में	११४	६
वर्ष १९४९ में	३९९	२३
वर्ष १९६१ में	१२६१	३४

†मूल अंग्रेजी में

आयकर जांच पड़ताल और अनुसन्धान निदेशालय

†१२७३. **श्री जेवे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग अलग आयकर जांच पड़ताल और अनुसन्धान निदेशालयों को एक कर देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने की कोई योजना सरकार के सामने थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिक्री कर फार्मों की चोरी

†१२७४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य बिक्री कर आयुक्त के कार्यालय के तीन चपरासियों को दफ्तर से बिक्री कर फार्म चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या सभी फार्म बरामद हो गये हैं ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) अब तक ८ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें से ६ बिक्री कर आयुक्त के कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ।

(ख) 'सी' घोषणा-प्रपत्रों की ४८० पुस्तकें चुरायी गयी थीं जिनमें से २९२ पुस्तकें इस बीच बरामद की जा चुकी हैं ।

(ग) गिरफ्तार कर्मचारियों को उनकी गिरफ्तारी की तारीख से मुअत्तल कर दिया गया है ।

दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूल

१२७५. **श्री बागड़ी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों में परिवर्तित करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है, और न ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्दामन द्वीपों में सरकारी कर्मचारियों को पूरक भत्ता

†१२७६. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री जुलाई, १९६१ में हुई अन्दमान और निकोबार द्वीप सम्बन्धी गृह मंत्री की मंत्रणा समिति की पहली बैठक के विचार विमर्श के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में सहन रहन के अतिरिक्त खर्च को प्रतिसन्तुलित करने के लिए वहां के सरकारी कर्मचारियों को पूरक भत्ता देने के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच कोई निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को दिये जाने वाले अतिरिक्त भत्ते की दर क्या है ;

(ग) किन किन श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को इस पूरक भत्ते से लाभ होगा ; और

(घ) क्या इससे अ-राजपत्र घोषित (नॉन-गजेटेड) कर्मचारियों की ३३ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते की मांग पूरी हो जायगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में रहन सहन के ऊंचे खर्च की पूर्ति के लिए वहां के कर्मचारियों को भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में उनसे बराबर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

सरकार ने उन कर्मचारियों को जिन्हें अन्दमान प्रशासन के अधीन सेवा के लिए स्थानीय रूप से भरती किया गया हो और जिन्हें ५०० रुपये माहवार से कम मूल वेतन मिलता हो, मूल वेतन के ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत की दर से पूरक भत्ता देने का निश्चय किया है ।

यह भत्ता उन कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकेगा जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में सेवा के लिए भारत से भरती किये गये हों या भेजे गये हों, और जिन्हें पहले से ही अन्दमान विशेष वेतन मिलता रहा हो ।

खासी जैन्तियां पहाड़ियों में कोयला खानें

†१२७७. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में खासी जैन्तिया पहाड़ियों में कोयला खानों से कोयला निकालने के लिए सरकार ने कोई लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) ऐसे खनन अधिकारों के लिए कितने आवेदन पत्र अभी सरकार के पास पड़े हुए हैं ; और

(ग) ये लाइसेंस कब देने का सरकार का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). कोयला खानों से कोयला निकालने के लिए रियायतें राज्य सरकार खनिज रियायतें नियमों के अधीन मंजूर करती हैं यद्यपि केन्द्रीय सरकार से पहले मंजूरी लेनी होती है । केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी से यह दिखायी पड़ता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला खासी जैन्तिया पहाड़ियां (आसाम) में कोयला निकालने के लिए केवल एक नया पट्टा मंजूर किया गया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में असमिया का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

†१२७८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असमिया भाषा का एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट कोर्स) चालू करने का दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी नहीं। फिर भी विश्वविद्यालय के अधिकारी बी० ए० (पास) कोर्स में असमिया का विषय शामिल करने के आसाम सरकार के सुझाव पर आसाम सरकार के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

दिल्ली में पुलिस अफसरों को भत्ते

†१२७९. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इन्स्पेक्टरों, सब-इन्स्पेक्टरों, असिस्टेन्ट सब-इन्स्पेक्टरों और कांस्टेबलों को प्रारम्भिक दशाओं में कोई वर्दी-भत्ता दिया गया था और यदि हां, तो किस दर से; और

(ख) क्या पुलिस अफसरों को कोई मकान किराया भत्ता या सवारी भत्ता दिया जा रहा था और यदि हां, तो किस दर से ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई वर्दी भत्ता नहीं दिया जाता। लेकिन पुलिस नौकरी में उनकी पहली नियुक्ति पर उन्हें समय समय पर निर्धारित किये गये क्रमों के अनुसार सरकारी खर्च पर वर्दियां दी जाती हैं। ये वर्दियां नियमित रूप से एक अवधि के बाद मुफ्त बदल दी जाती हैं।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]

गुजरात में कोयले की कमी

†१२८०. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के अनेक छोटे छोटे कारखाने कोयले की कमी के कारण बन्द हो गये हैं;

(ख) क्या कोयला इस्तेमाल करने वाले ऐसे कारखानों और व्यापारी संगठनों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). कोयले की कमी के कारण गुजरात में किसी महत्वपूर्ण औद्योगिक कारखाने के बन्द होने की कोई निश्चित सूचना सरकार को नहीं मिली है। समय समय पर कोयले की कमी और कम स्टाक की सूचनाएं अक्सर मिलती रहीं और उन मामलों में विशेष नियतन से या जिन उपभोक्ताओं के पास कोयले का काफी स्टाक हो उनसे लेकर दूसरों को तुरन्त सप्लाई किया जाता रहा। कोयले की सप्लाई अधिक नियमित और संतोषजनक हो इसके लिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, बलसर और वीरमगाम में कोयला केन्द्र स्थापित करना मंजूर किया है। इन केन्द्रों के लिए इन स्टेशनों की उपयुक्तता के सम्बन्ध मे रेलवे मंत्रालय के परामर्श से छानबीन की जा रही है।

प्रौढ़ अंधों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून

†१२८१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में प्रौढ़ अंधों के लिए प्रशिक्षण स्कूल के अधीन शेल्टर्ड वर्कशाप में काम करने वाले कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें पेश करते रहे हैं और उनकी शिकायतें दूर नहीं की गयी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उनके वेतन-भत्ते आदि बढ़ाने और उन्हें कोई बुढ़ापा-लाभ देने की कोई योजना है; और

(ग) क्या वर्कशाप की स्थापना से लेकर अब तक, उसमें तैयार की गयी वस्तुओं की बिक्री से वर्कशाप को कोई मुनाफा हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) कुर्सी बुनने वालों के लिये मजूरी की दर बढ़ाने की एक योजना की छानबीन हो रही है । उन्हें बुढ़ापा-लाभ देने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इस वर्कशाप में स्थायी आधार पर रोजगार नहीं दिया जाता और साधारणतः एक कर्मचारी तीन साल तक काम करता है ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल

†१२८२. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी फिलहाल दिल्ली में कुल कितने स्कूल तम्बुओं में चलाये जा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक स्कूल इन तम्बुओं के लिए माहवार कितना किराया देता है;

(ग) १९६२ की आगामी गर्मी की छुट्टी में किन किन स्कूलों की अपनी पक्की इमारतें हो जायेंगी; और

(घ) बाकी स्कूलों की अपनी पक्की इमारतें न होने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

(१) सरकारी स्कूल . . . ३१

(२) स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल . . . १०२

(ख) (१) सरकारी स्कूल--सभी स्कूलों के लिए १०,४३३ रुपया माहवार

(२) स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल--सभी स्कूलों के लिए २३,३२७ रुपया माहवार

(ग) (१) सरकारी--३ स्कूल, एक झील कुरंजा में और दो माडेल टाउन

(२) स्थानीय निकाय--४२ स्कूल अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में और एक नीतिमार्ग, नयी दिल्ली, में ।

(घ) कई दौरों में स्कूलों की इमारतें बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है । कुछ मामलों में निर्माण-कार्य उपयुक्त जमीन की कमी के कारण, जो या तो उपलब्ध नहीं होती या उस पर अनधिकृत व्यक्ति कब्जा कर बैठे हैं, निर्माण कार्य रुका पड़ा है ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

†१२८३. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में भारत के किन किन विश्वविद्यालयों को अनुदान दिये गये और प्रत्येक विश्वविद्यालय को (राज्यवार) कितनी रकम दी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों द्वारा पांच सैनिकों का कथित मारा जाना और कई अन्य सैनिकों का घायल किया जाना

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे १२ माननीय सदस्यों से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के नोटिस प्राप्त हुये हैं। मैं श्री बिशन चन्द्र सेठ से उसे पढ़ने के लिये कहता हूं ।

†**श्री बिशन चन्द्र सेठ (इरा) :** नियम १९७ के अन्तर्गत मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दे —

> "७ मई १९६२ को इम्फल में कोंगल के पास नागा विद्रोहियों द्वारा चतुर्थ आसाम-राइफल्ज़ के ५ सैनिकों का कथित मारा जाना तथा अन्य कई सैनिकों का घायल किया जाना ।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** ७ मई को ९ बजे सबेरे आसाम राइफल्स का एक दस्ता, जिस में एक एन० सी० ओ० और १२ राइफल मैन थे तथा जो मनीपुर में उखरूल के उत्तर की ओर स्थित एक अन्य दस्ते से मिलने जा रहा था, ४० नागा उपद्रवियों ने गोली चलाई जिन के पास २ एल० एम० जी० तथा २० रायफलें थीं। दस्ते के छः सदस्य मारे गये तथा छः घायल हुये । कुछ राइफलें और गोला बारूद भी छिन गया । जो मरे उन में आसाम राइफल्ज़ के ५ और एक पहरेदार है । घायल होने वालों में ४ आसाम राइफल्ज के और दो पहरेदार थे । दूसरी ओर के हताहत की संख्या का हमें पता नहीं । क्योंकि नागाओं को उन के गढ़ों से निकाला दिया गया है इसलिए वे दल बना कर विचरण करते और इस प्रकार के उपद्रव करते हैं।

†**श्री नाथ पाई :** (राजापुर) नागा विद्रोहियों की बहुत बातें सुनने में आ रही हैं। १० दिसम्बर को कई हजार सीमा के पार भी चले गये क्या हमारे सुरक्षा दल इस मामले में जागरूक नहीं है ?

†**श्री जवाहरलल नेहरू :** मेरा निवेदन है कि नागाओं की स्थिति काफी खराब हुई है। नागा विद्रोहियों को हमारी सुरक्षा सेनाओं ने चारों ओर से घेर लिया है । यह बात इस बात से स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनायें बर्मा सीमान्त के निकट हुई । वहां से वे बच निकलने हैं। और गोली चलाते हैं। परन्तु स्थिति आगे से अधिक काबू में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

हाल में नागाओ के बचकर जाने पाकिस्तान से भाग जाने के सम्बन्ध में समस्त पहलुओं पर विचार करने के लिए शीलांग में एक सम्मेलन हूआ था । इस में इस प्रश्न की जांच पड़ताल की गयी थी। इस जांच पड़ताल से यह पता चला कि परस्पर समन्वय की बहुत कमी है और समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती । इस समन्वय की कमी को दूर करने के लिए लिए कार्यवाही की गयी है । जल्दी सूचना भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है ।

†**श्री हेम बरूआ** (गोहाटी) : क्या नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों का विस्तार हो रहा है ? क्योंकि फीजो अब पड़ौस में ही है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक हमारी जानकारी फीजों पड़ौस में नहीं है। कुछ दिन हुये वह जनेवा में था । मेरा निवेदन है कि नागाओं को हमारी सेनाओं ने काफी दबा रखा है परन्तु फिर भी वे कभी कभी बच कर निकल जाते हैं और नुकसान करते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नागाओं द्वारा छोड़े गये वायु सेना के अधिकारियों की हालत कैसी है ? क्या उन्होंने नागा विद्रोहियो बारे में कुछ बताया है । है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नागाओं द्वारा छोड़े गये वायु सेना के अधिकारी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। उन्हें आराम के लिए अस्पताल में रखा गया है । उन से विदित बातों के सम्बन्ध में कुछ समय बाद ही पूछ ताछ की जा सकती है।

नागा विद्रोहियों का बच कर पाकिस्तान चले जाना इस दबाव का प्रमाण है कि वे काफी घबराये हुये हैं। उन के बच निकलने के मार्ग के बारे में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है। सेना से उनका कोई सामना नहीं हुआ । मुझे खेद है कि वायरलैस सैटों के अभाव के कारण यह सूचना उनको नहीं भेजी जा सकी। २४ वर्गमील का लम्बा क्षेत्र है जिस में जंगल ही जंगल है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

माजगांव डाक लिमिटेड और गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन)** : मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) माजगांव डाक लिमिटेड बम्बई की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकता, का १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, परिक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये क्रमशःसंख्या एल० टी० १०३/६२ तथा एल० टी० १०४–६२]

प्रादेशिक परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत नियम तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम अधिसूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं निम्नलिखित को सभापटल पर रखता हूं :—

प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २२ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५२ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श) नियम, १९६०।

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० २१६ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें, (संशोधन) नियम, १९६२।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २३क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १९ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०८८ में प्रकाशित मैसूर उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १९६२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० १०५–६२, एल० टी० १०६–६२ और एल० टी० १०७–६२] :

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

श्री बागड़ी : (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं कालिंग अटेंशन के सम्बन्ध में। मैं इसलिये तीन बार खड़ा हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मुमकिन नहीं है कि हर एक आदमी को, जिस का नाम शामिल किया गया हो कालिंग अटेंशन नोटिस में, उस को मौका मिल सके। वाज दफा मिल सकता है और वाज दफा नहीं मिल सकता। अब की वह सब्र करें, अगर इस का मौका नहीं मिल सका तो अगली दफा मिल जायेगा। हर एक आदमी को हर वक्त मौका नहीं मिल सकता।

श्री बागड़ी : मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। जिन लोगों का कालिंग अटेंशन है उन को टाइम न दे कर, जिन का कालिंग अटेंशन नहीं है, उनको टाइम अगर दिया जाना चाहिये तो ठीक है, नहीं तो मुझे मौका मिलना चाहिये। अब मैं ने अटेंशन काल किया हिन्दुस्तानी में, आप ने कहा वेट करो।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा अगर आज मुझे से गलती हुई तो आइन्दा ज्यादा ख्याल रक्खूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

शंकर समिति की सिफारिशों का सरकार द्वारा स्वीकृत होना

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):** मैं शंकर समिति की सिफारिशों के विवरण की एक प्रति जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १०८–६२]

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** मैं आयकर अधिनियम १९६१ की धारा २८७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७३८ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० १०९–६२ ।]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव :** श्रीमान जी मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा को लोक सभा द्वारा ४ मई, १९६२ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६२ के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

समितियों के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक ३० मार्च, १९६१ के संकल्प संख्या एफ० ११–७।६०–सी० १ के पैराग्राफ १ (ज) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ?"

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक ३० मार्च, १९६१ के संकल्प संख्या एफ० ११-७।६०-सी० १ के पैराग्राफ १ (ज) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** मैं प्रस्तावों करता हूं :—

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक २२ मई, १९६१ के संकल्प संख्या १५-२२६।६० एस० २ द्वारा संशोधित दिनांक २३ मार्च, १९६१ के संकल्प संख्या १५-२२६।६० एस० २ के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के सलाहकार बोड के सदस्यों के रूप में, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक २२ मई, १९६१ के संकल्प संख्या १५-२२६।६० एस० २ द्वारा संशोधित दिनांक २३ मार्च, १९६१ के संकल्प संख्या १५-२२६।६० एस० २ के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय एटलस और भोगोलिक नामों के सलाहकार बोड के सदस्यों के रूप में, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें—जारी

वैदेशिक कार्य मंत्रालय—जारी

†**श्री दी० चं० शर्मा :** (गुरदासपुर) : जो लोक विदेशों में हमारे दूतावासों को चला रहे हैं, उनका उल्लेख अनादर भाव से नहीं होना चाहिये। उनमें हमारे देश के बड़े बड़े बजुर्गों और नवयुवकों ने कार्य किया है। मेरा मत तो यह है कि हमें इस कार्य के लिये अच्छे सुयोग्य व्यक्ति मिलते रहें हैं, यह हमारा सौभाग्य है। परन्तु इस के साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहियें कि विदेशों मे हमारी प्रचार व्यवस्था बिलकुल भी ठीक नहीं है। विदेशों में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० च० शर्मा]

जिस प्रकार हम प्रचार का कार्य कर रहे हैं वह बिल्कुल पुराने ढंग का है। इस ढंग से हम भारत की योजनाओं के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे सकेंगे। अतः मैं इस बात पर बल दूंगा कि वैदेशिक प्रचार विभाग का निर्माण किया जाना चाहिये।

इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश कार्य कर्मचारी जो प्रचार विभाग में है वे अस्थायी हैं और उनको वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो कि भारतीय विदेश सेवा के सदस्यों को प्राप्त हैं। बड़े खेद की बात है कि सारे कर्मचारी अस्थायी हैं। मुझे आशा है कि माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री इस दिशा में उपयुक्त पग उठायेंगे।

इस समय देश में दो समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। एक समस्या काश्मीर की है और दूसरी चीन की। इन पर माननीय सदस्यों ने अपने मत व्यक्ति किये हैं और जोर जोर के भाषण भी हुये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र संघ को तथा-कथित आजाद काश्मीर में एक समिति भेजनी चाहिये जो कि वहां के लोगों के बारे में जांच करेगी कि वे किस प्रकार की भयंकर परिस्थितियों मे यातनायें सहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां के प्रधान श्री खुर्शीद ने बड़ी धमकियां दी हैं और कहा है कि वह अल्जीरिया के नमूने पर संघर्ष प्रारम्भ करेंगे।

इसी प्रकार चीन के बारे में भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह कहना कि हमें चीन के साथ अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिये, निराशा की सलाह है। मेरा विचार है कि बातचीत की स्थिति अब बहुत पुरानी हो गई है। हमारे अधिकारियों के प्रतिवेदन में चीनियों के दावों को निराधार सिद्ध कर दिया है। आज की परिस्थिति में हमें जैसे को तैसे वाली नीति अपनानी चाहिय। आज की स्थिति में एकमात्र ठीक नीति यही है। मेरे विचार में ४४ करोड़ भारतीय ६० करोड़ चीनियों का मुकाबला करने में अरोग्य सिद्ध नहीं होंगे। चीन के लोगों को समझ लेना चाहिये कि भारत के प्रधान मंत्री की मधुर बातों से पीछे शक्ति भी है और यदि वे चाहें तो अपनी धरती को चीन के हाथों से मुक्त करवा सकते हैं।

जेनेवा सम्मेलन में हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल ने जो कार्य किया है मुझे उस पर गर्व है। तथापि मैं यह कहूंगा कि यदि विश्व निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में गम्भीर है तो उसे चाहिये कि निश्पक्ष राष्ट्रों द्वारा रखे गये प्रस्तावों को निरस्त्रीकरण का आधार माना जाये। यदि इन प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जायेगा तो संसार से असुरक्षा काफी मानों में दूर हो सकती है। हमें चाहिये कि निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में दो विरोधी गुटों के बीच समझौता करवायें।

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि हमारी विदेशी नीति के तीन सिद्धान्तों को यथा शांति का प्रहार, उपनिवेशवाद की समाप्ति और निश्पक्षता को विश्व के सभी देशों ने मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। विश्व के सभी समाचारपत्रों ने प्रधान मंत्री की इस बात की प्रशंसा की है कि उन्होंने उक्त सिद्धान्तों को क्रियान्वित रूप दिया है। भारतीय सैनिक शांति के प्रसार के लिये गाजा, कोरिया, कांगो तथा वियतनाम इत्यादि देशों में गये हैं।

†**श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)**: अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी वैदेशिक नीति यद्यपि अपना परम्परागत कार्य कर रही है तथापि हम चाहते हैं कि हम अपने निकट के क्षेत्रों पर भी ध्यान देवें।

---

†मूल अंग्रेजी मे

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, भारत सरकार उन्हें खुश करने के प्रयत्न में निराश हुई है। अभी हाल प्रकाशित अपने एक संवाद में सरकार ने कहा है कि चीन की वैदेशिक नीति भारतीय नीति की बुनियादी विरोधी है और उसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में फूट डालना और तनाव पैदा करना है। मेरे विचार से अब सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि चीन न केवल एक लड़ाकू राष्ट्र है अपितु वह किसी की परवाह नहीं करता है। उसकी नीतियों से धूर्तता प्रगट हुई है।

मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं रह गया है कि चीन के वर्त्तमान शासक शक्ति के बल पर एशिया पर हावी होना चाहते हैं। तथा चीन, बर्मा, मलाया स्याम को साम्यवाद के प्रचार के लिये मुक्त करना चाहते हैं। मैंने आज से चार वर्ष पूर्व ही यह बात कह दी थी कि चीन सारे एशिया पर हावी होना चाहता है यह काम यदि संभव होगा तो वह विध्वंसात्मक तरीकों से और आवश्यकता होने पर बलपूर्वक भी करेगा।

तिब्बत में काश्मीर की विजय का यह परिणाम हुआ कि हमारी सीमा पर लाखों चीनी सैनिक पहुंच गये हैं। उन्होंने वहां रेल की पटरियां और सड़कें बना ली हैं तथा शस्त्रास्त्रों का ढेर रख लिया है।

साम्यवाद धीरे-धीरे नैपाल में प्रविष्ट हो रहे हैं। नेपाल और भारत के बीच विरोध पैदा करने के लिये वहां भारत विरोधी प्रचार खूब जोर शोर से किया जा रहा है। लाहासा से काठमांडू तक सड़क बनाई जा रही है और चीन से नेपाल को बड़ी उदारता से ऋण और सहायता की राशि दी जा रही है। यह सब भारत के लिये खतरे का चिह्न है। चीनी पंचगामी नेपाल में अपना जाल फैला रहे हैं।

चीनी एक अन्य मानचित्र संबंधी अतिक्रमण के दोषी हैं। उन्होंने अपने नवीनतम नकशों में सिक्किम और भूटान को स्वतंत्र देश दिखाया है।

लाओस और वियतनाम में चीनी जो कुछ कर रहे हैं उसे देखते हुए भारत कभी चुप नहीं रह सकता है। चीनियों का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि एशिया में भारत अकेला रह जाये। वे भारत को भी विध्वंसात्मक कार्यवाहियों द्वारा अथवा आक्रमण द्वारा मुक्त करने का प्रयास कर सकते हैं।

हमें पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों का सुधार करना होगा। मेरे विचार से शीघ्र ही पाकिस्तान के वर्तमान शासक इस गलती को स्वीकार करेंगे कि वह भारत के विरुद्ध प्रचार कर अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिये कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिये एक ही खतरा है। अतः दोनों को मिल कर ही इसका निराकरण करना चाहिये। यह बात नेपाल पर भी लागू होती है नेपाल को समझ लेना चाहिये कि नेपाल की जनता और वहां की राजसत्ता को कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि वह भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाये रखे।

इन बातों को देखते हुए वैदेशिक नीति में हमें आवश्यक परिवर्त्तन करने होंगे। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने में प्रयत्नशील रहे हैं। वस्तुतः चीन ने हमारी सीमा पर अतिक्रमण किया है। दूसरी ओर हम उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी यह नीति उचित नहीं है। इसका यह परिणाम होगा कि चीनी फारमूसा पर अधिकार कर लेंगे और वीयतनाम पर भी चीन का अधिकार हो जायेगा। इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे।

[श्री फ्रेंक एंथनी]

हमें चाहिये हम दलाई लामा को भारत से अपनी राजनैतिक कार्यवाहियां करने की पूरी स्वतंत्रता देवें। इससे तिब्बती जनता को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ-साथ नेपाल, भूटान और सिक्किम जिनके तिब्बत के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन हैं उन्हें भी उत्साह मिलेगा।

अतः यदि हम नेपाल से अपने सम्बन्ध अच्छे बनाये रखें, पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धो का सुधार करें तथा तिब्बत नेपाल भूटान और सिक्किम के लोगों को प्रोत्साहित करें तो हम इस खतरे का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें उसके कार्यों का बड़ा स्पष्ट वृतांत दिया हुआ है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

तथापि दुःख है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। यद्यपि हमने अपना हाथ मित्रता के लिये बढ़ाया था तथापि चीन ने उस पर चाकू चलाया। पिछले वर्षों में भारतीय सीमा पर और भी अतिक्रमण हुए हैं तथापि चीन हम पर उल्टे यह आरोप लगा रहा है कि भारत आक्रमक और महत्वाकांक्षी देश है।

जहां तक चीन में हमारे व्यापारिक मिशनों का सम्बन्ध है हमारे व्यापारियों को वहां अपना काम चलाना कठिन हो रहा है जब कि दूसरी ओर यह स्थिति है कि कलिम्पोंग में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास से भारतीय सिपाही पर गोली चलाई गई। तथापि यह हर्ष का विषय है कि भारत अब १९५४ की व्यापारिक संधि को पुनः लागू करने के लिये तैयार नहीं है और भारत में विध्वंसात्मक कार्य करने वाले चीनियों पर सरकार ने कड़ी कार्यवाही की है।

अब लगभग यह बात सिद्ध हो चुकी है कि चीन के साथ बातचीत से कोई लाभ नहीं हो सकता है। संभव है एक समय ऐसा आयेगा जब कि हमें गोआ की तरह चीन के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा।

यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं। मालदा में अभी हाल के दंगों के सम्बन्ध में वहां के समाचारपत्रों ने अतिरंजक समाचार प्रकाशित किये थे जिससे पाकिस्तानी जनता में उत्तेजना फैली है। पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त तथा प्रथम सचिव ने स्वयं उस इलाके का दौरा किया है। उन्होंने वहां की जनता से मिल मिला कर स्थिति को और भी तनावपूर्ण बनाने में मदद की है। घटनाओं को इस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर लिखने का यह परिणाम हुआ कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राजसाही में दंगे हुए। तथा पाकिस्तान के अन्य स्थानों में पाकिस्तान के वर्तमान शासकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उनके देश का भविष्य भारत के भविष्य के साथ संबद्ध है।

अभी हाल यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि अमेरिका की सीनेट कमेटी ने भारत को दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती कर दी है। भले ही इसका कुछ भी कारण हो तथापि इन घटनाओं से भारत को अपनी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिये। तथा उसे निश्पक्ष बने रहना चाहिये।

यह दुःख की बात है कि एक ओर जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन हो रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका अणु परीक्षण कर रहा है। मैं आशा करती हूं कि विश्व की जनता उन पर इतना नैतिक दबाव डालने में समर्थ होगी कि ये परीक्षण आगे नहीं चलने पावें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया): मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि पाकिस्तान की मित्रता से भारत को लाभ होगा। मेरे विचार से जब तक पाकिस्तान एक अलग इकाई के रूप में मौजूद रहेगा तब तक वह भारत का विरोधी ही रहेगा। तथापि मेरा दृढ़ विश्वास है कि पाकिस्तान की शत्रुता से भारत को कोई हानि नहीं हो सकती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे विचार से अमरीका के सातवें बेड़े का प्रशान्त महासागर में रहना एशिया और अफ्रीका के सभी देशों के लिये अपमानजनक है। वस्तुतः अमेरिका से जो खतरा भारत या एशिया के देशों को है उसके सामने भारत-चीन विवाद कुछ भी नहीं है। मेरे विचार से लाओस और दक्षिण वियतनाम का एक होना निष्पक्ष देशों की सब से बड़ी विजय है। यदि लाओस के प्रश्न पर युद्ध छिड़ जाये तो भारत को चीन की यथाशक्ति सहायता करनी चाहिये। एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के देशों को अमेरिकी प्रभुत्व में जाने से यह अच्छा है कि दक्षिण एशिया में चीन का प्रभुत्व हो।

अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप एक इकाई बन जाये। यही बात रूस और चीन अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश नीति की मुख्य बात १९४५ से यह रही है कि चीन और रूस एक इकाई न बन सकें।

यदि अमेरिका में अपने शस्त्रों के जरिये पूर्व स्थिति बनाये रखने का प्रयत्न किया तो विश्व में अणु युद्ध हो जायेगा। अतः युद्ध रोकने का एक मात्र साधन यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व सरकार का रूप दिया जाये। अमेरिका को चाहिये कि वह अपना प्रतिरक्षा विभाग संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दे। उस कार्य में भारत अमेरिका का सहयोगी होगा।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट): जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ तो हमें आशा थी कि हमारे राष्ट्र नेता देश के आर्थिक विकास के साथासाथ देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हमारे नेताओं को तजरुबा है, उनके पास ज्ञान है और इतिहास की पृष्ठभूमि है।

पिछले दो हजार वर्षों में हमारे देश पर उत्तर-पश्चिम से हमले होते रहे। बहादुरी या उत्साह न होने के कारण हम नहीं हारे, परन्तु आपस की फूट के कारण स्वतन्त्रता खोई। हमें आशा थी कि नेता भारत को विदेशी शत्रुओं से बचाने के लिये प्रबल रखते।

पाकिस्तान ने देश के विभाजन से ले कर हमारा निरादर किया है, वचन तोड़े हैं। लोगों की हत्या की है। हमारे उच्च आयोग के कर्मचारियों का निरादर किया है। इन सब मामलों में हमारी विदेश नीति अस्पष्ट रही है।

हमारी विदेश नीति कमजोर रही है। यदि पाकिस्तान को यह बताया होता कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जायेगा तो यह हालत न होती। चीन हमारे देश के इतने भाग को न हड़प कर लेता।

आज पाकिस्तान जिसे अमेरिका से पर्याप्त सैनिक सहायता मिली भारत से लड़ने के लिये उद्यत है।

अब सब से बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के क्षेत्र को हड़प करना चाहते हैं। इस के विषय में पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम पाकिस्तान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

की धमकियों को नहीं बर्दाशत करें गे । पहली बार हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि पाकिस्तान काशमीर में घुसा तो हमारी सेना किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण कर सकती है ।

चीन के बारे में भी प्रधान मंत्री ने कहा है कि बल का उत्तर बल से दिया जायेगा । यह बड़ा अच्छा परिवर्तन है । यह परिवर्तन इसलिये हुआ है कि लोग उनके अस्थिर रवैये से खुश झुक नहीं थे । यहां संसद् में भी इस का विरोध हुआ है । माननीय प्रधान मंत्री जी इस जनमत के आगे झुक गए ।

पाकिस्तान और चीन भारत के विरुद्ध साजबाज कर रहे हैं । पाकिस्तान अमरीकन कैम्प में है, चीन रूस के कैम्प में है । यदि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की लड़ाई हो गई तो भारत की स्थिति क्या होगी ? न तो अमरीका अपने मित्र के विरुद्ध हमारी सहायता करेगा, और न रूस अपने अनुयायी के विरुद्ध हमारी सहायता करेंगा । मेरे विचार में प्रधान मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और यथोचित कार्यवाही करेंगे ।

पूर्वी पाकिस्तान में हत्या के बारे में मैं यह कहता हूं कि अंग्रेजों के समय में भी वहां गड़बड़ हुआ करती थी, परन्तु वे शीघ्र उसे सम्भाल लेते थे । अब पकिस्तान सरकार स्थिति को खराब करके फिर कार्यवाही करती है यहां गड़बड़ होती रही है और होती रहेगी ।

श्री मधोक ने सुझाव दिया है कि आबादी का तबादला हो जाए । प्रधान मंत्री इस सुझाव पर विचार करें और सीमित रूप से आबादी का तबादला करके साम्प्रदायिकता के विष को निकाल दिया जाए ।

मेरी राय में भी हमारे विदेशों में दूतमण्डलों में बहुत विलासता है । बहुत खर्च किया जाता है । इतने कार्यकुशल भी नहीं हैं । इस में प्रधान मंत्री जी क्या कर सकते हैं । वे बहुत व्यस्त रहते हैं । जो उनके उच्चाधिकारी हैं उनके अपने उत्तरदायित्व समझने पर देश का भाग्य निर्भर है ।

प्रधान मंत्री जो बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि उन के उत्तरदायित्व कई हैं । मैं चाहता हूं कि उन के पास राजनैतिक व्यक्ति जो कि शक्ति प्राप्त करने के लिये आते हैं न आयें । यदि इस तरह से उन्हें कष्ट न दिया जाय तो वे अपने देश की अधिक सेवा कर सकेंगे और अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभा सकेंगे ।

हमारी विदेश नीति प्रधान मंत्री जी के हाथों में बड़ी अच्छी रही है । उन्हों ने बड़ी सावधानी से देश के जहाज को चलाया है और इस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : अशोक के समय से लेकर हमारी विदेश नीति इतनी अच्छा नहीं रही है जितनी कि हमारे प्रधान मंत्री के हाथों में रही है । भारत ही नहीं, अफ्रीकी-एशियाई देश ही नहीं, परन्तु दुनिया के सभी देश संसार में शांति स्थापित करने के लिए उनकी ओर देखते हैं । मैं इस पर प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं ।

चीन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी के सामने तीन विकल्प हैं । पहला विकल्प युद्ध है । प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हम चीन के आगे कभी नहीं झुक सकते । अंग्रेजों के जमाने में जब हमारे पास हथियार थे, तब यह सिपाही इङ्गलैंड के

†मूल अंग्रेजी में

आगे नहीं झुका । दूसरा विकल्प है जंग । जंग से बहुत हानि होगी--न केवल भारत और चीन को, परन्तु सारे विश्व को ।

तीसरा विकल्प है बात चीत । यह असूल हमारे प्रधान मंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठ कर सीखा । बात चीत से ही हमें स्वतन्त्रता मिली । मुझे आशा है कि चीन शीघ्र ही अपनी गल्ती समझेगा और बातचीत के महत्व को पहचानेगा । नेपाल हमारे पड़ोस में छोटा सा देश है । जब अङ्गरेज़ वहां राज्य करते थे तो वहां की स्थिति हिन्दुस्तानी रियासतों से अच्छी नहीं थी । जब नेपाल में क्रान्ति हुई, उस समय भारत से नेपाल को एक देश प्रेमी गया था और नेपाल को राणाओं से रिहा कराया और लोकतन्त्रीय राजा के अधीन लोकतन्त्र की स्थापना की । वर्तमान राजा ने वहां लोकतन्त्र का नाश कर दिया है । भारत और नेपाल में जो कितनी देर से मित्र थे बैर भाव हो गया है । जो हमारे देश में नेपाली शरणार्थी हैं, उन पर इतराज़ किया जाता है । हम इन लोगों को नेपाल में लोकतन्त्र की स्थापना करने में सहायता देने के लिए उचित काम करते हैं ।

आओ आज हम शपथ लें कि हम जब तक पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को स्वतंत्र कराये बिना आराम नहीं करेंगे । इस विषय में हमें बड़े देशों से भी अपील करनी चाहिये कि वे काश्मीर का यह भाग हमें दिलाएं ।

मैं अलजेरीया के उन देश प्रमियों को वधाई देता हूं जिन्होंने बहुत कोशिशों से अपने देश को स्वतंत्र कराया है। वह समय दूर नहीं जब भारत वहां की सरकार को मान्यता देगा ।

दूसरे देशों में हमारा प्रचार असफल रहा है । हम अपनी विदेशी नीति के प्रभाव का प्रचार विदेशी देशों में नहीं कर सके हैं । इसका उत्तर-दायित्व विदेशी प्रचार विभाग पर है । मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री इस की ओर ध्यान देंगे ।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जब हमारे प्रधान मंत्री जी बाहर जाते हैं तो बहुत संख्या में लोग उनका स्वागत करते हैं। इस से हमारे देश का बड़प्पन व्यक्त नहीं होता । हमें अपने इ रद गिरद देखने से ऐसा आभास मिलेगा । बर्मा में अपनी स्थिति की ओर देखिये । जब १९४२ में बर्मा जापान के अधीन हुआ उस समय जापान में १४ लाख भारतीय थे । इस समय बर्मा में ४ लाख से यअधिक भारती नहीं हैं । वहां भारतीयों की सम्पत्तियों का हरण कर लिया है और उन्हें कुछ नहीं दिया । जिन श्रमिकों की पत्नि और बच्चे भारत में हैं, उन्हें बर्मा में अपने रोटी कमाने वाले को मिलने जाने नहीं देते ।

लंका से भी श्रमिक वापस भारत आ रहे हैं।

चीन से हमारे सम्बन्ध बहुत घनिष्ट थे । हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी सदस्यता पर बल दिया । उन के साथ पंचशील की बात की । उन्होंने हमारे देश को बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया । अब उन्होंने पाकिस्तान से मैत्री गांठनी शुरु की है । आपस में चोरी की हुई सम्पत्ति को बांटेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

पाकिस्तान हमारे विरुद्ध नफरत पर बना था । पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध नफरत को कायम रखा है । पाकिस्तान में हिन्दुओं की सार्वजनिक हत्या की गई है । हमने इसके विरुद्ध उंगली नहीं उठाई । हम ने राष्ट्र संघ में भी इस के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। मेरे से पहले वक्ता कि हिन्दुओं और मुलसलमानों का तबादला कर लिया जाए । यह नहीं हो सकता, क्योंकि हम ने तो एक राष्ट्र के सिद्धान्त को माना है ।

हम सदैव पाकिस्तानके आगे झुके हैं। ऋण देने में, पानी देने में हम झुके हैं। यह लज्जाजनक बात है कि पानी हमारे क्षेत्र से जाने दिया जाता है । उपजाऊ क्षेत्र जो कि पानी से और उपजाऊ हो सकते थे, पाकिस्तान को पानी देने के कारण उसे ऊसर भूमि रहने दिया जाता है । इस बात पर विचार करना चाहिए ।

नेपाल हमारा मित्र है, हमारा मांस, हमारा रक्त यह समझने लगा है कि चीन की दोस्ती में वह अपने आप को ज्यादा अच्छा बना सकेगा । नेपाल से हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं हैं ।

नि:सन्देह हमारे सम्बन्ध रूस से अच्छे हो गए हैं, परन्तु इंगलैंड और अमेरिका से महारे सम्बन्ध इतने अच्छ नहीं हैं जितने होने चाहिए । गोआ के मामले पर अमरीका और इंगलैंड की अखबारों ने हमारे प्रधान मंत्री को गालियां दीं । जो बात हम ने अच्छी की उसका भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। इस से यह स्पष्ट है कि हमारी विदेश नीति ने हमारी अधिक सहायता नहीं की है ।

दूसरे राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध बनाने में कोई प्रगति नहीं की है । हम ने इसराईल जैसे देश को मान्यता नहीं दी है, परन्तु इटली में सान मरीनो जैसे छोटे से स्थान में हमारा महावाणिज्य दूत है । इस से यह सिद्ध होता है कि हम बिना सोचे समझे व्यय कर रहे हैं।

हमारे देश की विदेश नीति ४० करोड़ लोग जो यहां रह रहे हैं उनकी नीति होनी चाहिए। हमारे देश का दूसरे देशों में मान होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है । हमें भिखारियों की तरह समझा जाता है । दक्षिण अफ्रीका में हमें होटलों में नहीं घुसने दिया जाता।

हमारे दूतावासों में और दूतमण्डलों में भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि ऐसे भेजे जाते हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति का कुछ पता नहीं होता हमें इस चीज को रोकना है ।

हमारे देश से स्त्रियों का अपहरण कर के कुवैयत, अण्डमान, मसकाट, बहरीन में ले जाई जाती हैं और गुलामों के रूप में बेच दी जाती हैं ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : हम ने इसे बन्द कर दिया है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : आप ने बन्द कर दिया है, परन्तु वे कैसे जा रही हैं, यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ ऐसे देश में, जैसा कि 'फिजी टापू' 'मौरिशियस', 'वैस्ट इंडीज' इत्यादि यहां कि भारतीय संस्कृति फैली हुई है । वहां लोग भारतीय संस्कृति के लिए मांग कर रहे हैं, परन्तु हम ने भारतीय दूतमण्डल जो भारतीय संस्कृति से अवगत हों, को भजने के लिए कुछ नहीं किया है ।

मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि हम पथरी नमक पाकिस्तान से लेना पसन्द करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये । पथरी नमक अपने देश में बन सकता है । हमें पाकिस्तान से नमक लेने के बजाय उसे स्वंय बनाना चाहिये ।

जब हम पाकिस्तान के बर्ताव के विषय बात करते हैं तो मेरे सामने कर्नल भट्टाचार्य का मामला आ जाता है। उसे हमारे क्षेत्र में से अपहरण करके ले जाया गया । हम इस पर उंगली भी नहीं उठाते । क्या हम हजारों पाकिस्तानियों को नहीं पकड़ सकते । उन्हें जेल नहीं भेज सकते । हमारे देश को यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिये । कई बार पाकिस्तान ने हमारा अनादर किया । हमारे दूतमण्डल पर पत्थर फैंके । वहां हिन्दुओं की सार्वजनिक हत्या होती है । हम इस मामले पर कुछ नहीं करते । हमें पाकिस्तान से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह करता है । कुत्ते दुम को जमीन में कितनी ही देर दबा छोड़िए वह टेड़ी ही निकलेगी। जो नम्रता से व्यवहार करें उस के साथ नम्रता का व्यवहार हो सकता है । परन्तु जो लोग डण्डे में विश्वास रखते हैं, उन के साथ डण्डे का ही प्रयोग करना चाहिये ।

†**श्री बाकर अली मिर्जा :** (बारंगल) : यदि कोई नीति जिसे इस सदन के सब भागों ने स्वीकार किया है तो वह विदेश नीति है ।

प्रधान मंत्री दूसरे देशों से बड़ी सूझ-बूझ से बर्ताव करते हैं। जब पाकिस्तान से शर्णार्थी आ रहे थे और पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए शोर हो रहा था, उस समय प्रधान मंत्री ने शान्ति से काम लिया । जब पाकिस्तान प्रैस ने भारत में मुसलमानों की हत्या के बारे झूठी खबरों के बारे में उन्होंने चर्चा की तो उन्हें गुस्सा नहीं आया था, परन्तु दुःख अवश्य था । कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझते हैं। मैं इस से सहमत नहीं हूं ।

हमारे देश में मुसलमान संसद् सदस्य हैं, राजदूत हैं, गवर्नर हैं, केन्द्रीय मंत्री हैं। हमारे उप राष्ट्रपति मुसलमान हैं। पाकिस्तान में किसी महत्वपूर्ण पद पर अल्प-संख्यक जाति में से नहीं है । वे कहते हैं कि भारत में अल्प संख्यकों से ठीक व्यवहार नहीं किया जाता । हमें किसी देश की सहायता की आवश्यकता नहीं है । हमारे यहां संविधान है, न्यायालय इत्यादि हैं जो हमारी रक्षा करते हैं । पाकिस्तानियों को अपने देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिये ।

हत्याओं के सम्बन्ध में पाकिस्तान में हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमान पठानों पर भी अत्याचार हो रहे हैं । खान अब्दुल गफार खां को कई वर्षों से कैद किया हुआ है । भारत में कहीं भी हत्या हो तो उस की गणना भारतीय समझ कर होनी चाहिये हिन्दु, मुसलमान इत्यादि समझ कर नहीं। हम भावात्मक एकता लानी चाहते है । सब को इस ओर कोशिश करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाकर अली मिर्जा]

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री कृष्ण मेनन ने हमारे सीमान्त प्रदेशों एवं सीमाओं के बारे में अच्छी तरह बता दिया है और उन के बारे में कहीं चर्चा नहीं हो सकती।

गोआ का मामला पिछले १६ वर्षों से खटाई में पड़ा हुआ था। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री इस बारे में कोई काम जल्दी में नहीं करना चाहते थे और न कोई एसा कदम उठाना चाहते थे जो सिंहात्मक हो । पुर्तगाल सरकार से उन्होंने निवेदन किया, अन्य देशों से भी निवेदन किया कि वे बीच में पड़कर इस मामले को निपटा दें । किन्तु हर ओर से निराश होने के पश्चात् ही उन्होंने गोआ पर आक्रमण करने का निश्चय किया । अहिंसात्मक ढग से हमने गोआ पर विजय प्राप्त की ।

यह कहना गलत है कि चीन शक्तिशाली है । कोरिया के मामले में हम देख चुके हैं कि शक्तिशाली से पाला पड़ने पर चीन पीछे हट गया था । फारमूसा के मामले में भी अमरीका के समक्षा वे पीछे हट गये थे । इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक हमारे क्षेत्र पर चीनी आक्रमण का सम्बन्ध है, हमें इस विषय पर अनुचित रूप से क्षुब्ध नहीं होना चाहिय तथा कोई निराशाजनक व्यवहार नहीं करना चाहिये । सरकार का इतना कहना काफी होना चाहिये कि सारे देश से विदेशी आक्रमणों को निकाल दिया जायेगा । इस के लिए समय और तरीके को सरकार पर छोड़ देना चाहिये ।

यूरोप में हम देखते हैं कि सभी देश एक सूत्र में बन्धे हैं किन्तु एशिया में ऐसी बात नहीं है । सभी देश एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। सभी के समने उनकी सीमान्त समस्याओं का प्रश्न है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि एक और बांडुग सम्मेलन हो ताकि एशिया-अफ्रीका क्षेत्र में कोई मुठभेंड न हो । और वहां के देश उसी प्रकार से काम कर सकें जिस प्रकार कि यूरोप के देश काम कर रहे हैं।

राष्ट्रमंडल में से भारत के अलग होने की बात चल रही है । इगलैंड स्वयं राष्ट्रमंडल से हटना चाहता है ताकि वह यूरोपीय साझा बाज़ार की चर्चा में सम्मिलित हो सके । हर जगह साझा बाज़ार की चर्चा चल रही है । लेकिन हम से मना किया गया है कि हम उसकी चर्चा नहीं करें । लेकिन मेरा निवेदन है कि इसकी चर्चा के लिये व्यापारियों या बैंकरों को भेजा जाय न कि इन सरकारी अफसरों को जिनको कि व्यापार के सम्बन्ध में तनिक भी जानकारी नहीं है । अगर हम अपना ऋण चुकाना चाहते हैं तो हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा । निर्यात बढ़ाने के लिये यूरोपीय साझा बाजार से हमें गारंटी मिल सकती है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : अमरीका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह लाओस में सैनिक कार्यवाही करेगा। एसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का एक चैयरमैन होने के नाते भारत एक निश्चित भाग ले ताकि वहां की परिस्थिति उस सीमा तक न बिगड़ जाय कि उसका सम्हालना असंभव हो ।

अनुशक्ति वाले सभी देशों ने एक एक करके परीक्षण करना शुरू कर दिया है । जिनेवा में एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन होने जा रहा है । ऐसी स्थिति में, मेरा

---

†मूल अंग्रेजी में

सुझाव है कि भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित अपने प्रतिनिधि को हिदायत दे कि एशिया या कम से कम पूर्वी एशिया को अणु परीक्षणों से सुरक्षित क्षेत्र रखा जाये ।

पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे हमें बड़ी चिंता है । तीन सप्ताह तक समाचार रोके रखने के बाद अब पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार ने खबर दी है और वह भी अधूरी । उन झगड़ों के कारण भले ही कुछ क्यों न हो किन्तु इतनी बात सत्य है कि वहां अल्पसंख्यक लोग पाकिस्तानियों के चंगुल में बुरी तरह फंसे हैं। और १९५० के नेहरू-लियाकत करार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं हो सकी है । अच्छा हो कि भारत सरकार इस करार की पुनः छान बीन करे तथा पिछले १२ वर्ष में प्राप्त हुए अनुभव को सामने रखते हुए पाकिस्तान से कोई नया समझौता करे। सरकार कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से यह विचार करे कि क्या अल्पसंख्यकों के प्रव्रजन पर रुकी रूकावटों को दूर किया जा सकता है या नहीं । अल्पसंख्यक सामुदायों के व्यक्तियों को प्रजन प्रमाणपत्र इतनी सुगमता से नहीं दिये जाते हैं। सताये हुए अल्पसंख्यक सीमापार कर के चोरी छिपे भारत में आये हैं । ढाका, चिटांग और मैमनसिंह से आगे रहने वाले व्यक्ति बिना आज्ञापत्र के भारत नहीं आ सकते। पाकिस्तान में व्यापार करने वाले भारतीयों की स्थिति तो और भी खराब है । चितरंजन मिल जो एक अच्छी मिल थी पाकिस्तान सरकार ने अवैध रूप से अपने कब्ज में कर ली है । यह मिल भारतीयों की थी। हमारी सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया इसी प्रकार के और भी बहुत से मामले हैं। सरकार का इरादा भी कुछ करने का नहीं दिखाई पड़ता। सरकार का विचार ऐसा मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान से समस्या स्वतः हल हो जायगी । इस प्रकार के दृष्टिकोण में अवश्य परिवर्तन होना चाहिये । सरकार को अपने नागरिकों के अधिकारों को रक्षित करने के बारे में दृढ़ रवैया अपनाना होगा ।

मंगलबांध पाकिस्तान के पास है । हम ने कई बार इस के बारे में विरोध किया है । ऐसा मालूम होता है कि हम अपने अधिकारों पर दृढ़ नहीं हैं । पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ व्यापारिक सम्बन्ध हैं । नहर पानी समझौता के अधीन हम उन्हें ८३ करोड़ रुपये देते हैं। चीजों का आयात और निर्यात होता है । पाकिस्तान की कुछ व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार करती हैं । किन्तु हम उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते ।

हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो। किन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे युद्ध हो सकता है। हम अपने तथा अपने राष्ट्र के अधिकारों का दावा करना चाहते हैं ।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि विदेशी प्रचार डिवीज़न के अधिकारियों का विदेश सेवाओं के साथ एकीकरण में बिलम्ब खेदजनक है। अगर स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो पता नहीं कि भारत की स्थिति क्या होगी ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** बहुत से माननीय सदस्यों ने हमारे विदेशी प्रचार डिवीज़न की बड़ी आलोचना की है और बताया है कि वह विदेशों में हमारी नीति के सम्बन्ध में उचित प्रचार नहीं किया है। और यहीं कारण है कि हमारी कुछ कार्यवाहियों के बारे में गलतफहमी हो गई

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेंनन]

है अथवा उनको गलत समझा गया है और इसीलिये हमें बुरा भला भी सुनना पड़ा है। लेकिन मैं यह बता देना चाहती हूं कि हमेशा विदेशी प्रचार 'प्रोपेगंडा' प्रकार का नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि यह प्रोपेगैंडा के लिय है जो एक गलत बात है। हमारा देश तो लोकतंत्रीय देश है यहां प्रेस को पूरी स्वतन्त्रता है। हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम लोगों को यह बतायें कि क्या हो रहा है अथवा क्या नहीं हो रहा है। हमारी एक दीर्घकालीन प्रचार व्यवस्था है जिसका आशय सारे संसार को अपने कार्यक्रम और नीतियों तथा अपने निशिदिन के कार्य से अवगत कराना है। हर व्यक्ति को इस बात की छूट है कि वह हमारे देश में आ कर देख सके कि कहां क्या हो रहा है। किसी से कोई चीज़ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। विदेश प्रचार विभाग महत्वपूर्ण विषयों पर पत्रिकाओं को प्रकाशित करता रहा है। इन पत्रिकाओं में एसे बातों की जानकारी दी हुई होती है जिसमें संसार के सभी देशों की रुचि होती है जैसे गोआ आदि। और इन पत्रिकाओं को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों में बांटा जाता है। सभी देशों को भेजा जाता है: ब्राडकास्ट भी किये जाते हैं। हमारे यहां के पदाधिकारी 'वार्ता' भी देते हैं। प्रेस से भी हमारे सम्बन्ध हैं। बहुत से सम्मेलन भी होते हैं। यह बात दूसरी है कि हमारा यह प्रचार विभाग उतना बढ़िया और प्रभावी न हो जितना कि उन्नत देश जैसे अमरीका, इंगलैंड आदि के हैं। उनसे प्रतियोगिता करने का भी सावल नहीं है। हमारे संसाधन सीमित हैं। किन्तु फिर भी अल्पसंसाधनों का विचार करते हुए यह विभाग अच्छा कार्य कर रहा है।

प्रचार डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि भारतीय विदेश सेवा में विशष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं रखे जाते। बहुत दिनों से प्रैस सूचना ब्यूरो यह कार्य कर रहा था अथवा एक प्रैस अटैची ही यह काम संभाल रहा था। जब यह मालूम हुआ कि काम सन्तोषजनक नहीं है तो यह निर्णय किया गया कि पत्रकार क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों को प्रचार विभाग के दीर्घकालीन आधार पर नियुक्त किया जाय। यह कान्ट्रक्ट इन पत्रकारों के अनुभव और योग्यता के आधार पर था। किन्तु इतना सत्य अवश्य है कि वे हमारी स्थायी सेवा में नहीं हैं।

उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी उन्हें व सब अधिकार एवं भत्त मिलते हैं जो उनके वेतन क्रम वाले अधिकारियों को प्राप्त हैं। फिर भी उन्हें उपदान देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

कुछ विरोधी सदस्यों ने स्वार्थवश ही इसकी निंदा बढ़ाचढ़ा कर की है। दो से अधिक व्यक्तियों को स्थायी बनाया गया है। भारतीय विदेश सेवा के सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। एक माननीय सदस्य भारतीय विदेश सेवा के एक पदाधिकारी की भर्त्सना की है। हमारे यहां इन पदाधिकारियों को तदर्थ आधार पर भर्ती नहीं किया जाता जैसा कि अन्य देशों में होता है। उनका प्रवरण प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है। उनको प्रशासकीय स्कूल एवं बाद में जिलों में प्रशीक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाता है। ताकि शुरू में उनको कुछ जानकारी हो जाय--और वाद में उनको विदेश सेवा के लिये भेजा जाता है। यदि मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को किसी वस्तु विशष की जानकारी नहीं है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सारी की सारी सेवा ही खराब है।

विदेशी मामलों के अभिलेखों के मुद्रण का प्रश्न उठाया गया है। खेद है कि नवम्बर १९६१ की पत्रिका ठीक समय पर प्रकाशित नहीं हो सकी। इसके प्रकाशन मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइयां हुई हैं। इसकी छपाई बड़ी देख भाल के बाद की जाती है। हमारे पास अपना कोई प्रेस नहीं है। हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन दिसम्बर और जनवरी के अंक बिल्कुल तैयार हैं।

इज़राइल को सितम्बर, १९६० में मान्यता दी गई है। फारस की खाड़ी में भारतीय महिलाओं को दासता में बेचे जाने की शिकायत की गई है। अभी हाल में हमें कुछ शिकायतें मिली हैं। इसका आरम्भ इस प्रकार हुआ कि बम्बई से जाने वाले व्यापारी अधिकांश में मुसलमान—शादी करके अपनी औरतों को बेच दिया करते थे। सरकार इस मामले में इतना ही कर सकती है कि उन देशों में भारत से महिलाओं का ले जाना निषिद्ध कर दे और वैसा ही किया जा रहा है। आशा है कि यह प्रथा शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा हैं कि सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रति उदासीनता से काम ले रही है। बड़े खेद की बात है कि माननीय सदस्य की धारणा ऐसी है। इस प्रश्न पर हमने कई बार यहां सभा में चर्चा की है। हमारा काम लंका और बर्मा के मामले में सर्वाधिक कठिन हो गया है। लंका के बारे में कठिनाई का कारण यह है कि वहां दक्षिण भारत से अवैध प्रवेश हुआ है और बर्मा का यह है कि वहां जो भारतीय थे उन्होंने अपने घर मनीआर्डर भेजने जैसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिये अवैधानिक तरीका अपनाया। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि बर्मा में रहने वाले भारतीयों से मिलने के लिये उनके सम्बन्धी उनके पास नहीं जा सकते। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि बहुत से रिश्तेदारों का वहां आना कहां तक ठीक है। बर्मा में रहने वाले भारतीयों को इस बात की छूट दी गई है कि या तो वे बर्मी नागरिकता स्वीकार कर लें या बर्मा छोड़ दें। कठिनाई यह है कि वे न तो बर्मी नागरिकता अपनाते हैं और न वहां अपने आपको भारतीय नागरिक पंजीबद्ध कराते हैं। हर बार पंजीबद्ध कराने की तिथि बढ़ाई जाती है लेकिन वे इससे कोई लाभ उठाना नहीं चाहते। हर मुसीबतों में वहां बने रहना चाहते हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि हमारी सरकार उनके प्रति उदासीन है।

सरकार ने कर्नल भट्टाचार्य की सहायता के लिये हर संभव प्रयत्न किया है। पाकिस्तान में भिन्न विधि प्रणाली होने के कारण अधिक और करना संभव नहीं है। उनकी पत्नी तथा बच्चों को हम उनका वेतन दे रहेहैं। जहां कर्नल भट्टाचार्य रह रहे थे उसी क्वार्टर में रहने की अनुमति भी उनको दी हुई है। इससे अधिक सरकार और क्या कर सकती है।

जिस स्थान कर्नल भट्टाचार्य को उड़ा कर ले जाया गया था वह तो झगड़ा ग्रस्त है किन्तु जिस स्थान से दूसरे व्यक्ति को भगा कर ले जाया गया है वह स्थान विवाद ग्रस्त नहीं है। वहां सीमा की लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा कहना है कि पाकिस्तानी लोग उनको हमारी सीमा में से आ कर ले गये। उनका कहना है कि भट्टाचार्य ने सीमा पार की थी। अतः अभी तक यह मामला विवाद में पड़ा हुआ है।

जहां तक मलियाली लोगों को लंका से अलग करने की बात है। प्रधान मंत्री का अभिप्राय यह था कि वे लोग वहां व्यापार आदि करने के लिये गये थे। उनका अभिप्राय यह नहीं था कि वे धनी लोग थे। अतः उनके वहां बसने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन् में फौरन ऐफेयर्स पर जो डिबेट चल रहा है उस को मैं ने बड़े ध्यान से सुना है। मैं गवनमेंट आफ इंडिया की पालिसी के सम्बन्ध में बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे फोरेन के झगड़े हैं उन सब का मूल कारण हमारे कमजोर नीति है। अगर आज हमारे देश के माननीय नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने या हमारे देश की सरकार ने इस तरह की पालिसी ऐडाप्ट की होती कि हम जैसे को तैसा जवाब देंगे तो कोई भी झगड़ा हमारे देश में समक्ष नहीं होता।

[श्री बिशन चन्द्र सेठ]

मैं बराबर देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने हमारे देश को अपमानित करने की न मालूम दुनियां भर की तनी चीजें की हैं जिनका कोई व्योरा जोड़ा नहीं जा सकता आदरणीय श्री जवाहर लाल ने एक मर्तबा इसी सदन् में बतलाया था कि जब से पाकिस्तान बना है लगभग ३००० छोटे बड़े हमले हिन्दुस्तान पर हुए हैं। प्रोटैस्ट लैटरर्स भेजने से अगर हमारे सारे काम हल हो गये होते अब तक अनेकों जगहों पर जो हमने प्रोटैस्ट लेटर्स भेजे हैं, वह सब मामले हल हो जाने चाहिये थे। परन्तु हम ने देखा कि आज तक कोई भी उन का नतीजा नहीं निकला।

अभी किसी एक सज्जन ने यहां पर कहा कि क्या आप पाकिस्तान के साथ वार चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि वार कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कि दुनियां में अनोखी होगी? अगर आज पाकिस्तान इस तरह के मामलात हमारे सामने कर रहा है जिनसे हमारे देश के सम्मान को धक्का पहुंच रहा है तो कोई वजह इस बात की नहीं है कि पाकिस्तान के साथ उस तरह का व्यवहार क्यों न किया जाय जिस से उस को मालूम हो जाय कि हिन्दुस्तान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा और हिन्दुस्तान भी उचित बदला लेने के लिये समर्थ है?

मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने आपके सामने रक्खा है और वह यह कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, कोई बात नहीं है लेकिन क्या इतना भी आप नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जिससे कि बराबर हमारी दुश्मनी बढ़ती जा रही है उसको आप कोयला और शक्कर आदि देना बंद कर दें। एक तरफ तो पाकिस्तान हमारे साथ बराबर दुश्मनी का बर्त्ताव करता जा रहा है और दूसरी तरफ हम उनको कोयला और शक्कर आदि सप्लाई करके खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार को पाकिस्तान के प्रति अपनी इस एपीजमेंट पालिसी को बंद करने में क्या ऐतराज है।

आज से थोड़े ही दिन पहले हमारे देश की सैनिक टुकड़ियां यू० एन० ओ० के आदेश पर विदेशों को भेजी गई हैं जहां कि वह यू० एन० ओ० की कमांड में अपने कर्त्तव्य का पालन कर रही हैं। इस के फलस्वरूप हमारे देश में अनेक प्रकार के नवीन कर बजट में लाये गये हैं। परन्तु मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ओर तो हम दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाकर अपनी शक्ति और धन खर्च करें और दूसरी ओर हम अपने देश में कनल भट्टाचार्य तक को बचाने में समर्थ नहीं हैं।

मैं थोड़े दिन पहले असम गया था। मैं ने वहां पहुंच कर जब दौरा किया तो मैं यह देख कर हैरान हो गया कि हमारी जो प्रोटेक्शन करने की चौकियां थीं उन के लिये यह आर्डर्स थे कि जब पाकिस्तान कि तरफ से फायरिंग हो तो उस के बाद मोटरसाइकिल पर आदमी दौड़ाया जाय कि जो कि पूरा व्योरा बता कर आर्डर्स ले। चूंकि वहां पर कोई वायरलेस या टेलीफोन आदि की व्यवस्था नहीं थी इस लिये यह किया गया था कि फायरिंग होने के बाद आदमी मोटरसाइकिल पर दौड़ाया जाय और व्योरा बतला कर जरूरी अहकाम हेडक्वार्टर्स से लिये जायें। आखिर यह क्या तमाशा है मैं तो सुन कर हैरान रह गया। जरूरत तो इस बात की थी जिस समय दुश्मन की तरफ से हमला हो रहा हो तो मौके पर तैनात मिलिटरी टुकड़ी को पूरी इस बात की पावर होनी चाहिये कि वह दुश्मन की तरफ से हमला होने पर जवाबी कार्यवाही कर सकें और तुरन्त उनको जवाब दे दिया जाय। यह क्या बात हुई कि व्यर्थ ४ घंटे लगाये जायें और तब तक वह आक्रमण कर के चले भी जायं? आज बराबर इस तरह के किस्से होते जा रहे हैं, पाकिस्तान आये दिन कुछ न कुछ

इस तरह की दुश्मनी भरी हरकतें करता रहता है और हमारी तरफ से अखबारी विरोध पत्र भेजने के और कोई बदले में जवाबी कार्यवाही नहीं की जाती है।

मैं आप को उस समय की याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय पाकिस्तान बना था। उस अवसर पर हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे देशवासियों के नाम एक संदेश भेजा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हिन्दू पाकिस्तान में रह रहे हैं वे वहीं बने रहें और हम उन की जिंदगी और इज्जत की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के एक महान नेता हैं उनके मुंह से निकले हुए शब्दों के आधार पर पाकिस्तान में लगभग ८० लाख हिन्दू रह रहे हैं परन्तु कोई यह नहीं जानता कि वह किस तरह का जीवन वहां पर व्यतीत कर रहे हैं। वह जिन कठिनाइयों में वहां अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और उन पर जो जो अत्याचार होते रहते हैं वह रोज अखबारों में छपते भी नहीं हैं। माइनारिटी कम्युनिटी, यह एक नया तमाशा बन गया है। सीधी सादी बात नहीं छापी जाती कि मुसलमान ने मारा या हिन्दू ने मारा थोड़ी देर तक तो यह समझ में नहीं आता कि किसने किसको मारा। लेकिन हकीकत यह है कि रोज हमारे हिन्दू भाइयों का वहां पर ह्यूमिलिएशन हो रहा है। उधर तो यह हालत है और इधर हमारे देश में मुसलमान इस तरह से अच्छी तरह रक्खे जा रहे हैं। इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता लेकिन जहां हिन्दुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है वहां पाकिस्तान में हमारे हिन्दू भाई जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस समय पाकिस्तान के बोर्डर पर मेरी स्पीच हुई थी, असम में जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो वहां के हिन्दुओं ने आकर मुझ से कहा कि सेठ जी आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ मत बोलियेगा। मैं पाकिस्तान में नहीं बोल रहा था हिन्दुस्तान की सरजमीन पर बोल रहा था। लेकिन मुझ से कहा गया कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ न बोलूं। मैं ने जब उन से धीरे से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी जिंदगी यहां खतरे में है। हमारी फौजें कुछ करेंगी नहीं और अगर पाकिस्तान के खिलाफ आपने यहां पर बोला तो हम लोगों को वह आकर भून देंगे। आज हमारे देश के हिन्दू जो कि बोर्डर पर रहे हैं वे अपने को ऐसा असहाय अनुभव कर रहे हैं। उनको आशंका है कि हमारी सरकार उनकी किसी तरीके से भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इतनी कमजोर बातें जिस देश में चल रही हों, जहां प्रोटैस्ट लेटर्स छपवा कर रख लिये गये हों जहां कोई घटना घटी बस उस के लिये एक प्रोटैस्ट लेटर रवाना कर दिया और चुप होकर बैठ गये, वहां दुनिया का कौन सा काम होने वाला है? आज अगर हमारी सरकार जैसे को तैसा जवाब देती तो मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की यह जुर्रत ही नहीं होती कि वह इस तरह की बेजा हरकतें करता रहता। जिस समय पाकिस्तान बना था मुझे एक बहुत बड़ा मुजरिम समझ कर पाकिस्तान बनने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। जब मैं जेल से निकला तो मेरी पहली स्पीच लखनऊ में हुई थी। मैं ने तब यह कहा था कि आज पाकिस्तान बनने की गलती के बाद भी पाकिस्तान बिना किसी हमारी कोशिश के ही खत्म हो सकता है बशर्ते कि हमारी सरकार उस पर कुछ विचार करे। मैं चाहता हूं कि जो बातें मैं ने उस वक्त कही थीं, उनका यहां पर उल्लेख कर दूं। मैं ने कहा था कि कोई वजह नहीं कि हमारे देश में जो कोयला है, हम उसे पाकिस्तान की मिलें, कम्पनियां और उद्योग चलाने के लिये दें। कोई वजह नहीं कि हम उस को पानी और बिजली दें। मि० जिन्ना ने डिमांड की थी कि पाकिस्तान बनाने के साथ साथ दोनों देशों में आबादी की अदला बदली भी की जाये। जब हमने उनकी चौदह आने बात मान ली, तो बाकी की दो आने बात मान कर आबादी एक्सचेंज की चेष्टा न की जाती, ताकि यह रोज का झगड़ा खत्म हो जाता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। मैं

[श्री बिशन चन्द्र सेठ]

उन कुछ मुसलमानों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, जो कि वाकई राष्ट्रीय विचारों के हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों की मनोवृत्ति को देख कर यह बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि इस देश में कई किस्म की गड़बड़ियां पैदा करने का उत्तरदायित्व किस पर है। लेकिन हमारी निगाहों के सामने सैकुलर भावना एक ऐसा डरावना चित्र बन गया है कि उस के कारण कोई भी व्यक्ति ईमानदारी की बात भी नहीं कहना चाहता, जिस को सब महसूस करते हैं।

जहां तक फ़ारेन कंट्रीज में हमारी एम्बैसीज़ का प्रश्न है, मैं देखता हूं कि एक ओर तो हमारे बजट के घाटे को पूरा करने का सवाल पैदा होता है और दूसरी ओर ऐसे ऐसे कंट्रीज में हमारी एम्बैसीज़ बनी हुई हैं, जिन में कोई काम नहीं है। अगर छोटे छोटे दो चार मुल्कों को मिला कर एक एम्बैसी बना दी जाये, तो हमारा काफ़ी खर्च घट जाये।

मैं देखता हूं कि हिन्दुस्तान में बड़ी बड़ी पोस्ट्स नित्य क्रिएट की जाती हैं, लेकिन अगर कहीं पर खर्च कम किया जाता है, तो वह लोअर स्तर पर। छोटे छोटे कर्मचारियों को हटाने पर ज़ोर दिया जाता है, लेकिन जहां अनावश्यक रूप से बड़े बड़े खर्च हो रहे हैं, उस की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाता है।

चन्द दिन पहले जब यू० पी० की मिनिस्ट्री में ४३, ४४ मंत्री रखे गए तो आदरणीय प्रधान मंत्री ने उस में बहुत सारे आदमी लिये जाने पर टिप्पणी की थी, लेकिन मैं समझ नहीं सका हूं (मैं किसी माननीय मंत्री या उप-मंत्री का अपमान नहीं करना चाहता)—कि सैंट्रल कैबिनेट में कितने मंत्री रखे जायेंगे और कितनी पोस्ट्स क्रीएट की जायेंगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पार्टीशन से पहले जब हिन्दुओं और मुसलमानों को पैरिटी के आधार पर गवर्नमेंट बनाई गई थी तो उस में केवल दस मिनिस्टर थे और उन दस मिनिस्टरों से सारे देश का काम चलता था। आज इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाने का क्या औचित्य है ?

एक माननीय सदस्य : फोरेन अफेयर्स से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री बिशन चन्द्र सेठी : मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे खर्चे इस तरीके से बराबर बढ़ाये जा रहे हैं .....(**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, फोरेन अफेयर्ज से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : बिल्कुल है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ही तो ये सब मिनिस्टर्स बनाते हैं और यह उन्हीं का तो डिपार्टमेंट है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य फारेन अफयर्स के बारे में कहें।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : बहुत अच्छा।

श्री दाजी (इन्दौर) : कई मेम्बरों को इस बारे में उम्मीद बंधी हुई है, लेकिन माननीय सदस्य अभी से रोक लगा रहे हैं।

श्री बिशनचन्द्र सेठ: अब तक फारेन सर्विस के लिये जो कैंडिडेट्स छांटे जाते थे, वे सारी मिनिस्ट्रीज को मिला कर छांटे जाते थे। परन्तु अब एक नई चीज यह की गई है कि फोरेन सर्विस के लिये फोरेन डिपार्टमेंट से ही आदमी लिये जाते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों के सामने एक बड़ा सैट बैक

हो गया है कि अब उनके लिये फोरेन सर्विस में आने का कोई चांस नहीं है। यह बड़ी भारी रुकावट बीच में डाल दी गई है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट्स को फोरेन सर्विस में क्या काम है ?

श्री बिशनचन्द्र सेठ : दूसरों को भी चांस देना चाहिये।

जहां तक चाइना के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारे देश की नीति ठीक प्रकार से चलाई जाती, तो न तो पाकिस्तान का झगड़ा होता और न चाइना का। पहले पाकिस्तान ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया और उस के बाद उसी रेफरेंस में, उसी मनोभावना के आधार पर, आज चाइना का मामला हमारे सामने है अगर आज यह कहा जाय कि हम चाइना से लड़ नहीं सकते, तो यह गलत है। अभी चार दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने गोआ को लिया है। वहां जो कुछ हुआ है, वह हमारे सामने है। हम बड़े आराम के साथ चाइना को धक्का दे सकते थे, लेकिन आज तक हम यही डिसाइड नहीं कर पाये कि हमारी पालिसी क्या है। रोज चाइना नये नक्शे बांटता है, जिन में हिन्दुस्तान के एरिया को अपना दिखाता है, लेकिन आज तक हम अपना एरिया तक डिसाइड नहीं कर सके हैं। इस समस्या के पैदा होने का कारण यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने जैसे को तैसा का बर्ताव नहीं किया है। उसने इस तरह का बर्ताव किया है कि हम दूसरे देशों के सामने अपने को कमजोर महसूस करने लगे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : जन संघ के नेता के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों ने आम तौर पर वैदेशिक नीति के प्रति संतोष प्रकट किया है। वह शायद 'मारो और भागो' के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। उन के दिमाग में शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 'डण्डा' नीति है। लेकिन मैं उन को बता दूं कि भारत ने कभी भी 'डण्डा' नीति पर अमल नहीं किया यह तो बड़ा विचित्र सा तर्क है कि यदि पाकिस्तान के कुछ लोग भारतीय सीमा से किसी व्यक्ति को पकड़ ले गये, तो पूरी वैदेशिक नीति ही असफल हो गई।

मैं जम्मू तथा काश्मीर का प्रतिनिधित्व करता हूं। भारत की तटस्थता की नीति के फलस्वरूप ही भारत की प्रतिष्ठा ऊंची हुई है और काश्मीर आज भारत का अविभाज्य अंग बन गया है।

अभी सुरक्षा परिषद् के सामने काश्मीर का मसला पाकिस्तान ने उठाया था। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने बड़ी सुयोग्यता से वहां भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था।

पाकिस्तान ने एक बार फिर काश्मीर की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार की गुहार मचाई थी। अमरीका और इंगलैंड कभी कभी परोक्ष रूप में उस का समर्थन भी कर देते हैं। अच्छा होता यदि सुरक्षा परिषद् कथित आजाद काश्मीर को पाकिस्तानी कब्जे के काश्मीर को——आत्म निर्णय का अधिकार दिला देती।

जम्मू तथा काश्मीर में तीन बार आम चुनाव हो चुके हैं, और तीनों बार वहां की जनता ने भारत का अविभाज्य अंग बनने के पक्ष में मत दिया है। फिर सुरक्षा परिषद् को जनता की इच्छा के बारे में संदेह क्यों है ?

पाकिस्तान चाहे जितना प्रचार कर ले, दुनिया की कोई भी ताकत काश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इधर कुछ दिनों से पाकिस्तान और चीन के बीच मैत्री हो रही है। पता नहीं अमरीका उसे कैसे सहन कर रहा है? उस ने पाकिस्तान को चीन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाने क्यों दिया है? अब समय आ गया है कि अमरीका पाकिस्तान से साफ साफ कह दे कि चीन के साथ मित्रता और अमरीका की सहायता साथ-साथ नहीं चल सकती।

हम ने चीन के प्रति जैसी दृढ़ता की नीति अब अपनाई है वैसी ही दृढ़ता हमें काश्मीर के प्रश्न पर भी दिखानी चाहिये। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से स्पष्ट कह देना चाहिये कि भारत काश्मीर के मामले पर अब कोई वाद-विवाद करने के लिये तैयार नहीं है। पहले तो पाकिस्तानी अधिकृत आजाद काश्मीर की जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिय।

मैं भारत और विशेषकर जम्मू तथा काश्मीर की जनता की ओर से सोवियत संघ को बधाई देता हूं कि उस ने काश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानने की नीति का दृढ़ता से पालन किया है।

हमारी वैदेशिक नीति ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले उच्च कोटि के नेताओं में, जिन्हें आजाद हिन्दुस्तान की सरकार का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन में एक स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू आते हैं। स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को समस्याओं को हल करने का जहां श्रेय मिला वहां साथ साथ हमारे प्रधान मंत्री जी को समस्याओं को खड़ा करने और उलझाने का भी श्रेय मिला।

एक बात बड़ी विचित्र है कि प्रधान मंत्री जी के व्यक्तित्व में दोनों एक साथ मिल गये हैं। समस्याओं की असफलता और उन का भाग्य यह दोनों एक साथ जुड़ गये हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : असफलता और भाग्य यह जब आप कहते हैं तो यह शास्त्र विरोधी बात कहते हैं।

श्री राम सेवक यादव : यही तो विचित्र बात है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की जो विदेश नीति रही है और पिछले चौदह पन्द्रह वर्षों का जो उस का इतिहास रहा है, उस को देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि वह नीति असफल रही है। उस का कारण यह है कि हमारी विदेश नीति भावुक व्यक्तिवादी और सिद्धान्त विहीन रही है। भावुक जब मैं कहता हूं, तो श्रीमन्, उस के लिये मैं दो मिसालें रखना चाहता हूं। काश्मीर के प्रश्न को ले लें। उस में भावुकता से काम लिया गया और उस की सारी जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला और अब फिर से उसी तरह से सारी जिम्मेदारी बख्शी जी पर है। काश्मीर के साथ एक विशेष तरह का बरताव किया जा रहा है। भारतवर्ष के दूसरे राज्यों की तरह से हम उसको अपने देश के साथ एकरूपता में नहीं ढाल सके हैं, उस को अलग स्टेटस दिये हुए हैं। काश्मीर के सम्बन्ध में जो साधारण बुद्धिमत्ता और दूर अंदेशी की आवश्यकता थी, उस को भी हम भावुकता में भूल गये।

इसी तरह से चीन के प्रश्न को ले लें। जब हिन्दुस्तान और चीन के बीच संधि हुई, पंचशील का नारा लगा और उस पर हस्ताक्षर हो गय और हिन्दी चीनी भाई भाई का नारा लगा तो हमारे प्रधान मंत्री इस हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे तथा पंचशील की संधि से इतने आत्मविभोर हो उठे कि साधारण सी आत्म-रक्षा की बात भी उन को याद न रही, उसे भी वह भूल गये। और उस का कुपरि-

†मूल अंग्रेजी में

णाम हम ने देखा कि आज हम चीन के साथ इस कदर उलझे हुए हैं कि हमारे लिये यह एक सिर दर्द बन गया है ।

जहां तक व्यक्तिवाद का सवाल है, गोआ, काश्मीर, पांडिचेरी इत्यादि जो हमारे राष्ट्र के अलग अलग अंग हो सकते हैं, उनको हम विदेश नीति के अन्दर नहीं ला सकते, विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनको प्रधान मंत्री जी एक अलग-अलग अस्तित्व दिये हुए हैं और यह उन के व्यक्तिवाद का ही परिचायक है ।

जब मैं सिद्धान्त विहीनता की बात करता हूं तो उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि भारत की वैदेशिक नीति अब तक यह रही कि हम कभी रूस के चक्कर में और कभी अमरीका के चक्कर में इधर से उधर नाचते रहे। कोई सिद्धान्त नहीं अपनाया और एक तरह की दलाल वाली नीति हम चलाते रहे, जैसे कि घाना, अल्जीरिया इत्यादि के प्रश्न ।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह "दलालबाजी नीति" शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है । यह शब्द अच्छे नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी नोटिस में ले आये हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह शब्द बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं कि मैं उन को निकाल सकूं ।

श्री राम सेवक यादव : शायद माननीय सदस्य अंग्रेजी शब्दो की ज्यादा कद्र करने वाले हैं । अगर "ब्रोकर" कह दिया जाता तो उन्हें आपत्ति नहीं होती ।

जो अल्जीरिया का प्रश्न था या कांगो का प्रश्न था, उस में भी इस देश ने यह कोशिश की कि कोई समझौता इत्यादि करायें और बिचावई करें। उनकी आजादी और उनके ऊपर पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का कोड़ा चल रहा था उस को हटाने के लिये ही कोई कदम नहीं उठाया। अल्जीरिया के प्रश्न में तो यहां तक हुआ कि ३४ देशों ने उसको मान्यता दे दी तब भी भारत सरकार ने आज तक उसे मान्यता प्रदान नहीं की, जब कि हम को सब से पहले ऐसा करना चाहिये था, क्योंकि भारतवर्ष ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ और पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाई और उसके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ । भारत को तो यह चाहिये था कि संसार में जहां भी साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और गरीबी के खिलाफ युद्ध हो वह उस देश का निश्चित रूप से पक्ष लेता । भारत के प्रधान मंत्री शायद पक्ष लेने से घबराते हैं कि कहीं हमारी निश्पक्षता में कलंक न लग जाय । मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर भी गरीबी और आजादी का सवाल हो, उस सवाल में प्रधान मंत्री को और भारत को एक आवाज मिला कर उस देश की आजादी का समर्थक हो जाना चाहिये, और यहां मैं कह सकता हूं कि अगर हम उन देशों में किसी का भी पक्ष ले लेते तो इसमें कोई बुरी बात न होती, जहां तक न्याय की बात है । लेकिन शायद हम घबराते हैं कि कहीं इस तरह से हमारी नई आई हुई आजादी खो न जाय । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जो देश किसी ऊंचे आदर्श के लिये अपनी स्वतंत्रता को भी जोखिम में डाल सकता है वही देश अपनी आजादी की रक्षा कर सकता है । मिसाल के तौर पर मिस्र के कर्नल नासिर ने स्वेज जैसे प्रश्न को हल किया । स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण किया । हालांकि उन्होंने एक जबर्दस्त खतरा मोल लिया, लेकिन हमने देखा कि वह आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा उठाये हुए हैं । स्वेज कैनाल में उन ही का और उनके देश का कब्जा है और उन के देश की आजादी भी खतरे में नहीं पड़ी । लेकिन ऐसा करते शायद हम घबराते रहते हैं ।

इसी तरह से भारत पर एक नई नीति के निर्माण की जो जिम्मेदारी आई थी उस को भी भारत सरकार ने नहीं उठाया । वह नीति क्या थी ? रूस और अमरीका दोनों एक गोरी दुनिया से

[श्री राम सेवक यादव]

के प्रतीक हैं। एक तरफ रंगीन दुनिया है और दूसरी ओर गोरी। रंगीन दुनिया में लोग पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और गरीबी के शिकार हैं, भूखे मरते हैं और दूसरी तरफ गोरी दुनिया में लोग आराम से रहते हैं और इस धरती पर हर मुमकिन आराम की चीजों का उपभोग करते हैं और अब तो उद्जन बम आदि के निर्माण और अन्तरिक्ष यात्रा के प्रयत्नों में लगे हैं। रंगीन दुनिया की गरीबी और उनकी हालत के बारे में उनको चिन्ता नहीं है। भारत सरकार को चाहिये कि तटस्थ देशों के लोगों को इकट्ठा करके एक शक्ति का निर्माण करे, और उनका उद्देश्य यह हो कि किस तरह से रंगीन देशों की गरीबी दूर की जाय। उनको आजाद कराने का प्रयत्न किया जाय। इस तरह से छट पुट और आधे मन से कार्य करने से काम नहीं चलेगा, जैसे कि बेलग्रेड में एक सम्मेलन हुआ। चूंकि उद्देश्य में कमी थी इसलिये वांछित फल नहीं मिल सका।

इसी तरह से हम अगर अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध की तरफ नजर डालें तो हम देखेंगे कि वह अच्छे नहीं हैं और बिगड़ते ही जा रहे हैं। नेपाल से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे थे। नेपाल से हमारा व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध था लेकिन हमने देखा कि इन १४, १५ सालों में वह सम्बन्ध और बिगड़ता गया, अच्छा नहीं हुआ, और आज नेपाल और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं रह गये हैं जितने नेपाल और चीन के हैं। अभी हाल ही में नेपाल के महाराज हिन्दुस्तान आये थे और प्रधान मंत्री जी से उनकी बातचीत चली थी। लेकिन जो भी उन्होंने भाषण दिये उससे हमें यह अन्दाजा लगता है कि कोई ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं हैं। उन्होंने बराबर आजादी, संयुक्त राष्ट्र संघ, पंचशील आदि चीजों का नारा दिया और हिदुस्तान के जो पहले के सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध थे, साथ ही साथ जो व्यापारिक सम्बन्ध थे, इन सब चीजों पर उन्होंने विशेष जोर नहीं दिया।

इसी तरह से पाकिस्तान चीन का सम्बन्ध है। नेपाल और चीन का सम्बन्ध है, यह ऐसी कठिनाइयां हैं जो हमारी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ती हैं। इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

चीन से सम्बन्धों की हालत और बिगड़ी। अगस्त और सितम्बर महीने में हिन्दुस्तान की भूमि लद्दाख में चीन की और चौकियां बन गईं। मैं यह जानना चाहूंगा प्रधान मंत्री महोदय से कि जब हमेशा यह सवाल उठता है कि आखिर हम क्या करें, क्या लड़ाई छेड़ दें तो आखिर हमारी फौज वहां क्यों रहती है? हमारी चौकियाँ वहां क्यों हैं? हमारी पुलिस वहां क्यों रहती है? जब हमारी रक्षा का प्रश्न है तो मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों को हमें अस्त्यार देना चाहिये। इस डर से कि कहीं लड़ाई न छिड़ जाय या कोई बड़ा खतरा न पैदा हो जाय, हम उसे बर्दाश्त करते रहें और एक विदेशी आक्रमणकारी हमारे अन्दर घुसता चला आये और चौकियां बना ले, तथा हम उसको वर्दाश्त करते रहें, इस डर से कि कहीं जंग न छिड़ जाय? मैं समझता हूं कि इससे हमारी इज्जत और आजादी को खतरा पैदा होगा और हम इस देश की रक्षा नहीं कर सकेंग।

सिक्किम और भूटान दो हमारे और पड़ोसी हैं जिनके साथ हमरी विशेष सन्धियां हैं। लेकिन यह बहुत पिछड़े हुए हैं सामरिक दृष्टिकोण से। उनके हथियार आधुनिक नहीं हैं। चाहे आप उनकी आर्थिक स्थिति को देख लें या जो उनकी सरहदें चीन और नेपाल से मिलती हैं उन्हें दृष्टिकोण में रक्खें, हमारे लोग बहुत चिन्तित हैं कि हमारी सीमाओं को और हमारे देश को उसकी ओर से बहुत खतरा है। उस खतरे का एक और कारण हो जाता है कि आज सिक्किम और भूटान में एक प्रतिनिधि सरकार नहीं है, वहां राजाओं के हाथ में सारी शक्ति है। प्रधान मंत्री से पहले भी कहा गया और

आज कहूंगा कि ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि वहां पर प्रतिनिधि सरकार बने और भूटान और सिक्किम की जनता अपने पैरों पर खड़ी हो सके ताकि वक्त जरूरत चीन के और दूसरे आक्रमणों का वे लोग मुकाबला कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : (फिरोजाबाद) : नेपाल में जनतंत्र का हमने समर्थन किया तो आपने आलोचना की कि उससे सम्बन्ध बिगाड़ लिये ।

श्री रामसेवक यादव : निःशस्त्रीकरण का प्रश्न आज संसार के सामने है । एक तरफ जितनी तेजी से आवाज उठाई जाती है कि हथियार चलाना बन्द हो, उनका निर्माण बन्द किया जाय उतनी तेजी से रूस और अमरीका उद्जन बमों के निर्माण की होड़ में लग हुए हैं । हिन्दुस्तान की सरकार भी चाहती है कि उनका निर्माण बन्द हो जाय लेकिन मैं आज आपके द्वारा प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अब इस के बजाय कोई दूसरा रास्ता निकालें जिससे उन हथियारों का निर्माण रुके। मेरा तो यह निश्चित मत है कि हथियार बुरे हैं और बुरे रहेंगे, लेकिन जब से उद्जन बम बन गय हैं तब से उन हथियारों का इस्तेमाल बेकार हो गया है और उद्जन बम का भी प्रयोग नहीं होगा अगर युद्ध हुआ । इसलिये कि उद्जन बमों से हमें विजय प्राप्त नहीं हो सकती । विनाश जरूर हो सकता है और यह बहुत बड़ी चीज है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाय तो शायद उनका प्रयोग हो जाय नहीं तो आम तौर से न रूस चाहेगा और न अमरीका चाहेगा कि उनका इस्तेमाल हो । कोशिश होनी चाहिये विदेश मंत्री के द्वारा कि रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव और अमरीकी राष्ट्रपति श्री कनेडी इन दोनों को शिखर वार्ता के लिये तयार किया जाए और उनके सामने यह रखा जाये कि किस तरह से दुनिया के और खास तौर से रंगीन दुनिया के गरीबी और गुलामी के सवाल को हम हल करें । अगर इसके लिए कोशिश हो तो ज्यादा कारगर होगी ।

मैं नागालैंड के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । नागालैंड में जो अब तक किया गया उससे वहां के लोगों को सन्तोष नहीं है । आज ही सवेरे वहां के बारे में काल एटेंशन मोशन पेश हुआ और प्रधान मंत्री ने उसका जवाब भी दिया । यह साफ है कि वह लोग अब भी सक्रिय हैं और जो कुछ भी सुधार वहां हो रहा है या वहां जो भी जिम्मेदार लोगों की कमेटी आदि का निर्माण हुआ है उससे वह सन्तुष्ट नहीं हैं । इसका हल यही हो सकता है कि वहां पर दूसरे राज्यों की तरह से उत्तरदायी सरकार कायम हो जाए । इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है और इसमें कोई बुरा भी होने वाला नहीं है । जैसे दूसरे राज्यों के स्थान प्राप्त है वैसे ही उस इलाके को भी स्थान प्राप्त हो जाए । इन सब चीजों को चलाने के लिए सरकार को पर्वतीय इलाकों के लिये एक हिमालय नीति अपनानी चाहिए और उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए ।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं । नागालैंड, ईस्टर्न फ्रांटियर, गोआ, पांडिचेरी, काश्मीर ये हमारे देश के अंग हैं और इसी देश के अन्तर्गत इनका राज काज चलता है । फिर भी न मालूम क्यों देश के अन्दर विदेश की स्थापना की हुई है और इन क्षेत्रों को जोकि गृह मंत्रालय के अधीन होने चाहिएं थे विदेश मंत्रालय के अधीन रखा गया है । और उसका परिणाम यह हो रहा है कि जब देश के एक हिस्से का कोई नागरिक दूसरे हिस्से में जाना चाहता है तो उसको विशेष परमिट लेना पड़ता है । उसे आज्ञा लेनी पड़ती है तब वह जा सकता है । अब गोआ आजाद हो गया है और भारत का अंग बन गया है । लेकिन अगर किसी भारतीय नागरिक को गोआ जाने के लिये परमिट लेना हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि गोआ हिन्दुस्तान का अंग बन गया है या उसी तरह से पुर्तगाल का अंग है । यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और ये इलाके जो विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत हैं उनको गृह मंत्रालय के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

[श्री रामसेवक यादव]

गोआ के सम्बन्ध में एक निवेदन करूंगा। गोआ की मुक्ति हुई। इससे बड़ी खुशी हमको, इस दन को और सारे देश को हुई। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इसका जवाब दे दिया जायेगा कि अब हो गया। लेकिन इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि या तो पुर्तगाल की शक्ति का हमको अन्दाजा नहीं था और अगर अन्दाजा था तो १४ वर्ष तक जो हम बैठे रहे यह हमारा निकम्मापन था। अगर हमको पुर्तगाल की शक्ति का अन्दाजा नहीं था तो यह हमारी जानकारी की कमी है और हमारा इंटेलीजेंस विभाग हमको यह जानकारी न दे सका।

इसके अलावा गोआ का प्रश्न एसे समय हल किया गया कि जब उस के फौरन बाद चुनाव होने थे और ऐसा लगा कि उसका फायदा चुनाव में उठाना है। गोआ आजाद हुआ, उसकी हमें खुशी है लेकिन वह एक एसे मौके से किया गया जिसका फायदा चुनाव में उठाया जा सकता था। और उत्तर बम्बई के चुनाव में जहां रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन चुनाव लड़ रहे थे उसका प्रचार करके फायदा उठाया गया।

श्री अन्सार हरवानी : आपके ऊपर तो उसका असर नहीं पड़ा।

श्री रामसेवक यादव : आप जैसे लोग थे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी।

अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय के खर्च के बारे में भी एक निवेदन करूंगा। मंत्रालय का खर्चा दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि सन् १९६१–६२ में ३५·४९ करोड़ का व्यय था जबकि सन् १९६२–६३ में ४५·४६ करोड़ हो गया। जैसाकि दूसरे मंत्रालयों में है वैसा ही इस मंत्रालय में भी जो अधिकारी हैं और जो दूसरे स्टाफ के सदस्य हैं उनके वेतनों में और सुविधाओं में बहुत बड़ा फर्क है। अधिकारियों के वेतन भत्तों में १·६६ करोड़ खर्चा होता है जबकि दूसरे स्टाफ पर १–६९ करोड़ खर्च होता है। दोनों आंकड़े देखे जायें तो दोनों समान हैं जबकि स्टाफ की संख्या ज्यादा है और अधिकारियों की संख्या कम है। यह तो वैसा ही हो गया जैसा कि देहात में कहते हैं–– आधे में अधधर आधे में कुलधर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी विदेश मंत्री भी हैं इसलिये उनको शायद ज्यादा मौका मिलता है अपने मंत्रालय पर अधिक खर्च करने का। एक सेक्रेटरी जनरल उनके मंत्रालय में है और भी ज्यादा अधिकारी लोग हैं। तो इसमें भी मितव्ययता का ध्यान होना चाहिए।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि अल्जीरिया की जनता कराह रही है, वह गरीबी और गुलामी की शिकार है। अनेक देशों ने उसकोमान्यता दे दी है और भारत जैसा देश अगर अल्जीरिया को मान्यता न दे इससे ज्यादा गांधीवाद, समाजवाद और मानवता के लिये दूसरी क्या कलंक की बात हो सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अल्जीरिया को शीघ्रातिशीघ्र कानूनी मान्यता प्रदान की जाए।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (बेल्लारी) : हमारी वैदेशिक नीति के मूलभूत तत्व वही हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हैं। हम पिछले चौदह वर्षों से उनका ही अनुसरण करते आये हैं। आज से दस वर्ष पहले जब हमारे प्रतिनिधि-मंडल ने यही सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखे थे, तब दोनों गुटों के देशों ने उनकी भर्तसना की थी और हमारी नीति को ग़लत समझा था। आज सभी हमारी तटस्थता की नीति का सम्मान करते हैं। आज सभी देशों की आंखें हमारी ओर लगी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज मानवता के सामने सब से बड़ी समस्या सम्पूर्ण विनाश की है, इसलिये निःशस्त्रीकरण अत्यावश्यक हो गया है। दोनों गुट अपना आण्विक बल प्रदर्शन करने पर तुले हुए हैं।

इस प्रकार दोनों ही गुट धरती के वातावरण को विषाक्त बनाते जा रहे हैं। सब यही कहते हैं कि भारत को ही कुछ करना चाहिये।

हम ने अपने सिद्धान्तों की खातिर ही गोआ के मामले में इतने वर्षों तक धैर्य रखा था।

निःशस्त्रीकरण के लिये हमारे प्रधान मंत्री दोनों देशों से बार-बार अपीलें करते रहे हैं। आशा है कि रूस और अमरीका की जनता भविष्य में अणु-परीक्षण नहीं होने देगी और आगे चलकर पूर्ण निःशस्त्रीकरण सम्भव होगा।

अमरीका एक सैनिक गुट बना कर और कम्युनिस्ट देशों के चारों ओर के देशों के साथ सैनिक संधियां करके कम्युनिस्ट देशों का विस्तार रोकना चाहता है। अमरीका लोकतंत्र के सिद्धान्त पर विश्वास करता है। हमारा देश भी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर चलता है। हम शान्तिपूर्ण नीति पर चलते हैं, फिर भी हमें रूस से शस्त्रास्त्र खरीदने पर विवश होना पड़ रहा है। इसलिये कि पाकिस्तान को आधुनिकतम अमरीकी शस्त्रास्त्रों से लैस किया जा रहा है।

निःसन्देह ही, अमरीका की सैनिक संधियों की नीति असफल रहेगी। हम तो अभी अपनी योजनाओं की कार्यान्विति पर तुले हुए हैं।

हमने सदा ही चीन के साथ मैत्री बनाये रखने की नीति का पालन किया है। हमने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाने के लिये हर प्रयास किया है। पर चीन ने उसका बेजा फायदा उठाया है। हम चीन को अपने देश की एक इंच भूमि पर भी अनधिकृत रूप से काबिज नहीं होने देंगे। हम चीन के आक्रमण का पूरे बल सहित मुकाबला करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं।

†**श्री कोया** (कोझीकोड) : मैं सरकार की वैदेशिक नीति, विशेषकर कश्मीर सम्बन्धी नीति का समर्थन करता हूं, फिर भी मैं कुछ विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लंका में बहुत से भारतीय भेजे जाते हैं, पर उनको वहां काम नहीं मिलता। प्रधान मंत्री ने कहा था कि केरल से लंका में जाने वाले भारतीय काफी सम्पन्न हैं। पता नहीं प्रधान मंत्री के दिमाग में ऐसा ग़लत ख्याल कैसे जम गया है। उनमें से अधिकांश नाड़ी निकालने वाले ग़रीब मजदूर हैं। भारत सरकार को उन लोगों के लिये कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

इसी प्रकार बरमा में बसे भारतीयों को भी बरमा सरकार के प्रतिबन्धों के कारण बड़ी कठिनाई पड़ रही है। उन लोगों को भारत में रहने वाले अपने परिवार के लोगों के लिये अधिक धन भेजने की अनुमति मिलनी चाहिये। यहां के अधिकारी भी उनके प्रति सदय नहीं हैं। भारत में उनके परिवारों के लोग भूखों मर रहे हैं।

उनको बरमा से भारत आते समय इतना कम धन अपने साथ लाने की इजाजत मिलती है कि कलकत्ता से दक्षिण भारत तक आने के किराये में ही चुक जाता है।

फ्रैंच बस्ती माही को केरल में मिलाने के लिये भारत सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। यदि उसमें अधिक समय लगने की संभावना हो, तो पोंडिचेरी सरकार से पथ-कर हटाने के लिये कहना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोटा]

भारत सरकार हज यात्रियों को सऊदी अरब में सहायता पहुंचाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। लेकिन हज यात्रियों की कई ऐसी कठिनाइयां हैं जिनको शीघ्र ही हल किया जाना चाहिये। केरल से जाने वाले हज यात्रियों को वहां केवल मुअल्लिमों में से एक चुनना पड़ता है। इससे उनका आर्थिक शोषण होता है। इसलिये उनको दो से अधिक मुअल्लिमों में से अपनी पसन्द का मुअल्लिम चुनने की इजाजत मिलनी चाहिये।

भारत के मामलों में हस्तक्षेप करके, पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के लिये कठिनाइयां पैदा कर रहा है। माल्दा की घटना बड़ी शर्मनाक है। पाकिस्तान सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारत के मामलों में हस्तक्षेप न करे।

मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवल्ला) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की इन मांगों का समर्थन करता हूं। एक के अतिरिक्त, अन्य सभी माननीय सदस्यों ने सरकार की वैदेशिक नीति की बुनियादी बातों का समर्थन किया है।

आज देश पर संकट का काल है। इसलिये वैदेशिक मंत्रालय को सभी सदस्यों का पूरा-पूरा समर्थन दरकार है।

कितना बड़ा व्यंग है कि आज जब मनुष्य ग्रहों-नक्षत्रों तक अपने हाथ बढ़ा रहा है, तब उसकी अपनी समाजी असंगतियां उसे आत्म-विनाश की ओर ढकेल रही हैं। अणु-परीक्षण फिर जारी हो गये हैं। इस प्रकार मानवता का भविष्य अंधकारमय बनाया जा रहा है। रूस और अमरीका दोनों ही ग़लती से ग़लती का निराकरण करने की असंभव होड़ में लगे हुए हैं। यह सभा निःशस्त्रीकरण के लिये उठाये जाने वाले भारत सरकार के प्रत्येक प्रयत्न का पूर्ण समर्थन करेगी।

गोआ की मुक्ति के साथ-साथ हमारे देश से उपनिवेशवाद का अन्तिम अवशेष भी समाप्त कर दिया गया है।

कांगो, अंगोला और रोडेशिया के बारे में भारत सरकार ने जो कार्यवाही की है, उसका समर्थन सभी सदस्यों ने किया है। मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

कम्युनिस्ट दल के सदस्य ने निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी हमारी नीति में एक यह त्रुटि बतलाई है कि हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते कि निःशस्त्रीकरण में विलम्ब कौन कर रहा है। उससे दोनों गुटों के बीच समझौता कराने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर सभी सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। चीन ने हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी मान लिया था। लेकिन हमने अब स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी एक इंच भूमि पर भी चीन का कब्जा सहन नहीं करेंगे।

चीन हमारी वैदेशिक नीति और तटस्थता पर कीचड़ उछाल रहा है। वह प्रचार कर रहा है कि हम साम्राज्यवाद के गुर्गे हैं, उसी के इशारों पर नाचते हैं।

ऐसी परिस्थिति में हमारा सब से पहला कर्त्तव्य यही है कि हम संसार के कम-विकसित देशों को अपनी नीति का औचित्य बताये और सहमत बनायें। हमारे दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों

---

†मूल अंग्रेजी में

को भारतीयों के हितों की रक्षा करने और भारत के व्यापारिक हितों का प्रसार करने की पूरी कोशिश करनी चाहिये। उनको विदेशों की जनता में भारत की नीति के औचित्य और सफलताओं का प्रचार करना चाहिये।

इस के लिये अनेक नये दूतावासों की आवश्यकता है। इसलिये यदि मेरा बस चलता तो मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखता। अफ्रीका और लैटिन अमरीका के राष्ट्रों में हमारे देश का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अत्यावश्यक है कि हम उन राष्ट्रों की जनता से सम्पर्क स्थापित करें। हमारे देश को उन सभी नये-पुराने देशों की महत्वाकांक्षायें और हित समझने चाहियें और उनको भी हमारी महत्वाकांक्षाओं और हितों की इतनी ही समझ होनी चाहिये।

अफ्रीका में हमारा प्रतिनिधित्व अत्यन्त अपर्याप्त है। मौरीटानिया, दाहोमी, छाड, मध्य अफ्रीका गणराज्य, गाबोन, टोगो, नाइजेरिया और कांगो के गणराज्य में हमारे प्रतिनिधि हैं ही नहीं। मध्य अमरीका में भी हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं।

हमने दो राष्ट्रों के लिये एक राजदूत बनाने की पद्धति चलाई है। सन्तयागो (चिली) और कोलम्बिया के लिये एक ही राजदूत रखा गया है। उन दोनों में इतनी दूरी है कि एक राजदूत के लिये उचित ढंग से सम्पर्क रखना भी असंभव होगा।

इसी कारण विदेशों में प्रचार के हमारे साधन बड़े सीमित हैं। वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि हमारी वैदेशिक प्रचार सूचना इकाइयों की संख्या पूर्व अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और पैसिफिक में १४, पाकिस्तान में २, पश्चिम एशिया में ५, यूरोप में १२, उत्तरी अमरीका में ५, अफ्रीका में ९ (जिनमें से राष्ट्रमंडलीय देशों में ६ हैं), मध्य और दक्षिण अमरीका में २ और वैस्ट इण्डीज़ में १ है। उनकी कुल संख्या ५० बैठती है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार विभिन्न वैदेशिक क्षेत्रों के लिये विभिन्न प्रकार के पैम्फलेट निकाल रही है। लेकिन इतना सब बहुत कम है।

हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय को एक और नया काम करना है। यह कि एक नयी तरह की राजनयिकता को जन्म देना, उसका रूप निखारना। इसलिये कि पुरानी तरह की राजनयिकता आज अपनी मौत मर चुकी है। इस कार्य का भार हमारे प्रधान मंत्री ही उठा सकते हैं।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से बड़े धीरज और सब्र के साथ विरोधी दलों के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा हूं। हमारे समाजवादी दल के श्री राम सेवक यादव जी ने भाषण दिया, हिन्दू महासभा के श्री बिशनचंद्र सेठ जी ने भाषण दिया और हमारे जनसंघ दल के नेता श्री उ० मू० त्रिवेदी जी ने भाषण दिया। लेकिन उनके भाषणों के बावजूद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि जैसी स्थिति में से हमारा देश इस समय गुज़र रहा है और जैसी हमें विरासत अंग्रेजी साम्राज्य से मिली थी, उस हालत में हम इससे अधिक क्या कर सकते थे, जो हमारे वैदेशिक मंत्रालय ने इस बीच में सफलता प्राप्त की है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार के साथ उसकी व्याख्या कर सकूं। यह तो सूर्य के प्रकाश को दीपक दिखाने के समान होगा। इसलिए केवल एक ही शब्द कह कर मैं इस विषय को समाप्त करता हूं कि संसार में तीसरे विश्व महायुद्ध को रोकने में भारत ने जो भूमिका अदा की है, उसके लिये युग-युगों तक हमारे देश के नेता का और हमारे देश की वैदेशिक नीति का नाम लिया जायेगा।

[श्री भक्त दर्शन]

श्रीमन्, मेरे पास चूंकि समय कम है इसलिये केवल उत्तरी सीमा के कुछ देशों के सम्बन्ध में ही अपने विचार रख कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा ।

चीन के सम्बन्ध में यहां पर हमारी सरकार की नीति की भी बड़ी आलोचना हुई है । इस में कोई सन्देह नहीं कि आये दिन चीनी वायुयान भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करते रहे हैं । साथ ही बहुत सी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता रहा है और दूसरी तरह की परेशानियां हमारे सामने हैं । लेकिन मैं अपने विरोधी दल के मित्रों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और उन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें कुछ दिन और धीरज से काम लेना है । गोआ के सम्बन्ध में भी हमारे अन्दर और सारे देश में एक बेसब्री सी छा गई थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ठोस कार्रवाई की तो सारे देश ने उसे देख लिया कि क्या हुआ । मैं तो इस सम्बन्ध में अन्तरात्मा से विश्वास करता हूं कि हमारी नीति कुछ कुछ महादेव जी के तीसरे नेत्र की तरह पर है । कामदेव ने चारों ओर से जब शिव जी को परेशान करने का प्रयत्न किया तो शायद लोग समझने लगे कि शिव जी हार गये हैं । लेकिन जब अन्त में तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव महाराज बिल्कुल भस्म होते दिखाई दिये । वही हालत चीन की हो सकती है । हमें सब से अपने नेताओं पर विश्वास रखना चाहिये । जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब जो आवश्यक कदम होगा उसे अवश्य उठायेंगे ।

नवम्बर, १९६१ में चीन और भारत सरकार के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उस के सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र (ह्वाइट पेपर) प्रकाशित किया गया था । उस के बाद दोनों सरकारों के बीच में काफी पत्र-व्यवहार हुआ है, और माननीय प्रधान मंत्री जी ने समय समय पर कुछ पत्रों की प्रतिलिपियों को सदन के पटल पर भी रखा है, लेकिन मेरा अपना निवेदन है कि हो सकता है कि उन पत्रों के सिवा और भी पत्र-व्यवहार हुआ हो, साथ ही अलग अलग होने के कारण उन्हें समझने में कठिनाई होती है इसलिये क्यों न एक छोटा श्वेत पत्र इस बारे में प्रकाशित कर दिया जाये ताकि पूरा नक्शा देश के सामने आ सके ?

दूसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि सन् १९५४ में सात वर्ष पहले तिब्बत से व्यापार और तीर्थ यात्रियों के बारे में जो मुआहदा हुआ था वह २ जून को समाप्त हो रहा है । इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने जो रुख अख्त्यार किया है, उस का हमें दृढ़ता के साथ समर्थन करना चाहिये क्योंकि वह उचित कदम है । लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों को भी मैं रखना चाहता हूं । कुछ समय पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री जी ने बतलाया था कि हमारे जो व्यापारी तिब्बत जाना चाहते हैं उन्हें हम कोई निश्चित सलाह नहीं दे सकते कि आया वे वहां जायें या न जायें । वहां की परिस्थिति प्रत्येक भारतीय को मालूम है और इस सदन को मालूम है । वहां लाखों पये हमारे व्यापारियों के फंसे पड़े रहते हैं । अगर हम वहां नहीं जाते, अगर हमारे व्यापारी वहां नहीं जाते तो उन का वसूली कठिन है । और बिना किसी सुरक्षा की गारन्टी के अगर जाते हैं तो फिर उन के वापस आने के सम्बन्ध में आशंका हो सकती है । पिछले दनों चीन की सरकार ने हमें चेतावनी दी थी कि हमारे तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर नहीं जाने चाहियें । फिर भी हमारे कुछ यात्री जान पर खेल कर वहां गये । लेकिन तीर्थ यात्रियों और व्यापारियों में बहुत अन्तर है । व्यापारी लाखों रुपयों का सामान लेकर जाते हैं, वहां लाखों, करोड़ों रुपयों का सामान पहले से रखा पड़ा है । फिर इस समझौते की समाप्ति २ जून के बाद वहां पर कोई हमारा वाणिज्य दूत, या ट्रेड एजेन्ट भी नहीं रहेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में किस तरह से भारतीय व्यापारियों और अन्य लोगों को वहां जाना चाहिये । मैं प्रधान मंत्री

जी से अनुरोध करूंगा कि जो भारतीय व्यापारी वहां जाना चाहें, उन के लिये स्पष्ट आदेश होने चाहियें कि वे वहां जायें या न जायें। कल ही रात रेडियो के अनुसार चीन की सरकार ने तिब्बत से आयात निर्यात के सम्बन्ध में नये प्रतिबन्ध लगाये हैं। उन से तो वहां की स्थिति और भी बिगड़ गई है और इस सम्बन्ध मे निश्चित आदेश मिलने चाहियें।

सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के बसाने के सम्बन्ध में काफी अच्छा कार्य किया है, लेकिन, जैसा कि रिपोर्ट से मालूम होता है, अभी तक करीब ५,००० तिब्बती शरणार्थी ऐसे हैं जो कि ट्रांजिट कैंप में पड़े हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पोड़ी के पास एक तिब्बतियों का कैम्प है जिन्होंने नीति और माना घाटियों से हमारे भारत में प्रवेश किया था। इन लगभग २०० तिब्बतियों की जब दशा मैं ने देखी तो बड़ा दुःख हुआ। उन के रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उन के भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उन के लिये रोजगार की व्यवस्था नहीं है। पास पड़ोस के जो गांव वाले हैं वे भी इस कारण से बहुत परेशान हैं। अतः मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उन को वहां से हटा कर के किसी और जगह स्थायी रूप से बसाया जाय।

प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये पिछले कुछ वर्षों से जो कार्य हो रहा है उस से देश को और वहां की जनता बहुत अनुग्रहीत है, लेकिन मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि उस विकास कार्यक्रम से हमें जितनी आशायें थीं वे पूरी नहीं हुई हैं। उदाहरण के लिये अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रघुरामैया जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि बद्रीनाथ के लिये जो सड़क बन रही है वह एक साल आगे चल कर शायद चलने के काबिल हो सके। जहां तक मैं समझता हूं, जिस चाल से काम हो रहा है, वह गति सन्तोषजनक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस तरह से नेफा के इलाके में और लद्दाख के इलाके में मिलिटरी इंजीनियर्स के द्वारा काम कराया जाता है उसी तरीके से अगर सेंट्रल सेक्टर मे भी काम कराया जाय बद्रीनाथ के क्षेत्र में और नीति तथा माना के क्षेत्र में भी तो शायद ज्यादा सफलता मिल सकती है।

सिक्किम और भूटान, जो दोनों उत्तरी सीमा के राज्य हैं, उन के सम्बन्ध में श्री यादव जी ने अभी फरमाया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी हाल में भूटान के प्रधान मंत्री भारत तशरीफ लाये थे और सिक्किम के महाराजकुमार ने भी भारत की यात्रा की थी। मुझे विश्वास है कि वहां पर जो विकास का कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है, उस में कुछ तेजी आयेगी और अगले पांच वर्षों के लिये जो विकास योजनायें बनी हैं उन मे अधिक सफलता मिलेगी।

नेपाल के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं। यह बड़े दुःख और आश्चर्य की बात है कि नेपाल हमारी भाषा बोलने वाला है, हमारे धर्म को मानने वाला है, हमारी संस्कृति एक रहते हुए भी और लाखों आदमियों का दिन प्रति दिन यातायात होते हुए भी, हमारे सम्बन्धों में इस बीच कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है। अतः इस बारे में बहुत गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

अभी उत्तर प्रदेश असेम्बली में जब सिंचाई विभाग के ऊपर बहस हो रही थी तो सिंचाई मंत्री जी ने एक रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा था कि गंडक नदी की विकास योजना के बारे में एक समझौता नेपाल सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार सरकार के बीच मे हुआ था, लेकिन जब हमारे इंजीनियर नेपाल में जांच पड़ताल करने के लिये गये तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहां के महाराजाधिराज यहां आये थे तब शायद प्रधान मंत्री जी ने उन से बातचीत की थी। मैं ने यह उदाहरण इस लिये दिये कि हमारे सम्बन्ध आपस में बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं दो तीन छोटे छोटे सुझाव देना चाहता हूं।

[श्री भक्त दर्शन]

मेरा खयाल है कि हम नेपाल में काफी काम जरूर कर रहे हैं । अभी हाल में पांच मुआहदों पर काठमांडू में हस्ताक्षर हुए हैं । वहां काम काफी हो रहा है, लेकिन इस का प्रचार और प्रकाशन नहीं होता । स की व्यवस्था होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो कर्मचारी वहां जा रहे हैं, या और किसी भी जगह जाते हैं, उन के बारे में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिये । मेरे अन्दर एक भ्रम है, और बहुत से नेपाल के मित्रों ने भी यह बात बतलाई कि हमारे कर्मचारियों के अन्दर एक अहम्मन्यता सी है, एक 'सुपीरिआरिटी' काम्प्लेक्स सा है कि हम गांधी जी के देश के हैं, हम नेहरू जी के देश के हैं, एक बड़े देश के रहने वाले हैं । इस से वहां की जनता जो है उस को ठेस सी लगती है, उन के आत्मसम्मान को ठेस लगती है, और इस लिये उन के अन्दर गुस्सा आता है कि यह लोग हमारे ऊपर रोब जमाने के लिये आते हैं । स लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो कर्मचारी भेजे जायें, या कहीं भी भेजे जायें, उन्हें अच्छी तरह से छांट कर भेजा जाय । वे विनम्रता के साथ और वास्तविक भारतीय संस्कृति का सन्देश ले कर जायें, और उनके आचार विचार ठीक हों, ताकि वे वहां की जनता के हृदय जीत सकें ।

एक बात जिससे मैंने समझा कि नेपाल की जनता में हमारे प्रति कुछ रोष है वह यह है कि वे समझते हैं कि हम उनके आन्तरिक मामलों में मदाखिलत करना चाहते हैं । वे लोग उदाहरण देते हैं कि बर्मा में सरकार परिवर्तित हो गई, वहां पर डिक्टेटरशिप हो गई, लेकिन वहां की जनता के अधिकारों के बारे में हमने कुछ नहीं कहा । पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप चल ही रही है, सिक्किम और भूटान जो कि हमारे संरक्षित राज्य हैं, जिन के साथ हमारी विशेष सन्धियां हैं, उनके बारे में, जनता को अधिकार देने के बारे में, हमने कोई आवाज नहीं उठाई, तो नेपाल के सम्बन्ध में हम क्यों कहें ? क्यों उसके बारे में मदाखिलत करें कि वहां पर महाराज का शासन तन्त्र चल रहा है ? मैं जानता हूं कि हम संसदीय लोकतन्त्र का इस देश के अन्दर बड़ा अच्छा परीक्षण कर रहे हैं और हमको बड़ी सफलता मिल रही है, लेकिन उस देश की जनता इसके लिये तैयार नहीं है और वहां पर अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं । इसके लिये हमारे कर्मचारियों को, हमारे नेताओं को, और दलों के नेताओं को, या जो सरकारी प्रवक्ता अथा गवर्नमेंट स्पोक्समैन हों, उन को इस बारे में बड़ी सतर्कता से चलना चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में दोनों में कोई कटुता पैदा न हो ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । नेपाल और भारत के बीच जो बार्डर है, वह बिल्कुल उपेक्षित रहा है । अभी हाल में, आपको मालूम होगा कि हमारे एक सम्मानित सदस्य श्री विजय आनन्द शिकार खेलते हुए हाथी से गिर पड़े और उनको चोट आ गई । मतलब यह है कि वह सारा इलाका, जो कि तराई का इलाका है, जो नेपाल से मिलता हुआ इलाका है, वह बिल्कुल उपेक्षित है, जंगलों से भरा हुआ है और वहां पर यातायात के साधन भी नहीं हैं । मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेपाल और चीन का जो बार्डर है, उस के लिये तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी और नेपाल की जो सीमा है, उस के विकास की ओर हमें ध्यान देना चाहिये । जिस तरह से तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में भरत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सरकार या और सरकारें वहां के विकास के लिये तेजी से कार्यक्रम चला रही हैं, हालांकि उससे पूरा सन्तोष हमें नहीं है, और हम समय समय पर उसके लिये सुझाव देते रहे हैं, उसी तरीके से नेपाल की जो सीमा हम से मिलती हुई है, उस के विकास की योजना भी बननी चाहिये ।

श्रीमन् इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य): भारत की अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में जो स्थिति है और जो कार्य यह कर रहा है यदि वह कार्य और प्रभावी एवं तीव्रगति से किया जाये तो इसका परिणाम निश्चय ही वही होगा जिसकी प्रतीक्षा कि विश्व कर रहा है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने निःशस्त्रीकरण का है। समस्त मानव अणु परीक्षणों के विनाश के विचार से भयभीत है। दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में संयुक्त राज्य अमरीका जैसे राष्ट्रों का रवैया असहायतापूर्ण रहा है। प्रधान मंत्री को बट्रेन्ड रसल का वह सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये था जो उन्होंने क्रिसमस द्वीप के निकट परीक्षण विस्फोटों के विरुद्ध हमारे देश को दिया था। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने यह सुझाव दिया था। हो सकता है कि इसके पीछे उनकी भावना यह रही हो कि भारत परम्परागत सत्याग्रह का आदी है और यदि इन परीक्षणों के विरुद्ध भी सत्याग्रह किया जाये तो संभव है कि ये अणुपरीक्षण रुक जायें। उन्हें भी यह आशा थी कि यदि भारत ने ऐसा किया तो संभव है कि अन्य देश भी इसमें सहयोग दें। प्रधान मंत्री ने एक बार यह एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यदि गैर सरकारी तौर पर लोग वहां जाने को तैयार हों तो अच्छा है। जब वे गैर सरकारी तौर पर भेजने को तैयार हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी तौर पर भेजने में उनके सामने क्या कठिनाइयां थीं।

लाओस में स्थिति खराब हो गई है। और वह स्थिति ऐसी है जिसके कारण लोग अपनी आकांक्षायें पूरी करने में असमर्थ हैं। वे वहां संयुक्त राज्य अमरीका के सातवें जहाजी बेड़े के उपस्थित रहने का बुरा मानते हैं। वहां के लोगों की स्थिति से विश्व के सभी लोग चिन्तित हैं।

भारत को मिलने वाली अमरीकी सहायता में २५ प्रतिशत की कटौती से जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की विदेश मामलों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है। ऐसा मालूम होता है कि यह कटौती हमारे द्वारा गोआ तथा काश्मीर में की गई कार्यवाही की सज़ा के रूप में दी गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपने उस मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं होगा जो उसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामलों में अपने लिये चुना।

पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। वहां इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं जो हमारे लिये चिन्ताजनक हैं। इस सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिये। हमें अपने मामले को विशेषकर देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पेश करना चाहिये। यह बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान अमरीका के पूरी तरह चक्कर में है। पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है तथा विदेशों में भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि भारत बहुत खराब है।

अमरीका कभी कभी हमारी परियोजनाओं के लिये धन देता रहा है। लेकिन गोआ के मामले को लेकर अमरीका स्थित हमारे दूतावास से बुरा भला कहा सुना गया है।

विदेशी प्रचार प्रोपेगैंडा का काम सन्तोषजनक नहीं है। उन्हें अपने काम कोसुधारना चाहिये। वहां इस प्रकार की बातें होती हैं जो भारत के विरुद्ध जाती है और लोग उसकी चर्चा करते हैं।

भारतीय विदेश सेवा के लोग भी प्रतिष्ठापूर्वक कार्य नहीं करते। उन्हें हमारे देशकी विदेश नीति के अनुकूल कार्य करना चाहिये। वे हमारे देश की संस्कृति एवं देश वासियों की भावना का प्रदर्शन ठीक ढंग से नहीं करते। मंत्रालय को इस बारे में बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये और कुछ गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

सुरक्षा परिषद में भारतीय पदाधिकारियों ने अच्छा कार्य नहीं किया है । भारत की स्थिति उन्होंने वहां गिरा दी है । यह इसलिये होता है कि वहां के भारतीय पदाधिकारी भारत के सिद्धान्तों एवं संस्कृति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते । मेरा सुझाव है कि काश्मीर के सम्बन्ध में हमें सुरक्षा परिषद को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हमारे विरुद्ध समय समय पर जो अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं उनका उत्तर हम नहीं देंगे ।

पाकिस्तान में आजकल जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सरकार का इतना कहना काफी नहीं है कि हमें खेद है । सरकार अपने स्तर पर उनसे बात करे और उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की घोर निन्दा करे । संसार के सामने पाकिस्तान की वह कार्यवाही एवं उनके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार रखे जो कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ किया है इस प्रकार विश्व के सामने उनकी भर्त्सना होगी ।

हमें बर्मा तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहियें ।

एशिया को एक सूत्र में लाने के लिये हमें अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिये ।

राष्ट्रमंडल को अब ऐसा एकक नहीं माना जा सकता जो अजातीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा हो । उसकी सदस्यता का आधार अब आर्थिक लाभ नहीं है बल्कि ये मामले तो इसके रास्ते में रुकावट ही डालते हैं । वह तो शेष संसार के साथ सामान्य व्यावहारिक सम्बन्ध रखने में भी बाधक हैं । हमें उसके साथ अपने सम्बन्धों को तटस्थ स्तर पर रखने की दिशा में प्रयत्न आरम्भ करना चाहिये । पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रमंडल की नीति हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध भी है । इस समस्या के बारे में शीघ्र ही विचार किया जाना चाहिये ।

गोआ के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि तीसरी योजना में मिलने वाले लाभों का इसे पूरा लाभ नहीं मिलेगा ।

अल्जीरिया वाले चाहते हैं कि भारत उनका समर्थन अच्छी तरह करे । आशा है कि प्रधान मंत्री इस बारे में अवश्य ही कोई कार्यवाही करेंगे ।

पांडिचेरी भारत का विधिवत अंग नहीं है । अतः इसे विधिवत अंग बनाना चाहिये ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** भारत की विदेश नीति के आलोचक भी यह स्वीकार करते हैं कि यही एकमात्र नीति है कि जिसका अनुसरण भरत कर सकता है । लेकिन इस नीति के क्रियान्वयन के बारे में उनके विचार कुछ और ही हैं । कुछ नये लोगों का विचार है कि किसी अन्य नीति का अनुसरण करके हम अधिक सफल हो सकते हैं । लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनका ऐसा कहना संसार की घटनाओं के प्रति अज्ञानता प्रकट करना है ।

लाओस, वियतनाम और अन्य स्थानों पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बहुत कुछ यहां कहा गया है । वहां जो कुछ हो रहा है वह कोई श्रेयस्कर बात नहीं है । ये देश तटस्थ नीति नहीं अपना रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि लाओस और वियतनाम को तटस्थ रहना चाहिये तथा उन्हें किसी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहिये । समस्त नीति जेनेवा सम्मेलनों के

†मूल अंग्रेजी में

निर्णयों पर निर्भर है और संकट का कारण उन करारों के अनुसार उन कार्यवाहियों का न किया जाना है। परिस्थितियों के कारण अन्य देशों के लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन देशों के लिये एक मात्र संभव नीति तटस्थता की है।

श्री एन्थनी ने जो कुछ कहा है वह एकदम गलत है। उनका कहने का अभिप्राय तो यह है कि भारत अनाथ बन कर किसी गुट में सम्मिलित हो जाये। आज विश्व में क्या हो रहा है इससे स्पष्ट है कि जिसने भी किसी गुट में शरण ली वही संकट में फंसा। अतः हम भारत द्वारा तटस्थता की नीति छोड़ देने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह समस्त धारणा ही गलत है कि भारत किसी शक्ति का आश्रय प्राप्त करे। वैसा करना हमारे लिये अत्यन्त भयंकर होगा। यदि हम अपने को शक्ति गुटों से सम्बद्ध कर लेंगे तो हमारा सर्वनाश अपरिहार्य है। हमारी रक्षा की जाती है या नहीं यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ऐसा कर लेने मात्र से हमारा वैयक्तिक अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा और वे मान्यतायें खत्म हो जायेंगी जिनका हम सदियों से समर्थन करते आये हैं। भरत का भूत, वर्तमान एवं भविष्य हमारे किसी एक सैनिक गुट के अनुगामी बन जाने के विचार के विरुद्ध है।

प्रत्येक देश का कोई न कोई उद्देश्य होता है। पश्चिम के देशों का उद्देश्य विज्ञान एवं टैक्नोलोजी का है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो देश शक्तिशाली हैं वे अक्ल में भी बड़े हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

भारत बड़ा देश है इस कारण यह महान है। मैं यह नहीं कहता इसकी महानता का कारण कुछ और ही है। गत ५००० वर्षों से चली आने वाली संस्कृति ही इसकी महानता का आधार है। इसके लिये हम ने काफ़ी त्याग भी किया है। किसी भी देश के साथ मिलने का मतलब है उसके साथ सैनिक प्रयोजनों के लिये सम्बद्ध होना। अतः हमारी सदैव ही तटस्थ रहने की नीति होगी। तटस्थता की इस नीति को आज सभी देश मान्यता देते हैं। फिर ऐसी हालत में हमें छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है।

लगातार १४ वर्षों तक हम ने यह नीति अपनाई है। हमारी नीति के आलोचकों को हमारी नीति के आगे झुकना पड़ा है। इस नीति के कारण विश्व की परिषदों में भारत का मान बढ़ा है। उसका सम्मान हुआ है। विश्व के देश जब कहीं संतुलन की आवश्यकता समझते हैं तो भारत की तलाश करते हैं। जब विश्व के देश किसी बात के लिये सहमत नहीं होते तो वे भारत की याद करते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भारत की नीति में अवश्य ही कोई खास बात है।

अभी कल ही पहले के राष्ट्रपति की विदाई और नये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण हुआ है। हम सभी वहां उपस्थित थे। उस अवसर की सादगी और गरिमा—जैसे भारत की अपनी विचारधारा, अपने उद्देश्य और महत्वकांक्षा की प्रतीक थी। हमारे पहले के राष्ट्रपति अवकाश-ग्रहण कर रहे थे। उनका पूरा जीवन सेवा करते ही बीता है। उनकी बौद्धिकता और योग्यता इतने ऊंचे दर्जे की होते हुए भी वह जनता के अपने हैं—यही उसका सार है। बिना किसी दिखावे और धूम-धड़ाके के उन्होंने जनता की सेवा की और बिना किसी नुन-नुच के जनता की इच्छा के अनुरूप नये राष्ट्रपति को अपना पद सौंप दिया। सभी ने बड़े शांन्त और संयत ढंग से जनता की इच्छा के अनुकूल एक-दूसरे से हाथ मिलाये और अपने आसन बदल लिये। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है एशिया के लिये, जहां इस प्रकार की अदला-बदली के लिये इतना रक्तपात और शोर-शराबा होता है। इन चीज़ों को इतने शान्त और संयत ढंग से वही देश कर सकता है जिसकी ऐतिहासिक परम्परायें काफी प्राचीन हों, और जो जानता-समझता हो कि शिष्टाचार किसे कहते हैं। उस आयोजन में दिखावे का कहीं नाम भी नहीं था, हां, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में देश की सैकड़ों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पीढ़ियों और उनकी परम्पराओं का इतिहास है। पहले के और नये राष्ट्रपति--दोनों ही भारत के दो महान् व्यक्ति हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं।

मैंने इसका उल्लेख इसलिये किया है कि मुझे लगा कि वह भारत का, भारतीय परम्पराओं का प्रतीक हैं। वह भारत के काम के तौर-तरीके का, उसकी निरन्तरता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, वह बताता है कि भारतीय जनता भूतकाल की अपनी परम्पराओं का पूरा सम्मान करती है, और साथ ही उसकी दृष्टि भविष्य पर लगी हुई है। वह प्राचीन और नवीन के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता चलता है। मुझे तो यही लगा। इसलिय कि किसी सैनिक गुट में शामिल होने की धारणा भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के विरुद्ध पड़ती है।

तटस्थता का अर्थ क्या है ? गुट में शामिल होने का मतलब है सैनिक प्रयोजन के लिये सैनिक शक्तियों के साथ गुट में शामिल होना और जनता की इच्छा की कोई भी परवाह किये बिना सैनक शक्ति के आधार पर निर्णय करना। उन फ़ैसलों में किसी दबाव के कारण थोड़ीसी रद्दोबदल तो शायद की जा सकती हो, लेकिन बुनियादी तौर पर वे फ़ैसले बड़ी-बड़ी फौजी ताक़तों के ही अनुरूप होते हैं। उसका मतलब है कि एक फौजी नजरिया अपनाना, फौजी तरीकों से काम करना। उसका लाजिमी नतीजा है हथियारों की होड़ लगाना। फौज तो हम भी रखते हैं और उसमें वृद्धि भी करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि हम सिर्फ हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं। हां, लेकिन हमारे सोचने का तरीका फौजी नहीं है। हम फौजी गुटों में शामिल नहीं होते। हम जब तटस्थ रहने की बात कहते हैं, तो उसका यह मतलब नहीं होता कि हम मित्रता के आधार पर भी किसी देश से नहीं मिलेंगे। दूसरे देशों के साथ हमारे सैकड़ों तरह के सम्बन्ध जुड़ते हैं। पर हम फौजी सम्बन्ध नहीं जोड़ते। यही मुख्य चीज़ है। फौजी नजरिया अपनाने का मतलब होगा कि हम अपनी सारी परम्पराओं, सारे आदर्शों, सारी विचारधारा को तिलांजलि दे दें; हम अपना भाग्य उन फौजी ताकतों के हाथों में सौंप दें जो हमारी रक्षा करने की बात कहें, जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी फौजें और अणु-बम हों। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत ऐसी किसी फौजी ताकत का पिछलग्गू बनने की बजाय, नेस्तनाबूद हो जाना ज्यादा पसन्द करेगा। वह भारत की महानता के अनुरूप नहीं।

लेकिन हमें किसी भी देश से कोई वैर नहीं है। हम सभी देशों के मित्र बन कर रहना चाहते हैं, और इस में हमें काफी सफलता भी मिली है। हम दूसरे देशों के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते--इस से कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमारा उन देशों के साथ कोई विरोध है। ऐसा सोचना बिलकुल ग़लत है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान और चीन ने हम से सम्बन्ध बिगाड़ लिये हैं। इन दो देशों के अलावा बाकी सभी देश हमारे मित्र हैं और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों के साथ भी हमारे सम्बन्ध कभी सुधरेंगे ही।

फिर आलोचना की जाती है हमारे प्रचार-कार्य की। हम से पूछा जाता है कि हम अपना दृष्टिकोण और अच्छे ढंग से संसार के सामने क्यों नहीं रखते। मैं मानता हूं कि हमारे प्रचार को हमेशा ही बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उसमें केवल हमारे प्रचार का ही दोष नहीं है। यह नहीं है कि हमारा प्रचार-विभाग आवश्यक तथ्य या सामग्री विदेशों की जनता के सामने पेश नहीं करता। उसमें कई और कारण हैं। एक तो यह तो लोगों ने कुछ समस्याओं पर नये सिरे से सोचना ही बन्द कर दिया है। उन लोगों ने पहले से अपने जो विचार बना लिये हैं, वे उनको बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। वे तथ्यों को देखना ही नहीं चाहते।

कुछ विषय हैं जिनके बारे में हमारे विचार भी जम चुके हैं और हम उन पर सोचते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बारे में हमारे विचार हमारी धारणायें जम गई हैं। इसलिये कि पाकिस्तान से हम नाराज हैं। इसी तरह संसार के कुछ दूसरे देश हैं, जो फौजी गुटों में खुद शामिल होने के कारण कुछ मसलों पर नये सिरे से सोचने को तैयार नहीं हैं। उनके विचार जम गये हैं और उन्होंने आंखें मूंद ली हैं। वे देश किसी भी ऐसे देश या व्यक्ति को पसन्द नहीं करते जो उनके गुट में शामिल न हो। इसी लिये वे उनकी आलोचनायें करते हैं। लेकिन उन देशों में भी यदि उनके बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं की आलोचनाओं को एक तरफ रख कर आम जनता के बारे में सोचा जाये तो उन देशों की आम जनता के दिल में भारत के लिये स्नेह और सम्मान है। अमरीका हो या रूस, आप दोनों में से किसी भी देश की साधारण जनता से बात कीजिये तो आपको पता चलेगा कि वे भारत को कितने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे भारत को शान्ति और मैत्री का दूत मानते हैं। इस लिये अन्य देशों की जनता की दृष्टि में भारत की प्रतिष्ठा किसी कदर कम नहीं है, सरकारों में भी कम नहीं है।

माननीय सदस्यों ने वैदेशिक सेवा की भी, विशेषकर गोआ के मामले में, थोड़ी आलोचना की है। माननीय सदस्यों ने जिस पत्रिका--'इकनामिक वीकली'--का उल्लेख किया है, मैंने उसका वह अंक नहीं देखा है। लेकिन मुझे मालूम है कि अमरीका में गोआ के सम्बध में काफी अच्छा प्रचार किया गया था। हमारे राजदूत ने अमरीका में गोआ के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिये थे, वे गोआ सम्बन्धी सभी वक्तव्यों से कहीं अच्छे थे। उनमें बड़ी स्पष्टता से, बड़े निश्चयात्मक ढंग और ओज के साथ भारत का दृष्टीकोण रखा गया था। हां, यह सही है कि गोआ में कार्यवाही होने के तुरन्त बाद कुछ भी नहीं कहा गया था। इसलिये कि उनको पूरे-पूरे तथ्य मालूम नहीं थे। और उनको मालूम न होने का कारण यह था कि हम स्वयं नहीं चाहते थ कि पहले से किसी को कुछ मालूम हो। यदि मालूम हो जाता तो देखते-देखते कार्यवाही पूरी न हो पाती। हम ने शीघ्रता से सब कुछ पूरा करके गोआ को पुर्तगालियों द्वारा बर्बाद होने से बचा लिया है। उनके पास सुरंगें और बारूद मौजूद थी, पर वे उसका उपयोग नहीं कर पाये। एक-दो दिन की देर में ही वे काफी बर्बादी ढा सकते थे। हम भारत में भी सभी को नहीं बता पाय थे। सभा को भी मैं ने कुछ अस्पष्ट रूप में ही बताया था। हम उसका खतरा नहीं उठाना चाहते थे। इसलिये हमारे दूतावासों को पूरा विवरण मिलने तक रुकना पड़ा।

मुझे याद नहीं कि वैदेशिक सेवा में कितने लोग काम करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन में से सभी बड़े अच्छे और बड़े कुशल हैं। लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाये तो वे किसी भी दूसरे देश की वैदेशिक सेवा के मुकाबले घटिया नहीं हैं। यह मेरी ही राय नहीं है। इंगलैण्ड के एक बड़े राजनयिक पंडित की भी यही राय है। मैं अभी कुछ दिन पहले उनकी किताब पढ़ रहा था। उन्होंने भारत और यूरोप के एक देश की राजनयिकता की बड़ी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि राजनयिकता के क्षेत्र में इन दोनों देशों की प्रगति और योग्यता पर लोगों को विस्मय होता है। संसार में भारतीय राजनयिक अधिकारियों की बड़ी पूछ होती है। लोग उनसे परामर्श करते हैं। इसलिये भी कि भारत दिन दिन एक महान देश के रूप में उभरता आ रहा है। भारत अपने प्रभाव के कारण महान् देश लेखा जाता है। उसका प्रभाव न फौजी है और न आर्थिक। भारत का प्रभाव उससे भी गहरा है श्री एन्थनी चाहते हैं कि भारत उसे छोड़कर दूसरे ताकतवर राष्ट्रों का पिछलग्गू बन जाये। मैं वैदेशिक सेवा के लगभग सभी अधिकारियों को जानता हूं। दूसरे देशों के राजनयिक अधिकारियों को भी मैं काफी जानता हूं। इसलिये मैं कह सकता हूं कि वे किसी से घटियां नहीं हैं। हां, उनमें से कुछ बहुत काबिल हैं, और कुछ थोड़े काबिल। हमें तो कुल मिला कर ही देखना चाहिये।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे वैदेशिक मिशनों के वर्गीकरण की आलोचना की है। वह वर्गीकरण जलवायु, रहन-सहन के खर्च और कुछ अन्य चीजों को लेकर किया गया था। उसका यह मतलब नहीं कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से छोटा या निचले दर्जे का है। मास्को को 'ख' और बेरूत को 'क' वर्ग में रखा गया है। इसका यह मतलब तो नहीं कि मास्को, बेरूत से हीन है। किस राजदूत को कहां भेजा जाये, इसका निर्णय श्रेणी देख कर नहीं किया जाता। हमारे सब से अधिक अनुभवी राजदूत, श्री दत्त को मास्को भेजा गया है, 'ख' श्रेणी में।

यह बात एक हद तक सही है कि अफ्रीका में हम नये-नये लोग भेज रहे हैं। लेकिन हमने वहां कुछ अपने बड़े अनुभवी और योग्य अधिकारी भी भेजे हैं। इसलिये कि हम अफ्रीका का बड़ा महत्व देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम सभी अंग्रेजी में ही शिक्षित-दीक्षित हुए हैं। हमारे नए अधिकारियों को दूसरी भाषायें सीखनी पड़ती हैं। अफ्रीका में जाने वालों के लिये फ्रेंच भाषा अत्यावश्यक है। हमने उसके प्रशिक्षा का प्रबन्धकिया है। मैं माननीय सदस्यो को आश्वस्त करता हूं कि सरकार अफ्रीका को सर्वाधिक महत्व देती है। यह ग़लत है कि हम एशिया और अफ्रीका के मुकाबले यूरोप को अधिक महत्व देते हैं।

यह जरूर सही है कि यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जिनका महत्व कहीं ज्यादा है। सब से अधिक महत्व वाशिंगटन, लन्दन, मास्को और पीकिंग को देते हैं। अब इस समय पीकिंग में हमारा कोई राजदूत नहीं है। वहां हमारा एक मिशन अवश्य है। जो भी हो, भारत के हितों और संसार की गतिविधि के लिहाज़ से यही चार सबसे महत्वपूर्ण हैं।

यह सही है कि पहले ज़माने पीकिंग एक सब से महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन पीकिंग में रहने वाले हमारे राजदूत को अधिक कुछ काम नहीं करना पड़ता था। मिसाल के लिये हमारे अन्य सभी दूतावासों का व्यापार, इत्यादि के सिलसिले में बड़ा व्यस्त रहना पड़ता है। पीकिंग में ऐसा कुछ नहीं था। वहां सीखने के लिये भी कुछ ज्यादा नहीं था। राजनयिक क्षेत्र में वहां अधिक सक्रियता नहीं थी। और पीकिंग की जलवायु भी सभी को माफ़िक नहीं आती। इसीलिये उसे निचले वर्ग में रख दिया गया था। मिसाल के तौर पर, अदिसअबाबा हम तीन राजदूत भेज चुके हैं, जो उतनी ऊंची जगह पर स्वयं नहीं रह पाये। वह नौ हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। इस लिये राजदूतावासों और मिशनो का वर्गीकरण महत्व के आधार पर नहीं किया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने यूरोपीय साझा बाजार का उल्लेख करते हुए कहा था कि राष्ट्रमंडल के प्रभावशाली हित उसके लिये सक्रिय हैं। मैं तो समझता हूं कि इंगलैंड के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य देश उसके विरुद्ध हैं। कनाडा, आस्ट्रेलिया, इत्यादि सदस्य देश नहीं चाहते कि इगलैंड यूरोपीय साझा बाजार में शामिल हो।

याद यह रखना चाहिये कि यूरोपीय साझा बाज़ार उन राष्ट्रों के लिये अच्छा हो सकता है कि जो उसमें शामिल हैं, हो सकता है कि इंगलैंड के लिये भी वह लाभदायक हो। पर हमें उससे हानि ही होगी। और यह भी याद रखना चाहिये कि उन देशों की बढ़ती हुई राजनैतिक एकता और मैत्री की दिशा में यह यूरोपीय साझा बाज़ार का निर्माण अभी पहला ही कदम है। उनकी राजनीतिक एकता और मैत्री और आगे बढ़ने पर क्या रंग लायेगी, किस दिशा में हमें ले जायेगी, या उनको ले जायेगी,—अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे भय है कि किसी अच्छी दिशा में तो नहीं ही ले जायेगी। उसका निर्णय तो इंगलैंड को ही करना है। उसका राष्ट्रमंडल पर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। उसका असर कम हो जायेगा, मैं नहीं कहता कि वह टूट जायेगा।

किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि हमें पाकिस्तान सरकारो के स्तर पर बात करनी चाहिये। बात मेरी समझ में ठीक से नहीं आई। हमारी बात इसी आधार पर चलती आ रही है।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि हमन तिब्बत के मामले में भारी ग़लती की है। हम इस पर कई बार सोच-विचार कर चुके हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम और कर क्या सकते थे। लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे तिब्बत हमारी जेब में पड़ा था और हमने उसे निकाल चीन को नजर कर दिया था। हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। कोई और चारा नहीं था। यदि हमें मालूम भी होता कि चीन हमारी सीमा पर दखलंदाजी करने जा रहा है, तो भी हमें यही करना पड़ता।

†**श्री नाथ पाई :** वाद-विवाद के दौरान यह भी कहा गया था कि महाधिपत्य ('सुज़रिनटी') और सम्पूर्ण प्रभुता ('सोवरिनटी') शब्दों के अर्थ के बीच के सूक्ष्म से अन्तर के कारण ग़लती हुई थी। आप चीन-स्थित अपने राजदूत, श्री पाणिक्कर को आदेश दिया था कि भारत तिब्बत पर चीन का महाधिपत्य मानता है और हुआ यह कि उसकी सम्पूर्ण प्रभुता मान ली गई। मैंने ७ दिसम्बर, को वह दस्तावेज़ सभा के सामने पेश किया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हो सकता है। लेकिन जब तक वह ग़लती चीन सरकार ने जान बूझ कर न की हो, तब तक उसे ग़लती तो नहीं माना जा सकता। हमने तो महाधित्य शब्द का ही प्रयोग किया था। मुझे मालूम नहीं कि चीन भाषा में 'महाधिपत्य' शब्द का अनुवाद सम्पूर्ण प्रभुता किया जा सकता है या नहीं। वे न अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और न उसे समझते हैं। और यदि हमने उस शब्द का प्रयोग किया भी था, तो हम चीन को उसे मानने पर विवश तो नहीं कर सकते थे। उन्होने फौजें भेजनी शुरू कर दी थीं। तिब्बत सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिये थे और सन्धि करने के लिये तैयार हो गई थी। हम उसमें क्या कर सकते थे ? महाधिपत्य शब्द दोहराते जाने से तो कुछ नहीं हो पाता।

†**श्री नाथ पाई :** क्या जिस चीज़ को हम रोक नहीं सकते, हमें उसका समर्थन ही करना चाहिये ? हमें उसके विरुद्ध, महाधिपत्य शब्द की ग़लत व्याख्या के विरुद्ध आवाज़ तो उठानी चाहिये थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** हमारे मानने न मानने का सवाल ही नहीं। हमने तो पत्र व्यवहार के दौरान उनको एक अपने पत्र में लिखा था कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत पर कभी चीन का कभी महाधिपत्य रहा है। उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था ? हम बस यही तो कहते संसार में फिर सकते थे कि हम महाधिपत्य मानते हैं, और चीन कहता है कि उसकी सम्पूर्ण प्रभुता है।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी :** मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि हमने अपनी कमजोरी की वजह से तिब्बत की विजय को स्वीकार कर लिया था। मैंने केवल इतना पूछा था कि तब सरकार दलाई लामा को यहां स्वतंक रूप से काम क्यो नहीं करने देती ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** दलाई लामा यहां पूर्ण रूप से स्वतक हैं। हमने सिर्फ इतना कहा है कि हम भारत से किसी निष्कासित सरकार को काम करने की अनुमति नहीं देंगे। और वह जो चाहें कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पांडिचेरी के बारे में सब से हाल की खबर यह है कि फ्रेंच सरकार ने अपने यहां की वैदेशिक समिति, या ऐसी ही किसी समिति में एक विधान पेश किया है, जिसका आशय है पांडिचेरी की सम्पूर्ण प्रभुता विधानिक रूप से हस्तांतरित कर दी जाये। पर मुझे इन चीजों का काफी अनुभव है, इसलिये मैं कह नहीं सकता कि उसमें कितना समय लगेगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): वह विधेयक फ्रांस की संसद में विचाराधीन है, तो क्या उसके स्वीकृत होने तक के लिये हमें अपने संविधान को वहां लागू नहीं कर सकते?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं? वह तो बिलकुल हमारी अधीनता में है ही। वह हमारी अधीनता में ही चल रहा है। हमें केवल इतना करना है कि एक विधेयक संसद में पारित करें और उसे भारत का अंग घोषित करदें और पांडिचेरी के प्रतिनिधित्व की यहां व्यवस्था कर दें, क्योंकि इतनी ही कमी रह गई है।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारी कुछ विधियां, कुछ संवैधानिक व्यवस्थायें विस्तारित की जा सकती हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : जैसे उच्चतम-न्यायालय सम्बन्धी व्यवस्था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : कुछ मुकदमों की अपीलें फ्रांस की अदालतों में जाती हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक अपील के अधिकार का सम्बन्ध है, मेरे विचार में हम यह कर चुके हैं या कर रहे हैं। केवल संसद् में प्रतिनिधित्व का प्रश्न शेष है। और यह हम स्वाभाविकतया फ्रांस की सद्भावना के साथ करना चाहेंगे। यदि हम ऐसा न कर सकें, तो और बात है, किन्तु हमारी इच्छा यही है।

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है, फ्रांस पिछले सात, आठ या दस वर्षों में बहुत असाधारण परिस्थितियों में से गुज़रा है और सरकार अकसर बदलती रही है। अब देगाल की सरकार अधिक मजबूत है किन्तु इसे भी काफी कठिनाइयों का सामना रहा है। जब भी हम ने उन से कहा है, उन्होंने उत्तर दिया है कि कुछ देर ठहर जाइये, हमारी अपनी कठिनाइयां भी हैं। अल्जीरिया को लीजिये। प्रश्न यह है कि हमें निर्णय करना है कि उन की पूर्णतया उपेक्षा करना और कुछ कार्यवाही करना ठीक होगा। यह ठीक नहीं था। पांडीचेरी के मिलने के बाद हम कुछ संवैधानिक उपायों के सिवाय जो भी चाहे कर सकते हैं। किन्तु फ्रांस जैसे महान् देश को उत्तेजित करना ठीक नहीं होगा खासकर जब कि कुछ समय पूर्व हमें कहा गया था कि वे . . . .

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : कुछ समय पूव फ्रांसीसी सरकार ने खास-तौर पर कहा था कि निकट भविष्य में वह उस क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित करने के लिए विधान बनायेगी। इस वचन का क्या हुआ है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ समय पूर्व, पिछला सितम्बर या अक्तूबर ही था इसी वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह कुछ बाद में हुआ है।

अल्जीरिया की समस्या फ्रांस के दृष्टिकोण से बहुत जटिल रही है और हमारे लिए अधिक जोर डालना कठिन था, किन्तु हम ज़ोर देते रहे हैं और मुझे आशा है अब यह हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में]

फ्रांस और अल्जीरिया की अस्थाई सरकार के हाल के समझौते से पहले, अस्थाई सरकार को मान्यता देने का कुछ महत्व भी था। यह केवल एक संकेत ही था, इस से अधिक कुछ नहीं जिसका अर्थ यह था कि फ्रांसीसी सरकार पर समझौता करने के लिए जोर डाला जाये। अब हमारी ओर से मान्यता पर जोर देने का उलटा ही प्रभाव पड़ेगा।

अब कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। फ्रांस पर जोर देने का प्रश्न नहीं है। वर्तमान समस्या ओ० ए० एस० की हिंसात्मक कार्यवाही बन्द करने का है। फ्रांसीसी सरकार और राष्ट्रवादी सरकार दोनों इस पर सहमत हैं। केवल हिंसात्मक कार्यकारी ही रास्ते में रुकावट है। उदाहरणतया फ्रांस में जनमत गणना हो चुकी है और अल्जीरिया में जुलाई में होने वाली है। किन्तु यह भी सम्भव है कि हिंसा इतनी बढ़ जाये कि जनमतगणना हो ही न सके।

हिंसा को खत्म करना दोनों के पक्ष में है। न केवल अल्जीरियाई समझौता खत्म हो जाये, बल्कि फ्रांसीसी सरकार भी टूट सकती है। यह फ्रांस की सरकार के विरुद्ध है, क्योंकि वह भविष्य का सामना नहीं कर सकती; यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो इस की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। वास्तव में हिंसा का अर्थ उद्देश्य यही है कि फ्रांस सरकार को गिराया जाये।

अतः यह दोनों सरकारों का उद्देश्य है। बीच की दो या तीन महीने की अवधि के लिए संयुक्त कार्यकालिका है, जो अंशतया अल्जीरियाई और अंशतया फ्रांसीसी है।

अब इस अल्जीरियाई सरकार को मान्यता देने का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में हम इस से सीधा ही व्यवहार कर रहे हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : जब इस का कोई महत्व नहीं है तो वह आप पर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका एक नुकसान है, क्योंकि इस से फ्रांस में ऐसा वातावरण पैदा होता है, जो फ्रांस के विरुद्ध है।

†**श्री नाथ पाई** : ३४ सरकारों ने, जिस में रूस भी है, मान्यता दे दी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रूस काफी कठिनाई में पड़ गया है। ऐसा कहने के बाद उसने कुछ नहीं किया क्योंकि फ्रांसीसी राजदूत वहां से वापस बुला लिया गया था। अब कह सकते हैं कि फ्रांसीसी इस मामले में बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए अल्जीरियाई सरकार को मान्यता देने का कोई विशेष लाभ नहीं क्योंकि हम सभी व्यवहार्य बातों के लिए उसे मान्यता देते ही हैं।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : यदि अल्जीरियाई सरकार ऐसा चाहती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस से कोई लाभ नहीं होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि अल्जीरियाई सरकार कोई ऐसी चीज चाहती है जिसे हम ठीक नहीं समझते, तो क्या हमें उसे मान लेना चाहिये।

†**श्री हनुमन्थैय्या** (बंगलौर नगर) : प्रधान मंत्री ने कई बार अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सहानुभूति प्रकट की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम सब मानते हैं कि अल्जीरिया ने बहुत कुर्बानियां की हैं। किन्तु यहां विषय प्राविधिक है। साधारणतया ऐसी सरकार को मान्यता नहीं दी जाती जिसकी सरकार अपने देश में न हो। ऐसा केवल युद्ध के दिनों में किया जाता है, जब कि शत्रु को परेशान करने के लिए आप्रवासी सरकार बनाई जाती है। देगाल की सरकार आप्रवासी सरकार थी और जब जर्मनी का फ्रांस पर कब्जा था, तो ब्रिटिश सरकार ने उसे मान्यता दे रखी थी। उन सरकारों को मान्यता दी जाती है, जो अपने देशों में हो। यह मूलभूत बात है। आप संकेत के रूप में इसे मान्यता दे सकते हैं, यदि ऐसा करने से अन्ततः कुछ लाभ हो।

इस समय वहां फ्रांसीसियों और अल्जीरियाइयों की एक मिली-जुली सरकार काम कर रही है। अल्जीरियाई प्रतिनिधि अस्थाई सरकार ने नियुक्त किये हैं, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने मान्यता दे दी है। उसके साथ जो समझौता हुआ है, उसे क्रियान्वित करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी कार्यवाही करना जिस से उस समझौते में बाधा पड़े वांछनीय नहीं होगा।

†**श्री नाथ पाई** : हमें खेद है, हमें इस तर्क से संतोष नहीं हुआ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री इंद्रजीत ने केनेडा में श्रीमती इन्द्रा गांधी के भाषण का उल्लेख किया था। उन के भाषण की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका एक पहलू पुर्तगालियों का कत्लेआम है। बात इसके उलट है। उन्होंने कहा था कि यदि लोग बिना शस्त्रों के वहां जायें, तो पुर्तगाली उन्हें कत्ल कर देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले थोड़ी संख्या में किया था। यदि निहत्थे आदमी वहां जायें। तो पुर्तगालियों के कत्ल का प्रश्न नहीं पैदा होता। इसलिए हमारे अपने लोग निहत्थे यदि बड़ी संख्या में जायें तो पुर्तगालियों द्वारा कई हजार का कत्ले-आम हो सकता है। इस से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती जो हमारी सरकार सहन न कर सकती।

मैं काश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इस पर सुरक्षा परिषद् में अभी बहस हुई है। मैं कहूंगा कि प्रतिरक्षा मंत्री का भाषण बहुत . . . .

†**श्री नम्बियार** (तिरूचिरापल्ली) : साम्यवादों द्वारा गोआ में शरारत को प्रोत्साहन देने की बात का उत्तर नहीं दिया गया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता श्रीमती इन्द्रा गांधी ने क्या कहा था। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि संभव है उन्होंने कहा हो कि साम्यवादियों ने लोगों को अन्दर जाने के लिए उत्तेजित किया हो।

अब मैं दो मामलों—चीनी सीमान्त और निशस्त्रीकरण को लूंगा। निशस्त्रीकरण के विस्तार में जाना संभव नहीं है क्योंकि इस की चर्चा हो रही है। जहां तक आणविक परीक्षणों का सम्बन्ध है, ८ तटस्थ देशों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिस पर विचार करने का वचन दोनों मुख्य पक्षों ने दिया है। अब कोई निर्णय नहीं किया गया। मेरे विचार में वे इन परीक्षणों को बन्द करने पर सहमत हो जायेंगे।

निशस्त्रीकरण एक जटिल समस्या है जिस पर ५ मिनट में चर्चा नहीं की जा सकती। किन्तु तटस्थ देशों की उपस्थिति से निशस्त्रीकरण समिति को अवश्य लाभ पहुंचा है। किसी ने जोरदार भाषा का प्रयोग नहीं किया और चर्चा बदले हुए वातावरण में हुई है। दोनों पक्षों ने नम्रता से बातचीत की है और सहमत होने की कोशिश की है। किन्तु अभी एक अड़चन है जिसे पार करना आवश्यक है, और वे किसी दिन इस को पार कर ही लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे तटस्थ देशों की उपस्थिति से नई विचारधारा उत्पन्न हुई है और इस से समिति को सहायता मिली है। किन्तु एक दूसरे के प्रति उनके दिल में जो भय और अविश्वास है, वह अभी दूर नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि किसी न किसी समय उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता एक दूसरे की तबाही का है।

निशस्त्रीकरण के पीछे बर्लिन की महत्वपूर्ण समस्या है। कहा जाता है कि इस विषय में अमेरिका और रूस की बातचीत में बहुत प्रगति हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जर्मन प्रधान मंत्री डा० आडनावर इस प्रगति को नहीं चाहते और अमेरिकी सरकार के साथ उन का कुछ मतभेद है। कुछ भी हो, यदि बर्लिन की समस्या हल हो गई तो यह एक भारी कदम होगा।

सीमान्त के प्रश्न के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करना आसान है, खास कर नये सदस्यों के लिये। अब सभी को मालूम है, भारत और चीन की लड़ाई बहुत खतरनाक होगी : और यह कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे को हरा नहीं सकेगा। यह लड़ाई किस लिये होगी; छोटे से पहाड़ी इलाकों के लिये। हमारी नीति यह है कि लड़ाई से बचा जाये किन्तु यदि यह हम पर थोपी गई, तो हमें इसके लिये तैयार रहना पड़ेगा और वे क्षेत्र उनसे वापस लेने होंगे। लड़ाई के बिना कैसे वापस लिये जायें। यदि हमारी शक्ति पर्याप्त हो, तो अन्य चीजों से भी हमें सहायता मिलेगी और हो सकता है कि हमारी तैयारियों से और इन चीजों की सहायता से उन क्षेत्रों को आजाद करने के लिये समझौता हो जाये। इस लिये यह कहना कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे ठीक नहीं है। किन्तु बातचीत का कुछ आधार होना चाहिये। वह आधार क्या हो सकता है? कुछ समय पहले हमने सुझाव दिया था कि नक्शों के अनुसार पीछे हट जायें और हम उनके नक्शों के अनुसार पीछे हट जायें, इस तरह बीच का वे हमारे क्षेत्र प्रशासन को खाली छोड़ दिया जाये। इस से कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि इस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम आदमी रहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है किन्तु वहां अभी प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी तिब्बत या अकसाई चीन की सड़क वे असैनिक प्रयोजनों के लिये कुछ समय के लिये प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि कोई समझौता नहीं हो जाता। यह अस्थाई अवधि के लिए था। इसका उद्देश्य यह था कि हम आपस में बातचीत कर सकें। यदि वे हमारे नक्शों के अनुसार पीछे हट जाते, तो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र खाली कर देते। हम उनके आदेशों के अनुसार पीछे हट जाते। यह सारे लद्दाख क्षेत्र पर लागू होता है। और पूर्वी क्षेत्र पर नहीं, क्योंकि हम पूर्व में पीछे नहीं हटेंगे। लद्दाख में हम कुछ ग्राम खाली करेंगे जब कि वे बहुत बड़ा क्षेत्र खाली करेंगे।

मेरे विचार में हमारा यह प्रस्ताव कि वे कुछ समय के लिये अक्साई चीन सड़क का प्रयोग करते रहें बिल्कुल उचित है। इससे बातचीत का आधार पैदा हो जायेगा। दूसरा आधार हमारे अधिकारियों की रिपोर्टें थी। मैं उस आधार पर कह रहा था।

अब मैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहूंगा। हम एक शीघ्र बदलती हुई दुनिया में रहते हैं, आर्थिक रूप से बदलती हुई। हमारा देश भी बदल रहा है और हम ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते जिससे वह परिवर्तन रुक जाये। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन में बहुत कुछ हुआ है। चीन ने काफी आगे कदम बढ़ाया है। साथ ही उसका काफी नुकसान हुआ है। खराब फसलों और अन्य आर्थिक कारणों से उसे काफी नुकसान पहुंचा है।

नये शासन के पहले दिनों में पुरानी चीनी सभ्यता और संस्कृति पर जो आघात हुआ था, वह अब बन्द हो गया है और पुरानी संस्कृति फिर से जाग्रत हो रही है। कन्फ्यूशस के बारे में भी बातचीत होती है। पहले उस पर प्रतिबन्ध था। युवकों मे निराशा की भावना है। वहां कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया या राजनीति रियायत नहीं हुई? खिंचाव अब भी है। किन्तु जीवन अधिक सुविधाजनक है। यह पहले उठाये गये सख्त कदम की प्रतिक्रिया है। यह हालत फिर बदल सकती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चीन में भले ही कुछ हो, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि चीन एक विशाल देश है, आकार की दृष्टि से नहीं अपितु अपने इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से। अतः उसका विश्व पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। अतः इन बातों की उपेक्षा करके इस कठिन समस्या का तत्काल सैनिक हल ढूंढना उचित नहीं है।

तथापि हमारे लिये सैनिक तैयारियां करना आवश्यक है। इसीलिये हम सड़क निर्माण, सैनिक सामानों को तैयार करने में लगे हुए हैं। जब तक यह पूरा नहीं हो तब तक कोई सैनिक कार्यवाही करना उचित नहीं होगा।

प्राक्कलन समिति ने सबसे पहिले पिछले वर्ष वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के कार्य की जांच की थी। मेरे विचार से इससे दोनों पक्ष सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। उनके अधिकांश सुझावों को मन्त्रालय ने स्वीकार कर लिया है अन्य सुझावों के बारे में उन्होंने अपनी कठिनाई बतलाई है।

वस्तुतः वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के नाम पर जो बड़ी बड़ी राशियां स्वीकार की जाती हैं, उनका मन्त्रालय के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता। नागा पहाड़ियों तथा आसाम राफल्स के लिये मन्त्रालय ही जिम्मेदार है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी सीमान्त अभिकरण है, गोआ दमन और दीव तथा नगर हवेली इत्यादि बस्तियां हैं। ये सारी बस्तियां ऐतिहासिक कारणों से विदेश मन्त्रालय के साथ हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा कई अन्य संगठनों को भी अंशदान के रूप में बहुत बड़ी राशि देनी होती है। अतः वास्तव में मन्त्रालय के कार्य पर जो व्यय किया जाता है वह अपेक्षाकृत कम होता है।

†**श्री नाथ पाई** : प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि गोआ की मुक्ति का निश्चय बहुत पहिले ही कर लिया गया था, क्या मैं जान सकता हूं कि बहुत पहिले से क्या तात्पर्य है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका तात्पर्य है एक सप्ताह या दस दिन पूर्व।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१६	आदिम जाति क्षेत्र .	. ८,१६,४९,०००
१७	नागा पहाड़ियां त्वेनसांग क्षेत्र .	. ३,१६,८१,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	. १०,९९,१६,०००
१९	पांडिचेरी राज्य .	. ३,३३,८८,०००
२०	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र .	१९,७५,०००
२१	गोआ, दमन और दीव .	. ३,९५,७८,०००
२२	वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	. ३,६०,१८,०००
११६	वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . .	. ६७,६५,०००

†मूल अंग्रेजी में

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : आज काफी विलम्ब हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी इस बात से सहमत हूं । तथापि माननीय सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिये कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दिनों हमें सामान्यत: ६ बजे तक बैठना पड़ता है अत: इस प्रकार चर्चाओं पर आग्रह न किया जाये और यथासम्भव उनके लिये पूर्व सूचनायें न दी जायें ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १६ मई, १९६२/२६ वैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १४ मई, १९६२
२४ वैशाख, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२०५१--८०
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९२	ग्रामीण बीमा योजना	२०५१--५३
६९३	सुपर सोनिक जैट विमान	२०५३--५५
६९४	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों की सेवा का स्थायीकरण	२०५५-५६
६९५	अखिल भारतीय सेवायें	२०५६--५८
६९६	खेल कूद जांच समिति	२०५९-५९
६९७	राष्ट्रीय एकता सम्मेलन	२०५९--६३
६९८	विज्ञान मन्दिर	२०६३
७०१	अमरीका में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	२०६३-६४
७०२	स्नातकोत्तर इंजीनियरी शिक्षा तथा अनुसन्धान	२०६४
७०४	कलकत्ता मेट्रोपालिटन प्लानिंग आर्गेनाइजशन	२०६५-६६
७०५	योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था	२०६६-६७
७०६	तीसरी मशीनी औजार कारखाना	२०६७-६८
७०८	कपड़ा मिलों की मशीनों का निर्माण	२०६८--७०
७०९	जलयानों के डीजल इंजनों का निर्माण	२०७०--७२
७१०	कोलार की खानों से निकाले जाने वाले सोने का मूल्य	२०७२
७११	ओलम्पिक टार्च (मशाल) का भारत में होकर जाना	२०७२-७३
७१३	सेन्ट्रल प्राविन्स मैंगनीज ओर	२०७४
७१४	एसोसियेसन आफ इंजीनियर्स	२०७४-७५
७१५	मिश्र को भारतीय पुरातत्वीय शिष्ट मंडल	२०७५-७६
७१६	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी	२०७६—७९

विषय पृष्ठ

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

८, . २०७९–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . २०८१—२१३३

तारांकित
प्रश्न संख्या

६९९ तेल भंडार संस्थापन २०८१
७०० हिन्दी का प्रचार २०८१
७०३ आन्ध्र में विश्वविद्यालय के अध्यापक . . . २०८२
७०७ नियेली, मद्रास में उर्वरक कारखाना . . . २०८२
७१२ शिवपुर वानस्पतिक उद्यान . . २०८२–८३
७१७ प्रतिरक्षा चिकित्सा कर्मचारी २०८३
७१८ भ्रष्टाचार २०८४
७१९ तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम २०८५
७२० औद्योगीकरण का आदिम जातीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव . २०८५
७२१ अन्दमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय . . २०८५–८६
७२२ लोक-सभा के लिये सदस्यों के नाम निर्देशन में विलम्ब . २०८६
७२३ अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विनियोजन . . . २०८६–८७
७२४ भारत-भूटान सड़कें २०८७
७२५ कोयला खानें २०८७
७२६ पश्चिमी बंगाल में कोयला खानों का विकास . . २०८७–८८
७२७ इस्पात संयंत्र के लिये कच्चा माल . . . २०८८
७२८ रूरकेला उर्वरक संयंत्र २०८८
७२९ हीरों की कटाई २०८८–८९
७३० वास्तविक उपभोक्ता तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आयात लाइसेन्स . . . २०८९
७३१ पैराशूट २०८९
७३२ ताजमहल में बिजली लगाना २०८९–९०
७३३ केरल में सोना २०९०
७३४ इस्पात संयंत्र २०९०–९१
७३५ हैवी इलक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल में प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि २०९१
७३६ वास्तविक उपभोक्ता वर्ग के अधीन लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र २०९२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखत उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११८७	फिल्म अभिनेता . . .	२०९२
११८८	मैसूर में पुस्तकालयों के विकास के लिये अनुदान . .	२०९३
११८९	नवसाक्षरों के लिये और समाज शिक्षा सम्बन्धी साहित्य	१०९३–९४
११९०	समाज-शिक्षा साहित्य .	२०९४
११९१	अन्तर्विश्वविद्यालय सांस्कृतिक सम्मेलन	२०९४
११९२	कोयले का उत्पादन और परिवहन	२०९४–९५
११९३	नरसिंगपुर और होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) का खनिज सर्वेक्षण .	२०९५–९६
११९४	मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२०९६
११९५	उड़ीसा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां .	२०९६–९७
११९६	उड़ीसा को कोयला	२०९७
११९७	राज्यों को सीमेंट का आवंटन	२०९७
११९८	राज्यों को नालीदार लोहे की चादरों का आवंटन	२०९८
११९९.	गुजरात के कुंओं से तेल . . .	२०९८–९९
१२००	निकोबार द्वीप समूह से गोले और सुपारी का निर्यात	२०९९
१२०१	सेरठा और कालोल क्षेत्र	२०९९
१२०२	अन्दमान और निकोबार सलाहकार समिति	२०९९
१२०३	पाकिस्तानियों का अवैध, प्रवेश . . .	२१००
१२०४	बुनियादी शिक्षा . .	२१००
१२०५	हिन्दी का विकास . . .	२१००–०१
१२०६	हिन्दी में नियमावलियां .	२१०१
१२०७	दिल्ली विश्वविद्यालय	२१०१
१२०८	हिन्दी में उत्तर	२१०२
१२०९	भट्टी के तेल का आयात . .	२१०२
१२१०	विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल	२१०३
१२११	केरल की साहित्यिक गोष्ठी	२१०३
१२१२	मनीपुर प्रशासन के कर्मचारी .	२१०३
१२१३	कोयला वितरण . .	२१०३–०४
१२१४	भूतपूर्व कर्मचारियों को दी गईं जमीनें	२१०४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२१५ हरिजनों को दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि का दिया जाना . २१०४–०५
१२१६ विमान-प्रतिरक्षा रेडार . २१०५
१२१७ 'दीवर राइडिंग टाईनी ट्रेक्टर' . २१०५
१२१८ इस्पात तथा भारी उद्योगों की स्थापना २१०५–०६
१२१९ अंक्लेश्वर का तेल . . २१०६
१२२० भोजूडीह कोयला धोने का कारखाना २१०६
१२२१ झरिया कोयला क्षेत्र . २१०६–०७
१२२२ वेतन क्रम . २१०७
१२२३ ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी २१०७
१२२४ झरिया कोयला खान २१०८
१२२५ कोयला के लक्ष्य २१०८–०९
१२२६ कोयले का उत्पादन . . . २१०९
१२२७ क्षेत्रीय परिषदों का विघटन २१०९–१०
१२२८ भूतत्वीय दलों का प्रविस्तारण . २११०
१२२९ सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता २११०
१२३० सेन्ट्रल प्राविन्सेज मैंगनीज और कम्पनी २१११
१२३१ त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्ति . २१११
१२३२ त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्र २१११–१२
१२३३ त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् का लेखा २११२
१२३४ त्रिपुरा में झूमिया परिवारों का पुनर्वास २११२
१२३५ त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन २११२–१३
१२३६ मध्य प्रदेश में आदिम जाति खंड २११३
१२३७ सीमान्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण २११३
१२३८ भिलाई इस्पात कारखाना . २११३
१२३९ राज्य विधान परिषद् का निर्वाचन २११४
१२४० सहकारी भवन निर्माण समितियां २११४
१२४१ विशेष बहु-प्रयोजनीय खण्ड . २११४–१५
१२४३ अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी का अध्ययन . २११५
१२४५ मैसूर मे इंजीनियरी कालिज २११५–१६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१२४६	कालीकट में लौह अयस्क . . .	२११६
१२४७	चितली कबर, दिल्ली में बम विस्फोट .	२११६
१२४८	दिल्ली में यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां .	२११६–१७
१२४९	फ्लोराइट के निक्षेप	२११७
१२५०	कोयला	२११८
१२५१	पेन्शन के मामले . . .	२११९
१२५२	हैदराबाद में भूमिविज्ञान तथा भूभौतिकी केन्द्र	२११९–२०
१२५३	बरेली के समीप हवाई अड्डा .	२१२०–२१
१२५४	सैनिक स्कूल	२१२१
१२५५	दिल्ली में कालिज और उच्च माध्यमिक स्कूल . .	२१२१–२२
१२५६	दिल्ली/नई दिल्ली में फौजदारी मामले . . .	२१२२
१२५७	दिल्ली में भूमि	२१२२–२३
१२५८	भारत सर्वेक्षण विभाग के नक्शे--हिन्दी में. . .	२१२३
१२५९	लोकप्रिय वैज्ञानिक पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद . .	२१२३–२४
१२६०	नियमों और नियम पुस्तकों का अनुवाद . . .	२१२४
१२६१	सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने का रोस्टर .	२१२४
१२६२	आयुध प्रतिष्ठानों के असैनिक राजपत्रित अफसरों का स्थायीकरण	२१२४–२५
१२६३	मद्रास में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम .	२१२५
१२६४	नंगल बांध पर हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी . .	२१२५
१२६५	बैंक आफ चाइना के कर्मचारी . .	२१२५–२६
१२६६	पंजाब में हरिजन कल्याण के लिये अनुदान .	२१२६
१२६७	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् .	२१२६
१२६८	भारतीय लोक प्रशासन संस्था, नई दिल्ली . . .	२१२७
१२६९	तिरुची में खनिज	२१२७
१२७०	तिरुची (मद्रास) में कच्चे लोहे की खानें . . .	२१२७–२८
१२७१	कन्नूनर छावनी में आवास योजना . . .	२१२८
१२७२	त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूल	२१२८
१२७३	आयकर जांच पड़ताल और अनुसन्धान निदेशालय . .	२१२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतरांकित
प्रश्न संख्या

१२७४ बिक्री पर फार्मों की चोरी २१२९
१२७५ दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूल . २१२९
१२७६ अन्दमान द्वीपों में सरकारी कर्मचारियों को पूरक भत्ता २१२९–३०
१२७७ खासी जैन्तिया पहाड़ियों में कोयला खानें . . २१३०
१२७८ दिल्ली विश्वविद्यालय में असमिया का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम २१३०–३१
१२७९ दिल्ली में पुलिस अफसरों को भत्ते २१३१
१२८० गुजरात में कोयले की कमी . २१३१
१२८१ प्रौढ़ अन्धों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून २१३१–३२
१२८२ दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल २१३२
१२८३ विश्वविद्यालयों को अनुदान २१३२–३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . २१३३–३४

श्री बिशन चन्द्र सेठ ने, ७ मई, १९६२ को इम्फाल में कंगोई के निकट नागा विद्रोहियों द्वारा चतुर्थ असम राइफल्स के पांच सैनिकों के कथित मारे जाने और कई अन्य सैनिकों के जख्मी किये जाने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१३४–३५

(१) कंपनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति।

(एक) मांगगांव डाक लिमिटेड बम्बई की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २२ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५२ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (संघ लोक से आयोग से परामर्श) नियम, १९६०।

विषय पृष्ठ

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१६ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९५४ की धारा २३ क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १४ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०८८ में प्रकाशित मैसूर उच्च न्यायालय (अवकाश) आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

(३) शंकर समिति की सिफारिशों का विवरण जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ।

(४) आयकर-एक्ट, १९६१ की धारा २८७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७३८ की एक प्रति :

राज्य सभा से संदेश २११६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की एक सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा ४ मई, १९६२ को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६२ के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

समितियों के लिये निर्वाचन २११६–३८

(१) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोकसभा के सदस्य केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के सलाहकर बोर्ड के सदस्यों के रूप मे काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।

अनुदानों की मांगें २१३८–७६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के बारे में वर्ष १९६२–६३ की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुई ।

बुधवार, १६ मई, १९६२/२६ वैशाख १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

खान और इंधन मंत्रालय के बारे मे अनुदानों की मांगों पर विचार ।

GMGIPND—LSIII—850 (Ai)LSD—16-7-62—150